राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ अठहत्तरवां दिवस [संख्या: 26

बुधवार,

19 जुलाई 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, पोइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: No. Please be seated.

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सर, चार लोगों की बर्बर हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष: Please be seated. No. रिकार्ड नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। I will throw you out. प्रश्न काल में नहीं होता। प्लीज बैठें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री अध्यक्ष: क्या आप सुन नहीं रही हैं? अंकित नहीं होगा। क्या आप सुन नहीं रही हैं? क्वेश्चन आवर में नहीं होता है।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर में नहीं होता है। बैठें आप प्लीज। प्लीज बैठें। प्लीज बैठें, I said. Please be seated. प्लीज बैठें आप। माननीय चीफ व्हिप, I will throw her out. Don't compel me. You are setting a wrong precedent. क्वेश्चन आवर में you don't want to learn anything. मदन प्रजापत।

पचपदरा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

492. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुडी, गोल स्टेशन एवं सराणा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.05.2023 के द्वारा उप-स्वास्थ्य केन्द्र, गोल स्टेशन पंचायत समिति बालोतरा जिला बाड़मेर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

ग्राम सराणा पंचायत समिति बालोतरा एवं ग्राम कुडी पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बाड़मेर में वर्तमान में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति, बालोतरा में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं पंचायत समिति, कल्याणपुर में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति बालोतरा एवं कल्याणपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक होने के कारण उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक छोटा-सा निवेदन है कि जो लिखित में दिया है- कुडी, सराणा, बिठूजा में पी एच सी और हलियां, महारों की ढाणी और पांच सब-सेंटर के लिए निवेदन किया है। मंत्री जी, आपने खूब दिया है, एक ही निवेदन है, कम से कम आज एक पी एच सी की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया बस। अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी

493. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विगत तीन वर्षों में कितने किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया तथा कितने किसानों को बीमा का लाभ प्राप्त हुआ? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा फसल नुकसान का पूरा लाभ किसानों को नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा का विगत तीन वर्षों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा विवरण निम्न प्रकार है:-

मौसम	सृजित पालिसियों की संख्या	लाभान्वित पालिसियों की संख्या
खरीफ 2020	51 हजार 220	23 हजार 65
रबी 2020-21	42 हजार 323	9 हजार 600
खरीफ 2021	4 लाख 42 हजार 601	2 लाख 20 हजार 298
रबी 2021-22	3 लाख 19 हजार 820	82 हजार 616
खरीफ 2022	4 लाख 77 हजार 754	72 हजार 28
रबी 2022-23	3 लाख 37 हजार 203	बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित फसल में योजना प्रावधानों में अन्तर्गत दर्ज की गयी उपज क्षति के अनुरूप बीमा क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा जारी किये गये हैं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, जो पालिसी का ब्यौरा दिया गया है, उसमें नाम मात्र का क्लेम दिया गया है। किसी में 100 रुपये हैं, किसी में 200 रुपये हैं, किसी में 1,000 रुपये हैं, किसी में 5,000 रुपये हैं। मौके पर निरीक्षण किये बिना ही गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना, किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिलना, इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर गड़बड़ी की है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी?

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

दूसरा, बीमा कम्पनी अपने फायदे के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत करके आकलन करती है। जिन बीमा कम्पनियों ने गलत किया है, क्या उन्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे? मंत्री महोदय, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, मजाक हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रश्न पूछ लिया। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा में जिस कम्पनी ने इंश्योरेंस किया है, उसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड। जो पालिसी वहां वितरित हुई है, जिसका बीमा क्लेम वहां मिला है, उसका भी लेखा-जोखा मेरे पास है। खरीफ 2020 में मिला 28 करोड़ 69 लाख, रबी 2020-21 में 31 करोड़ 13 लाख, खरीफ 2021 में 28 करोड़ 52 लाख, रबी 2021-22 में 23 करोड़ 34 लाख, खरीफ 2022 में 5 करोड़ 11 लाख। 2020 से 2022 तक कुल-मिलाकर टोटल होता है 116 करोड़ 81 लाख रुपये। रबी 2023 के बीमा क्लेम की पोर्टल पर गणना जारी है। फिर भी यदि आपको कोई शिकायत है तो आप निश्चित तौर पर लिखकर दें, क्योंकि जब भी यह आकलन होता है तो उसमें बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि, गिरदावर, पटवारी, ये सब मौके पर होते हैं। यह ऑनलाइन होता है। राजस्थान पहला प्रदेश हैं, जिसमें 90 परसेंट आकलन ऑनलाइन है और 10 परसेंट ऑफलाइन हैं। पूरे देश में हम प्रथम स्थान पर हैं। आपको कोई शिकायत है, इसका निस्तारण राजस्थान में पहले जो कमेटियां बनी हैं, वे करती हैं, फिर हम भारत सरकार को भेजते हैं। यदि कोई शिकायत हो तो निश्चित तौर पर लिखकर दें। उसका निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने सृजित पालिसी और लाभान्वित पालिसी का जो अन्तर बताया, उसमें लगभग 33 परसेंट लोगों को लाभ मिला। इसका आधार आप क्रोप कटिंग के आधार पर करते हैं या सैटेलाइट इमेजिंग के आधार पर करते हैं?

दूसरा, यह जो आपने कहा, रबी 2023 की बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है, मार्च के बाद रबी की फसल भी नहीं बचती, तो इसमें गणना करने के लिए बचा क्या है? यह गणना कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने कहा कि क्रोप कटिंग जो एक्सपैरिमेंट है, वह भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होता है। उसमें जो-जो भी वहां उपस्थित रहते हैं- गिरदावर, पटवारी, बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि, वे लोग करते हैं। उसमें कोई शिकायत आती है तो बाद में कमेटी में जाकर उसका भी निस्तारण होता है, परन्तु जो बात आपने कही है 2022-23 की, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि रबी 2022-23 उपज परिणामों की प्रविष्टि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है एवं बीमा कम्पनियों को राज्यांश प्रीमियम का भुगतान भी जारी है। 1 हजार 55 करोड़ का भुगतान हम कर चुके हैं और केवल 210 करोड़ का राज्यांश प्रीमियम चुकाना बाकी है। अगले 15 दिन में वह कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जब तक सरकार राज्यांश पूरा नहीं देगी, इंश्योरेंस कम्पनी के पोर्टल पर दर्ज रह जाये, वे इंश्योरेंस का क्लेम जारी नहीं करेंगे। इन्होंने बड़ी कृपापूर्वक 01 हजार करोड़ दे दिये। अभी ये 285 करोड़ रुपये जो बकाया हैं, ये कब तक दे देंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैंने बताया न आपको, 15 दिन में भुगतान कर देंगे उसका।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

फलौदी में जे जे वाई नलकूपों का संचालन

494. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जे जे वाई के विभाग को सुपुर्द नलकूपों में से कितने नलकूप पूर्णतया बन्द हैं? क्या सरकार उक्त को सुचारु रूप से चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु अलग से बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत माह मई, 2022 से 385 जनता जल योजनाएं विभाग द्वारा संधारित की जा रही हैं। इन सभी योजनाओं पर एक-एक नलकूप स्थापित थे। माह मई, 2022 की स्थिति अनुसार इन 385 नलकूपों में से 96 नलकूप बन्द पाये गये थे।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इन बन्द नलकूपों में से 36 नलकूपों को नलकूप में लोरिंग पाइप बढ़ाकर/खराब पम्प मोटरों, केबल, स्टार्टर पैनल इत्यादि की मरम्मत करवाकर चालू किया जा चुका है। शेष 60 बन्द/सूखे नलकूपों में से 18 बन्द/सूखे नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूपों के निर्माण की स्वीकृतियां विभाग द्वारा जारी की जा चुकी हैं। सभी 18 नलकूपों का ड्रिलिंग कार्य पूर्ण कर 9 नलकूपों को चालू किया जा चुका है। शेष 9 नलकूपों को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।

शेष 42 बन्द/सूखे नलकूपों के स्थान पर आवश्यकतानुसार नवीन नलकूप निर्माण की स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मद 2215-01-102-03-00-28 में इन नलकूपों पर कार्यरत कर्मचारी, विद्युत बिल व मरम्मत हेतु बजट का प्रावधान रखा गया था, जिसके तहत विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जनता जल योजनाओं पर राशि 258.42 लाख रुपये का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पम्प चालकों के मानदेय भुगतान हेतु बजट मद 2215-01-102-03-00-41, नलकूपों के संधारण हेतु बजट मद 2215-01-102-03-00-21 व विद्युत व्यय हेतु बजट मद 2215-01-102-03-00-19 में बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 12.07.2023 तक कुल राशि 244.47 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया कि मई, 2022 तक 96 ट्यूबवैल्स बन्द थे। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 3 साल तक इस विभाग ने किसी भी जे जे वाई ट्यूबवैल को सुधारा नहीं। फिर आपने ठीक करना शुरू किया। बड़ी अच्छी बात है। देर आयद-दुरुस्त आयद। फिर भी मेरे यहां 42 ट्यूबवैल्स अब तक बन्द पड़े हैं। आप इतना सा बता दीजिये कि उन 42 ट्यूबवैल्स को आप कब तक शुरू करवा देंगे?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल पहले हमारे पास यह स्कीम नहीं थी। जे जे वाई का पिछले साल बजट में अनाउंसमेंट था माननीय मुख्य मंत्री जी का। मई, 2022 से हमें जे जे वाई योजना ट्रांसफर हुई। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जे जे वाई की 7,740 योजनाओं में से जो 6,468 चालू थीं और 1,272 बन्द थीं। हम इनमें से करीब 250 चालू कर चुके हैं। इनके स्टाफ की भी मैं आपको जानकारी देता हूं। कुल पम्प चालक इसमें 7,144 थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, please be relevant with Phalodi. 96 नलकूपों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं वे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह जो 42 नलकूपों के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, हम इन्हें यथा सम्भव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले जे जे एम नहीं होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जे जे वाई और जे जे एम का सामंजस्य बैठाकर जहां-जहां जैसी आवश्यकता है, उसे पूरा कर रहे हैं। हमने पहले भी कुछ नलकूपों की मरम्मत करके, मोटर बदलकर, दूसरे काम करके उन्हें चालू किया है।

माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इनको यथाशीघ्र पूरा करेंगे। मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि हम इनको बाद में सतही जल स्रोत से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके फलौदी के 310 गांव हैं। हमने उन 310 गांवों के लिए योजनाएं बनाई हैं। हम इसको जे जे एम के तहत भी पूरा करेंगे।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बजट सत्र में घोषणा की थी कि 40 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल देंगे। आप 40 हैण्डपम्प के एवज में दूसरे ट्यूबवैल देने की मंशा रखते हैं? यदि रखते हैं तो अधिकारियों को निर्देशित कर दीजिये।

दूसरा, आपने कहा कि जे जे एम शुरू हो रहा है, परन्तु जे जे एम के तीन बार टेंडर कैंसिल हुए हैं। अब आप चौथी बार लगा रहे हैं परन्तु जे जे एम होते-होते कम से कम एक साल लगेगा। उससे पहले इन ट्यूबवैल का जारी रहना अति आवश्यक है, इसलिए इन ट्यूबवैल को चालू करवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हम इनको यथासम्भव दिखवा रहे हैं। आपने जिन

(डा. महेश जोशी)

40 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल की बात की है, हमने इस बारे में यह तय कर रखा है कि अगर किसी विधान सभा क्षेत्र से 40 हैण्डपम्प की बजाय ट्यूबवैल की मांग होती है तो उस खर्च के हिसाब से जितना खर्चा 40 हैण्डपम्प पर होता है, हम उतने नलकूपों की स्वीकृति दे देते हैं। आपके यहां से प्रस्ताव भिजवाइये, वे भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्रीगंगानगर में डी एम एफ टी से विकास कार्य

495. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डी एम एफ टी में जमा राशि को उसी जिले के विकास कार्यों में व्यय किया जाता है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जिला श्रीगंगानगर में उक्त फंड में कितनी राशि जमा हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त फंड से श्रीगंगानगर जिले की समस्त पंचायत समितियों में कौन-कौन से विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? पंचायत समितिवार, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को उक्त फंड से राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12.07.2021 के अनुसार ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फंड में वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में जमा हुई राशि का वर्षवार विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**जमा राशि (रुपये लाखों में)**
1	2020-21	198.95
2	2021-22	247.85
3	2022-23	406.88

(श्री रामलाल जाट)

(2) उक्त अवधि में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फंड से श्रीगंगानगर जिले की 06 पंचायत समितियों में विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि का पंचायत समितिवार कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15 के उप-नियम (3)(i)(A)(b) में खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु ट्रस्ट फंड के उपयोग के सम्बन्ध में समुचित प्रावधान किये गये हैं। सम्बन्धित उप-नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि नियमों में खनन प्रभावित क्षेत्रों से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय के अधिकार जिले की गवर्निंग काउंसिल को प्रदत्त होने से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया जाता है।

(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि डी एम एफ टी फंड में श्रीगंगानगर जिले के अन्दर 485.83 लाख रुपये जमा हुए हैं इसके बावजूद भी यह पूरी राशि अब तक व्यय क्यों नहीं की गई है?

दूसरा, मेरा सवाल है कि मुझे जो जवाब दिया गया है, उसके अन्दर मैंने गंगानगर जिले के बारे में पूरा पूछा था। उसके अन्दर 9 पंचायत समितियां आती हैं जबकि इसके अन्दर सिर्फ 6 पंचायत समितियों का ही ब्यौरा दिया गया है जिसके अन्दर अनूपगढ़ और घड़साना पंचायत समिति भी है और जो सर्वाधिक खनन क्षेत्र है। वहां डी एम एफ टी फंड का पैसा नहीं दिया गया है। अब ये जो आधा अधूरा जवाब दिया गया है उस पर आप इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सदस्या का प्रश्न है, गंगानगर डी एम एफ टी में 583.17 लाख रुपये जमा हैं और खर्च क्यों नहीं किया गया, जब भारत सरकार ने 2016 में प्रावधान जारी किये, प्रधान खनिज 30 परसेंट, अप्रधान के लिए 10 परसेंट रायल्टी का जमा होता है। डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी थी। उसको चैंज किया, जिला कलेक्टर को बनाया। फिर जिला प्रभारी मंत्री बनाये। अभी वापस यह अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। उसके तहत वहां के विधायक,

(श्री रामलाल जाट)

गवर्नमेंट के नोमिनी मेम्बर होते हैं। इन्हीं को उसी कानून के तहत अधिकार दे रखा है। जो वह पैसा जमा है, उसके आधार पर आप खुद ही खर्च करें।

जहां तक 9 पंचायत समितियां और 6 में खर्च हुआ है। उसके पीछे जो कारण हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन पंचायत समितियों में घड़साना के प्रस्ताव मीटिंग होने के बाद, जो इनकी लास्ट मीटिंग थी दिनांक 24.03.2021, उसके बाद प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनकी 2 पंचायत समितियां रायसिंहनगर, करणपुर हैं। इनके प्रस्ताव अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं। आप इनकी जल्दी ही मीटिंग बुलायें। मैं आश्वस्त कर देता हूं कि मैं आपकी मीटिंग के लिए यहां से डायरेक्शन जारी करवा दूंगा। आप तत्काल मीटिंग करें। आपका जो पैसा है, आप ही को अधिकार है।

जहां तक पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वैसे तो आपने एक भी प्रस्ताव नहीं दिया है, मैंने कमेटी की डिटेल भी मंगवाई तो उसमें एक भी प्रस्ताव पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं है। उस मीटिंग में इन्हीं को अधिकार है। जिला कलेक्टर साहब को ये डायरेक्शन दे देंगे। यदि वे प्रस्ताव नहीं आते हैं तो आप स्वयं वहां के एन जी ओ या संस्था या जन-प्रतिनिधि से मिलकर उनको पाबन्द करें, ताकि पर्यावरण नियंत्रण भी हो सके और इनकी मीटिंग जल्दी हो सके, जो इनके प्रस्ताव हों।

इनकी पंचायत समिति अनूपगढ़ है। उसमें इन्होंने 12 काम दिये हैं। वे 12 काम स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 पूरे हो गये हैं और 5 भौतिक रूप से पूरे हो गये हैं, रिकार्ड में अब दर्ज होने हैं। एक कार्य अप्रारम्भ है। इन्होंने कार्यकारी एजेंसी चैंज करने के लिए लिखा है। बाकी अभी मीटिंग के बाद इन्होंने और 12 काम के प्रस्ताव दे रखे हैं। मीटिंग में जो स्वीकृत हो जायेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही को अधिकार है, खुद ही को वह काम करना है। इन्हीं का पैसा है, इन्हीं को खर्चा करना है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैंने प्रस्ताव भी दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित कुमार ओस्तवाल। माननीय सदस्य बैठें। आपका इतना एग्जास्टिव उत्तर आ गया है। आपको बता दिया है, आप काउंसिल में जाइये।

धमोतर पंचायत समिति (प्रतापगढ़) के कार्यालय का निर्माण

496. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति धमोतर जिला प्रतापगढ़ में पंचायत समिति कार्यालय हेतु जमीन आबंटित की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के कार्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पंचायत समिति धमोतर, जिला प्रतापगढ़ में पंचायत समिति कार्यालय हेतु जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 18.12.2020 को जमीन आबंटित की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला परिषद् द्वारा सम्बन्धित फर्म को पंचायत समिति भवन निर्माण का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। भवन निर्माण 02 जुलाई, 2024 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना सा जानना चाह रहा हूं कि कार्यादेश कब जारी हुआ और किस फर्म को हुआ और राशि कितनी है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जयनका कंस्ट्रक्शन कम्पनी को आदेश दिया है, प्रशासनिक स्वीकृति 10.06.2022 को, प्रथम किस्त जारी की है 98.30 लाख और टोटल है 2 करोड़ रुपये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10.06.2022 को कार्यादेश जारी हुआ और कार्य समाप्ति?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निविदा जो है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठे-बैठे नहीं, पहले आप सुन लें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): कार्यादेश दिनांक 10.06.2022 को जारी हुआ और कार्य समाप्ति की दिनांक लिख रहे हैं 02 जुलाई, 2024 तो दो वर्ष का समय मिलता है क्या?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति ए एस व एफ एस 10.06.2022 को जारी हुई है। आपके टेंडर 11.05.2023 को हुए हैं और 27.06.2023 को वर्कआर्डर दिया है और भवन निर्माण पूर्ण दिनांक 02.07.2024 को होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने की कार्ययोजना

497. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राशन डीलरों की मांग पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 में नियमितीकरण कर सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राशन डीलरों की आयु 55 वर्ष से अधिक होने पर उचित मूल्य दुकानदारों के स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) राशन डीलरों की मांग के अनुसार राजस्थान कान्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 में नियमितीकरण कर सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) राशन डीलरों की आयु 55 वर्ष से अधिक होने पर उचित मूल्य दुकानदारों के स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने का प्रकरण वर्तमान में परीक्षणाधीन है।

(3) राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने संबंधी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, पी डी एस सिस्टम की आप्टिमम कंडीशन में तीन किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से 25 से 30 क्विंटल अलाट होता है, कमीशन 3000 बनता है। उसमें

(श्री बिहारीलाल)

दुकान का किराया, बिजली का बिल, पोस मशीन की सिम का रिचार्ज, पेपर रोल खर्च इत्यादि, तो क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों के लिए किराया का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केन्द्र की तरह से करने और शेष व्यय की प्रतिपूर्ति का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें भारत सरकार के रूल्स व रेगुलेशन बने हुए हैं, उनके अनुसार निर्धारित किया जाता है। मैं खुद भी चाहता था कि राशन डीलर बहुत बड़ी तादाद में हैं, 27 हजार हैं। उनको लेकर हमने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में हम यह चाहते थे कि पूरे देश में स्टडी करवा ली जाये, हर प्रदेश में। इनको इतना पैसा तो मिले, जिससे उनको परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास यह रिपोर्ट है कि राशन डीलर ने इस्तीफे दे दिये हैं, क्योंकि कई जगह बहुत छोटे है। कुछ विधायक यह चाहते थे कि 250 पर भी कर दिया जाये, लेकिन जहां 250 पर कर रहे हैं वे तो हट रहे हैं, वे तैयार नहीं हो रहे हैं तो हमने भारत सरकार का भी लिखा है और राज्य सरकार को भी लिखा है। हम खुद चाहते हैं कि इनका मानदेय बढ़े और वह कोशिश हम पूरी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

पाली में नन्दघर का निर्माण

498. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 25,000 आंगनबाड़ियों को नन्दघर बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला पाली में कहां-कहां पर नन्दघर बनाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में नन्दघरों हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब आबंटित की गई व कितना बजट व्यय किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 25,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध रूप से नन्दघर के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार एवं अनिल अग्रवाल फाउण्डेशन के मध्य दिनांक 08.02.2022 को एम

(श्री टीकाराम जूली)

ओ यू हस्ताक्षरित किया गया। इस एम ओ यू के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 976 आंगनबाड़ी केन्द्रों को नन्दघर के रूप में विकसित किया जा चुका है तथा 509 आंगनबाड़ी केन्द्रों को नन्दघर के रूप में विकसित किये जाने का कार्य प्रगतिरत है।

एम ओ यू के अन्तर्गत 13 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था, जिनमें पाली जिला सम्मिलित नहीं है। इन जिलों में नन्दघर अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी नन्दघर अपग्रेडेशन का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(2) जी नहीं। प्रथम चरण में पाली जिला शामिल नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है। नन्दघर हेतु समस्त आवश्यक कार्यों का व्यय अनिल अग्रवाल फाउण्डेशन द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि 13 जिलों का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? प्रथम चरण में पाली को शामिल नहीं करने का कारण क्या है? राज्य सरकार नन्दघर योजना में व्यय का विचार रखती है क्या?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13 जिलों का चिन्हीकरण किया गया है तो उसी समय एम ओ यू के आधार पर एरिया ज्यादा क्रिटिकल है उसको ध्यान में रखते हुए वे 13 जिले लिये गये थे।

दूसरा, आपने कहा, इसके अन्दर राज्य सरकार व्यय करने का विचार रखती है, तो नन्दघर का कार्य सिर्फ फाउण्डेशन ही करेगा, इसके अलावा हमारी जो रेगुलर स्कीम्स चलती हैं विभाग की, उनके द्वारा हम उसका करेंगे।

आपने तीसरा पूछा कि कब तक करेंगे तो अभी हमने बात की है उनसे, क्योंकि सी एस आर के तहत ही यह एक्टिविटी उनकी संचालित है और उन्होंने इसको जल्दी ही पूरा करवाने का आश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एम ओ यू हुआ है आपका इसके अन्दर 08.02.2022 को। चरणबद्ध तरीके से आपने एम ओ यू किया। पहले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
चरण के अन्दर कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों को नन्दघर के रूप में विकसित करने का आपने लक्ष्य रखा था और चूंकि तारीख लम्बी निकल गयी 08.02.2022 से तो अब तक कितने नन्दघरों को आपने विकसित कर दिया इन 13 जिलों में?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): प्रथम चरण में आठ हजार नन्दघर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था और जिसमें से अभी तक हमने 976 को विकसित कर दिया है और 509 पर अभी काम चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): तो क्या आप संतुष्ट हैं? दो साल के अन्दर आठ हजार के लक्ष्य में 976 आप करते हो एक बड़े उद्योगपति से, तो क्या यह उचित बात है? आप इससे संतुष्ट हैं?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देखिये, यह काम समय पर पूरा होना चाहिये था। डिले हुआ है, इसके लिए अभी हमने डाइरेक्शन दिये हैं कि जल्दी ही वे इस काम को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

बीकानेर के मेजर पूर्णसिंह चौराहे से अम्बेडकर चौराहे तक सड़क का चौड़ाईकरण

499. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक बीकानेर के मेजर पूर्णसिंह चौराहे से अम्बेडकर चौराहे तक सड़क चौड़ाईकरण का कार्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मार्ग पर सरकारी व निजी बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में सरकार की अनुमति से मेजर पूर्णसिंह चौराहे से ब्रह्मकुमारी चौराहे तक तथा मेडिकल कालेज चौराहे से ओवरब्रिज तक बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व किस आदेश से? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग तकनीकी रूप से संचालन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 09.06.2022 से पी बी एम अस्पताल के सामने लोक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था हेतु सरकारी व निजी बसों को मेजर पूर्णसिंह चौराहे से ब्रहमकुमारी चौराहे, मेडिकल कालेज चौराहे से सरदार पटेल मेडिकल कालेज चौराहे से रानी बाजार पुलिया होते हुए रोड नम्बर 5 की तरफ निकाला जा रहा है।

(3) जी हां। कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग-बीकानेर के आदेश क्रमांक 646 दिनांक 08.06.2022 एवं कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के पत्रांक 3175 दिनांक 09.06.2022 से बसों का संचालन किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

उक्त मार्ग को बस संचालन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी रूप से अनुपयुक्त नहीं माना गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्षजी, सीधा प्रश्न कर लूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सीधा उत्तर मांग रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या यह सही है कि विभाग द्वारा तकनीकी रूप से इनको अनुपयुक्त नहीं माना गया, बल्कि वास्तव में यह स्थिति है कि जो चौराहे हैं वहां पर तीन-चार, वे टेक्निकल रूप से सही नहीं हैं तथा सड़क मार्ग भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, तो यदि यह सही है तो सरकार उक्त चौराहों को टेक्निकल रूप से सही करने का विचार रखती है और सड़क मार्ग को दुरुस्त करने का विचार रखती है?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि बसों के संचालन और टेक्निकल रूप से संचालन मार्ग का निर्णय जिला प्रशासन, जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाता है। जहां तक सड़क खराब होने की बात है सड़क टेक्निकल रूप से ठीक है अभी और जहां भी अभी भी सड़क का कार्य स्वीकृत है, जो आपकी सड़क है मेजर पूर्णसिंह सर्किल से ब्रहमकुमारी सर्किल रानी बाजार पुलिया सड़क तक, यह वर्ष 2022-23 में ही बनी थी और 2026-27 तक इसकी वेलिडिटी है और पूर्णसिंह सर्किल से ब्रहमकुमारी सर्किल तक इसी बजट की घोषणा है तो यह मानसून की अभी बरसात हो रही है, बरसात के पश्चात् उस पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

अपात्रों द्वारा ली जा रही पेंशन पर रोकथाम की कार्ययोजना

500. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ई-मित्र संचालकों द्वारा तैयार किये गये डाक्यूमेंट को सही मानकर दिया जाता है? यदि हां, तो इसका वेरिफिकेशन करने का आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सरकार द्वारा अपात्र व्यक्तियों द्वारा ली जा रही फर्जी पेंशन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन केवल वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जो जनाधार मेटाडेटा के अनुसार पेंशन की पात्रता रखते हैं। चूंकि जनाधार का डेटा एक सत्यापित डेटा है। अतः इसके आधार पर पेंशन की स्वीकृति स्वतः बिना मानवीय हस्तक्षेप के जारी की जाती है। दिनांक 02.10.2021 को आटो पेंशन स्वीकृत प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद यदि जनाधार में संशोधन करवाया गया है तो ऐसे आवेदनकर्ता के आवेदन की पेंशन स्वतः स्वीकृत न होकर सत्यापनकर्ता अधिकारी व स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत पेंशन स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) फर्जी पेंशन भुगतान रोकने के लिये विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गएः-

1. दिनांक 02.10.2021 के उपरांत जनाधार में संशोधन करवाने के बाद पेंशन आवेदन करने पर ऐसे आवेदनों को स्वतः स्वीकृत करने के स्थान पर संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी व स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के उपरांत अधिकतम 45 दिन में पेंशन स्वीकृत की जाती है।

2. यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र 45 दिन उपरांत स्वतः स्वीकृत हो जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों का सत्यापनकर्ता अधिकारी व स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा पोस्ट आडिट का कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही एरियर सहित भुगतान प्रारम्भ होता है।

3. सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन केवल बायोमैट्रिक आधारित ही करवाया जा रहा है।

4. पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन केवल बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरांत ही ग्रहण किये जाते हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

5. ऑनलाइन पेंशन का आवेदन करते समय यदि आवेदक की आधार व जनाधार में अंकित आयु में भिन्नता होती है तो ऐसे आवेदन पोर्टल पर प्राप्त नहीं किये जाते हैं।

6. जिन अपात्र व्यक्तियों द्वारा पेंशन प्राप्त की गयी है तो उन पेंशनर्स से भुगतान की गयी पेंशन राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करने की कार्यवाही स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों (SDO/BDO) द्वारा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कितना पैसा देती है और राज्य सरकार कितना पैसा देती है और समय-समय पर लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है क्या?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार पेन्शन खाते में जाती है और इस योजना का लगभग 97 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देती है और जब से माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई है एक हजार रुपये पेन्शन देने की, उसके बाद केन्द्र सरकार का तो लगभग 01 प्रतिशत ही रह जायेगा। मात्र 367 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार देती है बाकी पूरा पैसा लगभग 11,500 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास कार्य

501. श्री बाबुलाल (झाडोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजातियों के उत्थान हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विकास कार्य किये जाते हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किस-किस योजना में कितने कार्य किये गए व कितने कार्य अपूर्ण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। जनजातियों के उत्थान हेतु अनुसूचित क्षेत्र में विकास कार्य किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

1. संविधान की धारा 275(1):- योजनान्तर्गत कुल 1,741 कार्य स्वीकृत किये गये। इस योजना में पेयजल से संबंधित कार्य, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, बहुउद्देश्यीय छात्रावास, खेल छात्रावास, सामुदायिक भवन, राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण एवं छात्रावास मरम्मत संबंधित कार्य करवाये जा रहे हैं।

स्वीकृत कार्यों में से 1,351 कार्य पूर्ण हैं एवं 390 कार्य प्रगतिरत हैं।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA):- योजनान्तर्गत कुल 208 कार्य स्वीकृत किये गये। इस योजना में सम्पर्क सडक एवं पुलिया निर्माण, एनिकट, नहर, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना आदि कार्य करवाये जा रहे हैं। स्वीकृत कार्यों में से 131 कार्य पूर्ण हैं एवं 77 कार्य प्रगतिरत हैं।

3. राज्य निधि मद:- योजनान्तर्गत जनजाति कल्याण निधि वर्ष 2021 से जनजाति कल्याण कोष गठन उपरांत जनजाति भागीदारी योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं में अनुमत कार्य यथा-सम्पर्क सड़क पुलिया निर्माण, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, सामुदायिक भवन, जल संग्रहण ढांचों/एनिकटों, पेयजल योजनाओं आदि निर्माण कार्य संपादित कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत कुल 456 कार्य स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यों में से 58 कार्य पूर्ण हैं एवं 398 कार्य प्रगतिरत हैं।

जिलेवार स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। सीधा प्रश्न।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बार मंत्री जी ने थोड़ी मेहनत करके सारे जिलों को बराबर पैसा देने का काम किया है इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सर्टिफिकेट दे रहे हो आप।

श्री बाबुलाल (झाडोल): इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन दो सवाल जो मेरे मन में हैं वे मैं पूछ लेता हूं। एक तो मंत्री जी ने जो यह मुझे चार्ट दिया है इसमें जो अनुमत काम हैं वो लिखे हैं। इसमें जलोत्थान के जो बन्द पड़े हैं उनको दिखा करके चालू करेंगे क्या?

(श्री बाबुलाल)

दूसरा, मेरा यह है कि जैसे महाविद्यालयों का जिक्र नहीं है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में महाविद्यालय अनुमत हैं क्या काम करने के लिए और काम करने के लिए अनुमत हैं तो उन महाविद्यालयों में जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सारे ट्राइबल होते हैं, वहां रहने की सुविधा नहीं होती है तथा उनका आना-जाना रहता है तो वहां आवासीय हॉस्टल निर्माण करने का विचार रखते हैं? दूसरा, कालेजों की स्थिति यह है कि उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है, उनके पास इतना स्थायी फण्ड भी नहीं होता जो वो करा पायेंगे और रंगरोगन नहीं होता है, तो ये दो-तीन बातें मुझे बता दें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां भी महाविद्यालय के इस तरह के भवन हैं वे हमें अवगत करायें, ताकि हम उसका सर्वे करवाकर, परीक्षण करवाकर गुणावगुण के आधार पर उसके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, राज्य निधि किसमें खर्च होगी उसमें यह एक्टिविटी नहीं है। जब तक यह एक्टिविटी नहीं जोड़ोगे तब तक यह एक्सपेंडिचर नहीं हो पायेगा। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि महाविद्यालय का कंस्ट्रक्शन, महाविद्यालय में हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन, यह गतिविधि इसमें इन्क्लूड नहीं है तो जब तक आप इस गतिविधि को इन्क्लूड नहीं करोगे, तब तक फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं निकल सकती तो क्या सरकार जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उस एक्टिविटी को इसका पार्ट बनायेगी?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आपके निर्देश की पालना की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की दुकानों का आबंटन

502. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर आबकारी की दुकान आबंटन के नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर में आबकारी की दुकानें

(श्री निर्मल कुमावत)

निर्धारित नियमों की अवहेलना करके आबंटित की गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर जिले में आबकारी की दुकानें निर्धारित नियमानुसार ही आबंटित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है खण्ड (2) का, उसका पूरा विवरण नहीं दिया है। हम आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं मीडिया में देखते हैं कि लोगबाग, स्कूल के बच्चे हों, चाहे धार्मिक स्थल हों, धरने-प्रदर्शन होते हैं, गलत दुकान आबंटन हो जाती है तो आपके हिसाब से जयपुर जिले की पूरी दुकानें सही हैं? दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, जयपुर जिले में आपने कहा कि सारी नियमानुसार हैं तो कोई आवेदन, प्रतिवेदन, कोई विरोध, कोई ज्ञापन कुछ भी सरकार को नहीं मिला क्या? एक तो इसका जवाब दें।

नम्बर दो, नेशनल हाईवे पर हम सभी माननीय सदस्य यात्रा करते हैं और जो सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी थी कि हाईवे पर एक्सीडेंट्स कम हों इसलिये दुकान आधा किलोमीटर अन्दर जाने की बात है, मगर कई किलोमीटरों पहले दुकान के बारे में जिस प्रकार से प्रचार-प्रसार होता है आप सब देखते हैं कि 'आपकी नजर किधर है, ठेका इधर है', ऐसे बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। क्या वह नियमानुसार है? क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही करना चाहती है या नहीं चाहती है या वो बिलकुल सही है? यह बतायें आप।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विवरण पूरा दे दिया कि किस मापदण्ड के अनुसार दुकानें आबंटित करते हैं। केवल दो शिकायतें हमको मिली थीं। एक चौमूं की मिली थी जिस दुकान को वहां से ट्रांसफर करवा दिया। दूसरी शिकायत एक फुलेरा की मिली थी आपकी। वह नियमानुसार सही पायी गयी और मुझे डेढ़ साल हो गये आये हुए इस विभाग में, एक भी माननीय सदस्य ने शिकायत नहीं भेजी कि दुकान गलत है या सही है तो अगर शिकायतें आयेंगी तो अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार कार्यवाही करेंगे और जो भी दुकानें आबंटन करते हैं, वे नियम से

(श्री परसादी लाल)

करते हैं। कहीं होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं उसकी भी कोई शिकायत नहीं आयी। शिकायत आयेगी तो सरकार कार्यवाही करेगी। माननीय मुख्य मंत्री का जिस तरह का विजन है, दुकानों की पहले से संख्या भी कम की है। दुकानें नेशनल हाईवे से पांच सौ मीटर दूर भी होंगी। सार्वजनिक स्थानों से दो सौ मीटर दूर होंगी। ऐसे निर्देश के बाद ही दुकानें आबंटित होती हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे पर अपन सब ही चलते हैं, इतने बड़े-बड़े होर्डिंग्स हैं, चाहे पेट्रोल पम्प हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, क्या उसकी भी शिकायत आपको देनी पड़ेगी? क्या डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा? वह नियमानुसार है क्या?

श्री अध्यक्ष: सरकार कम्प्लेंट आने के बाद काम करती है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): यह नियमानुसार सही है क्या? मैं मंत्री जी से इतना-सा ही पूछना चाहता हूं कि प्रचास्प्रसार कई किलोमीटर पहले करते हैं, वह सही है क्या? आप बता दें, सही है तो बात खतम।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): शराब की दुकानों का इस तरह का प्रचार-प्रसार नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर कहीं भी नहीं है, हम भी जाते हैं। अगर हो तो आप शिकायत भेज दो, हम दूर करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जितनी जानकारी है, मंत्री जी ने कहा, आप कम्प्लेन करो, उस पर कार्यवाही होगी।

अगला प्रश्न। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

पशुधन सहायक भर्ती 2022 अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) का परिणाम

503. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पशुधन सहायक भर्ती 2022 अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) का परिणाम जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी नहीं। पशुधन सहायक भर्ती, 2022 के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के स्तर से अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के आरक्षित श्रेणी का परिणाम जारी किया जा चुका

(पशुपालन मंत्री)

है, परन्तु अनारक्षित श्रेणी का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद लम्बित होने के कारण महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार की राय अनुसार जारी किया जाना शेष है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें महाधिवक्ता राजस्थान सरकार की राय के अनुसार जारी किया जाना लिखा है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसका फैसला जल्दी कराये तो बेरोजगारों को उसमें राहत मिल सकती है। विभाग की जिम्मेदारी है कि उसका जल्दी फैसला कराये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वयं माना है कि अनारक्षित श्रेणी का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद लम्बित है। सिर्फ वाद लम्बित है, इसमें कोई स्थगन नहीं है और महाधिवक्ता ने कह दिया कि इसको रोक दो। क्या विभाग महाधिवक्ता के साथ बैठक करके, सिर्फ रिट पेंडिंग होने के कारण, आपने और भी भर्तियां की हैं, आपने कितने परिणाम इस आधार पर रोके हैं? अगर यही रोका है तो इसके बारे में चर्चा करके आप इसको कब ठीक करेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस पर हमने चर्चा भी की है, महाधिवक्ता महोदय से हमने बात भी की है। यह केवल टी एस पी क्षेत्र का मामला है और एक सत्यजीत कुमार बनाम झारखण्ड सरकार का कोई फैसला है। इसमें 197 पद टी एस पी क्षेत्र के थे। 197 पदों के विरुद्ध 91 पद आरक्षित थे, उन 91 की तो भर्ती करके ड्यूटी पर चढ़ा दिया है, 6 पदों का परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रोक रखा है। इसमें 100 अनारक्षित श्रेणी के थे, वे लोग कोर्ट में गये हैं। महाधिवक्ता को हमने कह दिया है, विभाग लगा हुआ है। चूंकि उसमें पार्टी चयन बोर्ड है हो सकता है कि अगली तारीख में फैसला आये, उम्मीद करके चल रहे हैं, तुरंत ही उनको नौकरी दे दी जायेगी।

प्रश्न संख्या 504

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री राजकुमार शर्मा।

पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान

505. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गौशालाओं को वर्तमान में कितना अनुदान दिया जा रहा है? विगत तीन वर्षों में गौशालाओं को कितना अनुदान दिया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (गोपालन मंत्री के स्थान पर): (1) गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम, 2021 अन्तर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं को 270 दिवस की सहायता राशि दो चरणों जिसमें प्रथम चरण (अप्रैल, मई, जून, जुलाई) एवं द्वितीय चरण (नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च) में दी जा रही है।

विगत तीन वर्षों में गौशालाओं को दिये गये अनुदान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चारे की बढ़ती हुई दरों एवं गौशालाओं की मांग पर गौशालाओं को गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम 2021 अन्तर्गत दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 270 दिवस की जा चुकी है।

गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में दी जा रही सहायता राशि की दरों में वृद्धि की गई। बड़े गौवंश हेतु राशि रुपये 32 के स्थान पर राशि रुपये 40 एवं छोटे गौवंश हेतु राशि रुपये 16 के स्थान पर राशि रुपये 20 प्रतिदिन प्रति गौवंश कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चारे की बढ़ती कीमतों के कारण यह राशि अपर्याप्त है, क्या इस राशि में और बढ़ोतरी करने का विचार रखते हैं?

(डा. राजकुमार शर्मा)

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 महीने की बजाय 9 महीने की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। गौ संरक्षण हेतु 12 महीने गौशालाओं को यह राशि मिले, क्या सरकार ऐसा विचार रखती है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह राशि 6 महीने ही मिला करती थी। अशोक गहलोत जी ने जबसे यह कार्यभार संभाला है, गायें कई बार सड़कों पर घूमती रहती थीं, पशुपालक प्रोफिट के आधार पर ही गायों को पालते थे। यह परम्परा खतम हो गई थी, धीरे-धीरे अकाल की स्थिति बढ़ी और राजस्थान में कुछ इस तरह की घटनाएं घटने लगीं जिसमें वाट्सएप पर गायों का पालने का एक प्रचलन चला, लेकिन वाट्सएप पर गाय नहीं पाली जाती, इसीलिए इन्होंने 6 महीने से 9 महीने किया, अनुदान को भी बढ़ाया। फिर 2022-23 के बजट में अलग से नंदीशाला खोलने का काम किया। उसमें 12 महीने नंदीशालाओं में अनुदान देने का काम किया। पिछले बजट में 11,352 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से खोलने का काम किया, इसमें 1,500 ग्राम पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतवाइज देने का भी निर्णय लिया। इसमें केवल बजट का प्रावधान नहीं किया, बल्कि 1,377 करोड़ रिलीज भी किये। 17 जिलों में एक-एक नंदीशाला, जिसमें 12 महीने अनुदान दिया जायेगा। चारे की कीमतें बढ़ने के कारण ही 6 महीने से 9 महीने करने का निर्णय लिया। अभी तक यही व्यवस्था है, जिसे बढ़ाया गया है। माननीय सदस्य की मंशा के अनुसार आगे हम और गायों को पालने के लिये करेंगे। गायों के लिये सरकार की मंशा साफ है। माननीय सदस्य की भावना को पूरा ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही करेंगे। अभी तो गायों को बचाने का समय है। इसमें सबसे बढ़िया निर्णय लिया सोर्टेड सीमन का, जिससे बछड़े ही पैदा नहीं होंगे, 90 परसेंट बछड़िया पैदा हो रही हैं, इसमें भी राज्य सरकार ने अनुदान दिया है। इससे आने वाले समय में इससे निजात मिलेगी। सरकार ने बहुत ही शानदार इस कार्य में कदम बढ़ाया है। इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की भावना है, वह पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर जिला परिषद् द्वारा विधायक स्थानीय विकास योजना के तहत कार्य

506. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, अजमेर द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की स्वीकृति निरस्त किये जाने बाबत पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों को निरस्त किये जाने बाबत लिखे गये पत्र में भूमि की किस्म खातेदारी अथवा कब्रिस्तान बताई गई है? यदि हां, तो यह किस राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्शाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी स्थानों पर पूर्व में विकास कार्यों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा सड़क, नाली, बिजली, पानी की लाइनें डाली गई हैं? यदि हां, तो निजी खातेदारी भूमि अथवा कब्रिस्तान भूमि पर यह विकास कार्य किस नियम के तहत कराये गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। जिला परिषद्, अजमेर द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के आधार पर भूमि की किस्म खातेदारी एवं कब्रिस्तान है। उक्त की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) नगर निगम, अजमेर व अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर से प्राप्त सूचना अनुसार इन विभागों द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार विकास कार्य करवाये गये हैं।

अन्य विभागों से सूचना लम्बित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, आपने वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति, दोनों का समय निर्धारित किया हुआ है, उसके बावजूद मुझे यह पत्र बहुत देरी से मिला। यह देरी से मिलने का क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी, यह पूरे राजस्थान की समस्या है, विशेषकर शहरी क्षेत्र की समस्या है। आप इसके एनक्लोजर में देखेंगे तो आप पायेंगे कि नगर निगम द्वारा कार्य कराया गया

(श्रीमती अनिता भदेल)

है, पी एच ई डी द्वारा कार्य कराये गये हैं, अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा कार्य कराये गये हैं। जिस अजमेर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेंसी बनाया था, उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने नहीं कराये, परंतु मैं ऐसे प्रमाण दे सकती हूं कि उन्होंने कच्ची बस्ती के तहत, इसकी क्रम संख्या 1 व 2 पर जो कार्य उल्लिखित है, अजमेर वार्ड संख्या 34 गुर्जर धरती, हीरा बैण्ड वाली गली और 2 नंबर पर उल्लिखित है, अजमेर वार्ड संख्या 34 गुर्जर धरती की पहली गली व दीपचंद जी की गली। इन दोनों गलियों में कच्ची बस्ती के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने स्वयं ने कार्य कराये हैं। ऐसी क्या स्थिति है कि यदि विधायक अपने विधायक कोष से उक्त क्षेत्रों में कार्य कराना चाहे तो वह नहीं करा सकता, बल्कि स्वयं नगर निगम करा सकता है, अजमेर विकास प्राधिकरण करा सकता है, पी एच ई डी वहां लाइन डाल सकती है, विद्युत वितरण निगम वहां पोल डाल सकती है। वहां वर्षों पुरानी आबादी है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न तो मेरा यही पूछना है कि फिर विधायक कोष से यह कार्य क्यों नहीं कर सकते और जो पत्र आपने मुझे लिखा है, वह इतनी देरी से क्यों लिखा है? आप टाइमली लिख देते तो शायद वह कार्य हो जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछूंगी।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी ए डी ए के द्वारा हमारे पास आई थी कि यह कब्रिस्तान भूमि है और खाते की भूमि है। इनका लैटर आने के बाद में हमने विभाग को लिखा, लिखने के बाद जो हमारे 2010 के नोर्म्स हैं, उनके अनुसार ही कार्य किया जायेगा। दूसरा, इनका बिन्दु है कि पी एच ई डी, अजमेर डिस्कॉम है, वह पैसे जमा कराता है, वह काम कहीं भी कर सकता है। निगम भी इस प्रकार कार्य कर सकता है। हमारी जो मार्गदर्शिका, 2010 बनी हुई है, उसके अनुसार ही काम करेंगे। उस भूमि का टाइटल क्लियर होगा तो वहां विकास के कार्य कराये जा सकेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना-सा जानना चाह रही हूं कि ये विधायक कोष की अनुशंसा से कार्य होते हैं। अजमेर नगर निगम क्षेत्र का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जहां पर पूर्व में अन्य विभागों द्वारा कार्य नहीं कराये गये। यह पहली नयी सड़क नहीं बन रही है। सड़क के ऊपर ही सड़क बनाने की कोशिश की गयी थी, क्योंकि पुरानी सड़क टूट गयी थी। जब नगर निगम सड़क बना सकती है, और तो और

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल 15 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एल एस जी की सड़कों का शिलान्यास किया। इन एल एस जी की सड़कों में वही सड़कें हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, please be brief. आपका समझ में आ गया। माननीय मंत्री जी, इनका यह कहना है कि उस जमीन पर दूसरे विभाग वाले काम कर रहे हैं तो विधायक के फंड से काम क्यों नहीं हो रहा है?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारी भूमि का टाइटल क्लियर हो। ये यहां तक आयी हैं, ये लगातार विधायक हैं। कम से कम 90-बी की किस्म परिवर्तन करा लेतीं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह पहला बिन्दु है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमने इनका लैटर आने के बाद प्रयास किये और एफ डी तक भेजा था। उन्होंने उस चीज को नहीं माना। फिर भी, क्योंकि इनकी भावना ठीक है कि ऐसा काम होना चाहिए, तो मैं एक राज्यस्तरीय कमेटी का गठन करता हूं, वह एक महीने में रिपोर्ट पेश करेगी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 90-बी की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया, प्लीज, I will not allow it. आप बैठें। अगला प्रश्न। श्रीमती मनीषा पंवार। Please, don't do that. I am on legs.

शेरगढ़ में नवीन राशन की दुकानें

507. श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर) (श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़) के स्थान पर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी लाइसेंसशुदा राशन की दुकानें कहां-कहां कब से संचालित हैं? पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर राजस्व गांव राशन की दुकानों से वंचित हैं? यदि हां, तो उक्त गांवों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में नवीन दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्लीज, बैठे-बैठे बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी। खाद्य मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य: मंत्री जी पर दबाव है।

श्री अध्यक्ष: दबाव ज्यादा नहीं हैं, वे रिलेक्स हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 176 उचित मूल्य दुकानों का पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पंचायत समिति	उचित मूल्य की दुकानें
1	बालेसर	48
2	सेखाला	50
3	शेरगढ़	78
	योग	176

उक्त उचित मूल्य दुकानों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कोई भी राजस्व गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने से वंचित नहीं है।

(3) विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चयनित राशन कार्डों एवं यूनिटों को ही पात्रता के मापदण्डों को आधार मानकर 500 राशन काड्र्स की संख्या अथवा 2,000 यूनिट के आधार पर नई उचित मूल्य दुकान खोलने के नियम निर्धारित हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन उचित मूल्य दुकान सृजन हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: कोई सप्लीमेंट्री नहीं।

प्रश्न संख्या 508

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

509. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीदासर से कालू स्टेट हाईवे स्थित श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने कट्टानी मार्गों पर रेलवे अण्डरब्रिज बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रस्तावित अण्डरब्रिजों के निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे अण्डरब्रिजों की व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं। यह आर ओ बी कार्य वर्तमान में किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। इस कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कट्टानी मार्गों पर रेलवे अण्डरब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) अण्डरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 2 पर ही पूछना चाहता हूं। अंडरब्रिज पर जो कट्टानी मार्ग है, उस पर लगातार तीन महीनों से धरना चल रहा है। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव आया या नहीं, मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार जहां कट्टानी रास्ते हैं, डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में धरना चल रहा है, वहां के प्रस्ताव मंगवाये जायें।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने कट्टानी मार्गों का पूछा है। कट्टानी मार्गों के अन्दर अभी भी नरसरीसर से कुचोर मार्ग पर एस आर एफ के तहत 4 करोड़ 38 लाख रुपये का कार्य प्रगति पर है। आपके विधान सभा क्षेत्र में कट्टानी मार्गों के ऊपर तकरीबन आर यू बी शायद पहले से

(श्री भजनलाल जाटव)

भी निर्माणाधीन है। जैसा कि आपने बताया कि वहां पर धरना चल रहा है। आपका मैन उद्देश्य जो कि मुझे समझ में आ रहा है, वह आर ओ बी का है। आप लोग कह रहे हैं कि आर ओ बी का निर्माण होना चाहिए। यह है, समपार संख्या 224 किलोमीटर/388/1-2 पर। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं निश्चित तौर पर आपको आश्वासन देता हूं कि जो आर ओ बी का निर्माण है, उसकी मैं शीघ्र ही डी पी आर बनवा लूंगा और जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे, उसको स्वीकृत कर देंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले डी पी आर बनानी पड़ती है। मैं इसकी डी पी आर के लिए आपको आश्वासन देता हूं कि अधिकारियों को शीघ्र दिशा-निर्देश दूंगा और इसकी डी पी आर बनाकर तैयार करा देंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): इसके लिए धन्यवाद। अंडरब्रिज की समस्या आम किसान के सामने आ रही है, अंडरब्रिज के भी साथ में प्रस्ताव मंगवाये जाएं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके सात कट्टानी क्षेत्र हैं। आपने मेरे से व्यक्तिगत नहीं पूछा कि इसका होना चाहिए। इसमें आपके जो कट्टानी क्षेत्र सात और हैं। जो कट्टानी मार्ग हैं, बिगदावास से समसरा मार्ग, बिगदावास से बीदासर मार्ग, श्रीडूंगरगढ़ से पुंदलसर मार्ग, दुसारसणा से श्रीडूंगरसर मार्ग, दुलाचा से भुजास मार्ग, दुलाचा से बासी मयान मार्ग और दुलाचा से सावनसर मार्ग। आप मुझे व्यक्तिगत मिलकर, आपकी जो प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर बतायेंगे तो निश्चित तौर पर करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति

510. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का नियम एवं मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो नियमों व मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या सरकार महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बालिका फाउन्डेशन द्वारा देय छात्रवृत्ति बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति दिये जाने के निर्धारित नियम एवं मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। उक्त योजनाओं में छात्रवृत्ति राशि बढ़ाये जाने का कार्य उक्त मंत्रालयों द्वारा ही किया जाता है।

(3) माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय छात्रवृत्ति योजनाओं में राशि बढ़ाने का विचार प्रक्रियाधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार के बजट से नहीं दी जाती है? क्या कारण है? क्या राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपका क्वेश्चन गलत है कि हम राशि नहीं देते हैं। एस टी की राशि 75:25 के रेशो में हम देते हैं और ओ बी सी की राशि 60:40 के रेशो में हम देते हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने इसमें नहीं बताया। मेरा यह निवेदन है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा छात्रवृत्ति को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्या बढ़ाने का विचार है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा के लिए आठ योजनाएं संचालित हैं, जिनमें गार्गी पुरस्कार योजना है। माध्यमिक शिक्षा में जो बच्ची 75 प्रतिशत से अधिक नम्बर लेकर आती है, उसको 11वीं और 12वीं में हम तीन-तीन हजार रुपये देते हैं। दूसरी योजना है, बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके अन्दर 12वीं कला, वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक जो बच्चियां लेकर आती हैं, उनको हम 5 हजार रुपये एवं प्रमाण-पत्र देते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की जो टॉपर बच्चियां हैं। 8वीं की आठ बच्चियों को, सभी वर्गों की एक-एक बच्ची को 40-40 हजार। 10वीं की आठ बच्चियां जो कि सभी वर्गों की हैं, उनको 75 हजार और 12वीं के तीनों वर्गों के अन्दर कला, वाणिज्य, विज्ञान की जो आठों कैटेगरी है, उनकी बच्चियों को एक लाख और स्कूटी सरकार की तरफ से हम देते हैं। चौथी योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, जिले में सरकारी स्कूल में प्रथम दो पर जो टॉपर बच्चियां हैं और एक प्रथम वह बच्ची जो अनाथ है और एक टॉपर वह बच्ची जो बी पी एल है। इन चार बच्चियों को हम 1 लाख 15 हजार रुपये, 11वीं और 12वीं के लिए देते हैं। उसके बाद पी जी तक सवा दो लाख रुपये हर साल उन बच्चियों के लिए हम देते हैं। फिर है आपकी बेटी योजना, इस योजना के अंतर्गत जो बी पी एल के परिवार हैं, उनकी बच्चियों को 1 से 12 में जो पढ़ रही हैं, उनको 1 से 8 तक 2,100 रुपये और 9 से 12 तक जो पढ़ रही हैं, उनको 2,500 रुपये हम सरकार की तरफ से देते हैं। शारीरिक अक्षम जो बच्चियां हैं, उनको हम 1 से 8 तक 2,000 रुपये और 9 से 12 तक 5,000 रुपये देते हैं। मूक बधिर और नेत्रहीन को भी इसी प्रकार से 2,000 रुपये और 9 से 12 में 5,000 रुपये हम देते हैं। जो बच्चियां राजस्थान की दसवीं की मेरिट में आती हैं, पूरे राजस्थान के अंदर तीन पायदान के ऊपर, उन बच्चियों को अगर वह विदेश जाना चाहती हैं तो 12वीं के बाद में चार साल के लिए 25-25 लाख रुपये, यानी कि एक करोड़ रुपये, की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। ये सारी योजनाएं राज्य सरकार की हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन था मंत्री जी से पूछने का कि इस महंगाई के जमाने में जब महंगाई इतनी मुंह फाड़ रही है तो क्या इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चियों को बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाने का विचार क्यों नहीं है सरकार का? यदि छात्रवृत्ति बढ़ेगी तो बच्चियां पढ़ेंगी। अब आप इतनी रेवड़ियां बांट रहे हैं तो थोड़ी-सी इन बच्चियों को दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। माननीय सदस्य, प्लीज। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन पता नहीं छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे, फिर लोगों की तनख्वाह बढ़ाएंगे, फिर आमदनी बढ़ाएंगे, ये सारे काम करने की बजाय आप मोदी जी से कहो कि वह महंगाई कम कर दें, ताकि पूरे देश की जनता को राहत मिल जाए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यदि मोदी जी को ही करना होगा तो राज्य सरकार क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा। लिमिट हो गई बिलकुल।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न 511.

उदयपुर जिले में टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक

511. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में टी.एस.पी. क्षेत्र में नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के कर्मचारी पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी तहसील में कितने-कितने कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्थापित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी को नॉन टी.एस.पी. में भेज कर रिक्त पदों पर टी.एस.पी. एरिया के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न स्थगित किया गया।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: जो प्रश्न है जिस पर माननीय सदस्य नहीं आये हैं, मंत्री जी जवाब देंगे। श्रीमती शोभारानी (अनुपस्थित)।

धौलपुर में चम्बल लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित ग्राम पंचायतें

504. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) (श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर) के स्थान पर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी ग्राम पंचायतों में शेष हैं? शेष ग्राम पंचायतों का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में चम्बल लिफ्ट परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा कितनी शेष हैं? उक्त शेष का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पंचायत समिति धौलपुर की 21 ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति सैंपऊ की 16 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन सभी 37 ग्राम पंचायतों के 167 ग्रामों में से 162 ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद् पेयजल परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

शेष 5 ग्रामों में से 2 ग्राम क्रमशः पुरानी छावनी एवं तगावली नगर परिषद्, धौलपुर सीमा में आने के कारण तथा 3 ग्राम यथा सरेखी का पुरा, नंगला मोरोली एवं चक जलालपुर गैर आबाद होने के कारण जल जीवन मिशन अंतर्गत सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो ग्राम नगर परिषद् धौलपुर सीमा में आ गये हैं, अमृत-2 योजना के अंतर्गत उन योजनाओं को हमने स्वीकृत करा लिया है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर का कोई भी ग्राम चम्बल लिफ्ट परियोजना आधारित पेयजल परियोजना में लाभान्वित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की 07 ग्राम पंचायतों के 35 ग्रामों की जल मांग एवं इनमें से 22 ग्रामों के आंतरिक तंत्र को सम्मिलित करते हुए पंचायत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

समिति, धौलपुर एवं राजाखेड़ा के 190 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु चम्बल लिफ्ट परियोजना आधारित वृहद् पेयजल परियोजना की राशि रुपये 343.39 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 27वीं बैठक दिनांक 03.09.2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 205.04 करोड़ की तकनीकी समिति की 714वीं बैठक दिनांक 07.01.2022 के द्वारा एवं संशोधित तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 251.25 करोड़ की तकनीकी समिति की 722वीं बैठक दिनांक 15.06.2022 के द्वारा जारी की गई।

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 09.09.2022 को आमंत्रित की गई थी, जिसे वित्त विभाग द्वारा दिनांक 02.01.2023 को जारी निर्देशों के क्रम में वित्त समिति की 834वीं बैठक में दिनांक 18.01.2023 के द्वारा पत्रित कर दिया गया। परियोजना कार्यों की पुन: निविदा दिनांक 24.05.2023 को प्राप्त की जा चुकी है, वर्तमान में निविदा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात् 20 माह की अवधि में परियोजना के कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया और चम्बल लिफ्ट योजना में से राजाखेड़ा और धौलपुर इनके दोनों पंचायत समितियों के कुछ गांवों की संख्या इन्होंने बताई, उनको लाभान्वित करने की बात कही। 363 करोड़ की योजना आपने 30.09.2021 को स्वीकृत की। फिर इसको संशोधित करके 305 करोड़ रुपये किया। इस सफर में आपका 22.01.2022 का समय आ गया। फिर इसको 251 करोड़ किया, फिर समय लगा और आज 24.05.2023 को आप कह रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। ये योजना सैद्धांतिक रूप से बजट में कब घोषणा की गयी थी और आज कितने समय के बाद? आज भी यह प्रक्रियाधीन है। ये लम्बी-लम्बी बातें, अध्यक्ष महोदय, की जा सकती हैं परंतु लेट-लतीफ, इसके कारण से प्राइस इंफ्लेशन जो होगा, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये आप बता दें।

श्री अध्यक्ष: इतना प्रश्न ही काफी है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष का जोश आज देखने काबिल है और मैं सराहना करता हूं कि बहुत जोश के साथ इन्होंने वसुन्धरा जी के धौलपुर के संबंध में बात पूछी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, राजाखेड़ा में इनकी निगाह है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): धौलपुर जिला है।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा भी इनकी निगाह में है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जे जे एम है, इसमें जितने अधिकार केन्द्र सरकार के पास हैं, उतने अधिकार हमारे पास नहीं हैं जबकि पैसा ज्यादा हमारा खर्च हो रहा है। टेंडर प्रक्रिया का 50 प्रतिशत केन्द्र देता है, 50 प्रतिशत हम देते हैं। ओ एंड एम हम दे रहे हैं। पूरी मशीनरी हमारी लग रही है। अगर कहीं जमीन एक्वायर करनी हो और कोई दूसरा काम करना हो, वह सारा भी राज्य सरकार वहन कर रही है लेकिन फिर भी हमें एस.एल.एस.एस.सी. की मीटिंग की तारीख भी केन्द्र से पूछकर तय करनी होती है क्योंकि उनका पैसा भी लग रहा है। हमने उनसे आग्रह किया हमारे 2022 की बी.एस.आर. पर आप हमें अनुमति दे दें। उन्होंने हमें अनुमत नहीं किया। जब 2022 की बी.एस.आर. को उन्होंने अनुमत नहीं किया तो ये जो टेंडर आए, इन टेंडर्स का प्रीमियम बहुत अधिक आ गया। हमने प्रीमियम अधिक आने के कारण से फाइनेंस डिपार्टमेंट से राय मांगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया नो, इतना ऊंची दरों पर टेंडर दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपत्ति कर दी, अगर हमारी 2022 की बी.एस.आर. अप्रूव हो जाती गवर्नमेंट आफ इंडिया से, तो यह टेंडर कैंसिल नहीं होते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टेंडर कैंसिल हुए हैं ये कोई वैसे ही नहीं हो गये कि टेंडर कैंसिल कर दिये हों। नीतिगत फैसले हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर अनुभव माननीय नेता, प्रतिपक्ष को है। मैं तो दूसरी बार इस सदन में आया हूं। नेता, प्रतिपक्ष महोदय तो सातवीं बार इस सदन में आए हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अब नये टेंडर हुए हैं इन टेंडर के हिसाब से हम अपने कामों को आगे बढ़ा सकें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न 508। श्री गोपाल लाल शर्मा (अनुपस्थित)।

मांडलगढ़ में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति

508. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) (श्री गोपाल लाल शर्मा (मांडलगढ़) के स्थान पर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कौन-कौनसी बजट घोषणाएं कितनी राशि की की गईं? उक्त में से कितनी बजट घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं व कितनी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं की अब तक भी क्रियान्विति नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्या सरकार बजट घोषणाओं को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयोजना मंत्री (श्री टीकाराम जूली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके कुशल नेतृत्व और कड़े अनुशासन की वजह से सभी क्वेश्चन अब आने लग गए। पूरे क्वेश्चन ऑवर में जितने भी माननीय सदस्यों द्वारा क्वेश्चन उठाये गये हैं, वे आने लग गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर दें।

आयोजना मंत्री (श्री टीकाराम जूली): सर, यह बड़ी बात है। पिछली बार हम देखते थे 5 या 6 का ही नंबर आता था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर दें।

आयोजना मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक हुई बजट घोषणाओं एवं बजट राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त बजट घोषणाओं कुल 14 में से 05 बजट घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है एवं 09 बजट घोषणाएं प्रगतिरत हैं, विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(आयोजना मंत्री)

(2) जी हां। उक्त घोषणाओं में से शेष रही 9 बजट घोषणाओं को पूर्ण करने का कार्य प्रगतिरत है।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह सारी बजटीय घोषणाएं हैं, यह 2019 से 01 दिसम्बर, 2022 तक इसकी घोषणाएं हैं। बजट की घोषणा, उसी वित्तीय वर्ष में जो घोषणाएं पूरी हों, कोई बड़ी घोषणा हो तो उसके चरण निश्चित किये जाते हैं।

मंत्री महोदय, यह बताइये कि 14 में से 5, मतलब आपको कितने परसेंट नम्बर दिए जाएं? बजट की घोषणा के प्रति सरकार गम्भीर होती तो आज यह उत्तर नहीं आता। 2019 की घोषणा है और 2023 में पूछ रहे हैं, 14 में से 5 और 9 प्रक्रियारत हैं, यह उचित है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही कहना चाहूंगा, नेता, प्रतिपक्ष जिस प्रकार से पूरा पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना, यह 2019 की घोषणाएं नहीं हैं, 2019 से 2022 तक घोषणाएं हैं। एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जो शुरू नहीं हुई हो। टोटल काम प्रगतिरत हैं। 5 पूरे हो चुके हैं और 9 चल रहे हैं। आप एक भी काम बताओ जो शुरू नहीं हुआ हो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनियोजित गड़बड़ी/सौदेबाजी, पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार की घटनाएं होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. श्री राजेन्द्र राठौड़
2. श्री सतीश पूनियां

(श्री अध्यक्ष)

3. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी
4. श्रीमती शोभा चौहान
5. श्री गुरदीप सिंह
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, I will not allow it.

पहले शोकाभिव्यक्ति करने के बाद। यह शोकाभिव्यक्ति करने के बाद। जस्ट मैं चेंज कर रहा हूं इसको।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

मनोहर सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मनोहर सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह का जन्म 14 नवम्बर, 1949 को नागौर ज़िले के लाडनूं में हुआ। आपने भूपाल नोबल्स कालेज, उदयपुर से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की। श्री मनोहर सिंह नौवीं, बारहवीं तथा चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में लाडनूं विधान सभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए। नौवीं विधान सभा में आप निर्दलीय तथा बारहवीं एवं चौदहवीं विधान सभा में आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', नियम समिति, विशेषाधिकार समिति तथा वन, पर्यावरण तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयासरत रहे श्री मनोहर सिंह अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। आप श्री बाल सिंह राजपूत छात्रावास एवं विश्रांति गृह, लाडनूं एवं जानकी वल्लभ मन्दिर ट्रस्ट, लाडनूं के अध्यक्ष भी रहे। श्री मनोहर सिंह का दिनांक 16 जुलाई, 2023 को निधन हो गया।

मैं अपनी तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनियोजित गड़बड़ी/सौदेबाजी, पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार की घटनाएं होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. श्री राजेन्द्र राठौड़
2. श्री सतीश पूनियां
3. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी
4. श्रीमती शोभा चौहान
5. श्री गुरदीप सिंह
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार
7. श्री अर्जुन लाल जीनगर
8. श्री ललित कुमार ओस्तवाल
9. श्री बाबुलाल (झाडोल)
10. श्री अभिनेश महर्षि
11. श्री नरपत सिंह राजवी
12. श्री सुमित गोदारा
13. श्री अशोक डोगरा
14. श्री नारायण सिंह देवल
15. श्री नरेन्द्र नागर
16. श्रीमती कल्पना देवी
17. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)
18. श्री कैलाशचन्द्र मीणा
19. श्री संदीप शर्मा

(श्री अध्यक्ष)

20. श्री पुष्पेन्द्र सिंह
21. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या
22. श्री धर्मनारायण जोशी
23. श्री रूपा राम (मकराना)
24. श्री अशोक लाहोटी
25. श्री हरेन्द्र निनामा
26. श्री गोपाल लाल शर्मा
27. श्री कालीचरण सराफ
28. श्री सुरेश सिंह रावत
29. श्री जोगेश्वर गर्ग
30. श्री रामलाल शर्मा
31. श्री अविनाश
32. श्री सुभाष पूनिया
33. श्री मदन दिलावर
34. श्री जगसी राम
35. श्री समाराम गरासिया
36. श्री अमृतलाल मीणा
37. श्री हमीर सिंह भायल
38. श्री छगनसिंह
39. श्रीमती संतोष
40. श्री फूल सिंह मीणा
41. श्री कालूराम
42. श्री पब्बाराम
43. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी
44. श्री बिहारीलाल

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में लहसुन मण्डी, छीपाबड़ौद, जिला बारां को आबंटित 08 बीघा जमीन की सुरक्षा दीवार बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत घर-घर नल कनेक्शन में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विद्यालय में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर के बीच से गुजरने वाली मुख्य नहर की साफ-सफाई एवं तारबन्दी करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अजमेर में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी युवाओं पर चेतावनी दिए बिना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह देवल, श्री अशोक लाहोटी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री खुशवीरसिंह एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति मावली में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेडी एवं टुडियाना को पंचायत समिति महवा में सम्मिलित करने के संबंध में।

(3) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन को निष्प्रभावी कर प्राइवेट कम्पनियों के सीड्स को बढ़ावा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में देवली अरब मैन रोड पर सीवरेज का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ ज़िले में घग्घर नदी में बढ़े हुए जलस्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से माण्डलगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा रोड की ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से प्रदेश में सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों को पेंशन परिलाभ आदि समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के 12 गांवों को ग्रामदान से हटाने के लम्बित प्रकरण पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को दिये जा रहे अल्पकालीन फ़सली ऋण राशि में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा की पंचायत समिति हुरड़ा की ग्राम पंचायत कानिया को चम्बल परियोजना से जोड़कर जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के जाश्मा कपासन फीडर की सफाई करवाकर क्षेत्र के बांधों में पानी भरने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के किसानों को फसल खराबे का बीमा क्लेम एवं मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह देवल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनियोजित गड़बड़ी/सौदेबाजी, पेपर-लीक एवं भ्रष्टाचार की घटनाएं

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों में राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुईं उनमें से 18 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। युवाओं का सपना चकनाचूर करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया। सितम्बर, 2021 में रीट लेवल-2 परीक्षा हुई, उसका पेपर भी लीक हुआ। रीट के नाम से चीट हुई। 26 लाख आवेदन आए, 16 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में पहुंचे, उसका भी पेपर लीक हुआ और जांच में खुलासा हुआ कि इसमें बोर्ड के अध्यक्ष डी पी जारोली जी मुलजिम हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक डी.पी. जारोली जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? डी.पी. जारोलीजी को आकाश निगल गया या पाताल खा गया या सरकार की शह पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जो दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा हुई, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसका पेपर भी लीक हुआ। एस.ओ.जी. ने आर.पी.एस.सी. के सदस्य बाबूलाल कटारा को मुलजिम मानकर उनको गिरफ्तार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बाबूलाल कटाराजी किसकी सिफारिश से आर.पी.एस.सी. के मैम्बर बने थे? अभी उसके बाद में जो ई.ओ. की भर्ती परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और आर.पी.एस.सी. से यह कहा कि क्यों नहीं इस पेपर को भी धांधली होने के कारण निरस्त किया जाये? इस ई.ओ. भर्ती परीक्षा घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत गिरफ्तार हुए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत।

(श्री नारायण सिंह देवल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.सी.बी. ने सत्यापन में यह कहा है कि आर.पी.एस.सी. के मैम्बर और कर्मचारियों को पैसे देने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, टू द पाइंट बोलें। जो मैटर सब-जुडिस है, उसमें उतना ही बोलें जितना बहुत जरूरी हो।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान में एक कहावत है कि खेत ही बाड़ को खा जाये तो पीछे कुछ भी नहीं होता है और आयोग की पवित्रता और विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है। बिना सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ए.सी.बी. ने सरकार के खिलाफ जितने भी अभियोजन स्वीकृति हेतु पेश किये हैं, सरकार ने आज दिन तक कितने अभियोजन की अनुमति दी है? सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहती है।

कल ही युवा मोर्चा ने आर.पी.एस.सी. के पेपर लीक मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। इससे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आंदोलन में हजारों लोग थे, उस आंदोलन को कुचलने का काम भी इस सरकार ने किया है।

पिछले चार साल में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें ज्यादातर नेताओं और अधिकारियों के बच्चे या उनके रिश्तेदारों का सलेक्शन हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): पेपर लीक को रोकने के लिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। प्लीज।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): एक मिनट। पेपर लीक को लेकर सरकार जो विधेयक लायी है, वह कानून बन चुका है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस कानून के तहत अभी तक कितनी ठोस कार्यवाही हुई? 70 लाख बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, इसको राजस्थान का युवा कभी माफ नहीं करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। सर्वाधिक बेरोजगारी का दंश झेल रहा राजस्थान का नौजवान और अब इस नये माफिया, पेपर लीक माफिया से यह कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। पेपर लीक माफिया ही नहीं, इस पेपर लीक में भ्रष्टाचार भी जिस ढंग से प्रदेश में सामने आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक लगातार 19 पेपर लीक करके गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाया राजस्थान की सरकार ने।

इसके साथ-साथ जिस प्रकार से रीट के मामले में जो हुआ, 67 लाख राजस्थान के नौजवानों/बेरोजगारों के घर बर्बाद करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक के मामले में रामकृपाल और प्रदीप पाराशर जैसे छोटे-मोटे प्यादों पर कार्यवाही करना और जिस प्रकार से जारोली ने कहा कि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, उसमें सरकार केवल लीपापोती कर रही है। रीट के मामले में क्या इस रामकृपाल की और प्रदीप पाराशर की जमानत हुई? एक साल में चार बार पी.पी. बदले गये, तो पी.पी. क्यों बदले गये? क्यों इनकी जमानत हुई और जमानत होने के बाद किस प्रकार से वापस वे उन्हीं काम में लग गये? एस.ओ.जी. ने सील बंद लिफ़ाफ़े आज तक सार्वजनिक नहीं किये। वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। विद्यार्थी परिषद्, ए.बी.वी.पी. के लोग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be cautious. सब-जुडिस मामले में उतना ही बोलें जितना जरूरी हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। जिस कोर्ट में यह केस लगा तो राजस्थान के वकील ने सीबी.आई. जांच देने के लिए मना किया। क्या सरकार की इसमें संलिप्तता नजर नहीं आती? इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.पी.एस.सी. में नियुक्ति कौन करता है? आर.पी.एस.सी. के बाबूलाल कटारा, अब उसके परिवादी कह रहे हैं, गोपाल केसावत कह रहे हैं, तार संगीता आर्य से जुड़ गये, तार श्रीमती मंजू से जुड़ गये। इन सबकी नियुक्ति प्रदेश के मुखिया के द्वारा की हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान का नौजवान, अब आर.पी.एस.सी. के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, वे वही व्यक्ति हैं जो तीन साल से राजस्थान के मुखियाजी की सेवा में थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो यहां सदन का मैम्बर नहीं है, प्लीज। I will not allow it. (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। पहले किस प्रकार से इसकी रिमांड नहीं मांगी? गोपाल केसावत की पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि मीडिया ने जब मामला उठाया तो जेल में जाने के बाद अगले दिन रिमांड मांगी गयी। इसमें सीधी-सीधी संलिप्तता सरकार की नजर आती है। इसके बाद भी जांच जयपुर ए.सी.बी. से बदलकर अलवर ए.सी.बी. में दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्थगन प्रस्ताव है। माननीय सदस्य, हो गया। प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अलवर की ए.सी.बी. में जांच दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान का नौजवान यह पूछ रहा है कि यह ब्रह्मप्रकाश कौन है? यह कांग्रेस कार्यालय, दिल्ली में बैठता है। ए.आई.सी.सी. के तार भी इससे जुड़ रहे हैं। यह कौन है? यह भी इसमें संलिप्त है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। प्लीज, वाइंड-अप। धन्यवाद।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि अगला पेपर कौनसा लीक होने वाला है, ताकि हम उससे बचें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से बचायें। अब नहीं सहेगा राजस्थान का युवा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अब नहीं सहेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब नहीं सहेगा युवा, यह मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में फैल चुका है, कोई भी क्षेत्र फ्री नहीं है। उसमें कम से कम शिक्षा के मन्दिर तो उससे अछूते थे और रीट, आर.पी.एस.सी. और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जहां से सारे देश भर में इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा थी कि यहां ईमानदारी से काम होता है, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में कांग्रेस सरकार में जिस तरह से इन दोनों डिपार्टमेंट को कलंकित करने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि इस आधार पर आज राजस्थान के साठ-सत्तर लाख नौजवान बड़े परेशान हैं और उनको कोई आशा नहीं है कि कहीं पर सही नियुक्ति भी होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पेपर लीक, लगभग आज 18 पेपर लीक हो चुके हैं और उस पेपर लीक के जो जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार दावे के साथ कह सकता हूं कि रीट की परीक्षा में जो यहां के अध्यक्ष थे जारोलीजी, जिसने यह कहा कि संदेह के तार ऊपर तक है। यह राजीव स्टडी सर्किल के लोग जिनके द्वारा इन परीक्षा के पेपर आउट हुए आज तक उनको कोई सज़ा नहीं। जब जयपुर से हटाया तो क्या हुआ? बाबूलाल कटारा का केस सामने है।

जब इन युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कल अजमेर में प्रदर्शन करता है तो अंग्रेजों की याद आ जाती है। यानी, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाता है, लेकिन उन पर निर्मम लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें कई लोगों के सिर फूटे, कई लोगों के लाठियां लगीं, यहां तक कि पुलिस वहां पर देखती रही, लाठियां मारती रही। वे शांतिपूर्वक थे, निहत्थे थे लेकिन उनको अपनी बात को कहने का हक नहीं मिला। इस प्रकार की बर्बरता युवा सहन नहीं करेंगे, हम भी सहन नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि आर.पी.एस.सी. में जिनके भ्रष्टाचार के नाम आये हैं, इस आर.पी.एस.सी. को भंग किया जाये और साथ में यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर इसकी नियुक्तियां हों, ताकि परीक्षाएं अच्छी तरह से हो सकें, युवा का विश्वास जीत सकें...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज लोगों को नौकरियां मिल सकें। यानी इस प्रकार के वातावरण से आज पूरे राजस्थान में रोष है। हमको रोष भी व्यक्त नहीं करने दोगे, हमारी सुनवाई भी नहीं करोगे? पैसा का पैसा लूटते जाओगे?

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ए.सी.बी. कह रही है, सब लोग कह रहे हैं लेकिन आज मुख्य मंत्री का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्थगन प्रस्ताव है। प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि यह सरकार सचेत हो और इन नियुक्तियों में युवाओं के साथ न्याय हो।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में दो मुद्दे बहस के लायक नहीं रहे, एक तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और एक हर परीक्षा का लीक होता प्रश्न पत्र। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गोपाल मीनाजी। गोपाल मीनाजी, आप गलत जगह पर बैठे हैं। आप अपनी जगह पर बैठें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की तीन ख्याति प्राप्त एजेंसीज ने दिसम्बर, 2020 से लेकर दिसम्बर, 2022 तक सर्वे किया। Transparency International ने किया, ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स ने किया, इंडियन करप्शन ने सर्वे किया। इन तीनों में 67 परसेंट, 66 परसेंट और 69 परसेंट यह आया कि राजस्थान में सरकार से काम बिना रिश्वत दिये नहीं होता। 18 महीने में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 पेपर लीक हो जायें, 14 परीक्षाएं रद्द हो जायें और 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी इन प्रतियोगी परीक्षा में बैठें, 400 करोड़ रुपये उन्होंने फीस के दिये और उनके अरमान टूट गये। उनका गुस्सा कल आर.पी.एस.सी. के सामने आया।

यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री, यह पहली बार हुआ कि शासन सचिवालय में फाइलों की जगह पर नोट और सोना मिले और उसमें भी केवल एक जोइंट डायरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करके हम भूल जायें। आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन में भारत सरकार के फर्जी सर्टिफिकेट के साथ ठेका ले लिया जाय, गणपति ट्यूबवैल और श्याम ट्यूबवैल का और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीक सरकार में पेपर जो लीक हो रहे हैं, यह वीक सरकार में इस पेपर लीक के कारण मंदरपुरा, नोहर का वह कन्हैयालाल पारीक, सैकण्ड ग्रेड का पेपर लीक होता है तो वह पिता को चिट्ठी लिखता है कि, पिताजी, फिर पेपर लीक हो गया, मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा। आप अनाज मण्डी के अन्दर बोरी उठाकर मुझे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दिलवा रहे हैं, मैं मेरे जीवन को खतम कर रहा हूं। कहानी एक कन्हैया लाल की ही नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। यह पहली बार हुआ है कि किसी संवैधानिक संस्था का नामजद मैम्बर गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद मैम्बर सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं करवाए। परीक्षाओं का रिजल्ट निकल जाए और उसका कोई हश्र नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में चांदी का चरखा चला कर जो सोने के तार निकाल रहे थे, उनके तार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहां मुड़ जाते हैं, मैं वह एफ आई आर लेकर आया हूं। एफ आई आर 19.01.2023 में नाम लिखा है कि 25 लाख रुपये एडवांस लूंगा। मंजू शर्मा का नाम अंकित होता है। मैं वह चैट्स लेकर आया हूं जो आर पी एस सी के सदस्य की उस परिवादी के साथ है। यह क्या हो रहा है? यह खुले बाजार के अन्दर नौकरियां बिक रही हैं। साढ़े अठारह लाख रुपये में बिक रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, हद तब हो गयी जब कल उच्च न्यायालय आर पी एस सी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यू डी एच को नोटिस देता है कि ई ओ और आर ओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं इनको रद्द कर दिया जाए। और ए सी बी के प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं। जांच अधिकारी विजय सिंह कहता है कि कॉल डिटेल की जांच होनी है। यह क्या माजरा है? कौन है यह राज्य मंत्री? आप घुमन्तु जाति के कल्याण का काम इनसे करवाना चाहते थे। कौन है गोपाल केसावत? आर पी एस सी भ्रष्टाचार का ताण्डव बन गयी है। हमारी मत मानो, लेकिन पायलट साहब की तो मानो, जिन्होंने अपने पैरों के छालों की कसम खा कर कहा था कि आर पी एस सी भंग होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आर पी एस सी ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं ली हैं, मेरी और मेरे दल की मांग है कि इन परीक्षाओं की सी बी आई से जांच होनी चाहिए। आर पी एस सी के मैम्बर्स के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, जांच होनी चाहिए। वह जुड़े हुए तारों का दामन दागदार है। दागदार तारों के कारण से हमारी मांग है। हम नौजवानों का अरमान लुटने नहीं देंगे। अब नहीं सहेगा राजस्थान। गोपाल केसवाल, यह जो कुछ हुआ है और जो जुडिशियल सर्विस के अन्दर हुआ, वह सहन नहीं किया जायेगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

जल जीवन मिशन योजना में घर-घर नल कनेक्शन में अनियमितताएं

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री खुशवीरसिंह)

से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में अब तक जितना कार्य हुआ है, उस कार्य के अन्दर कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है कि वहां पर पूर्ण कार्य कर दिया गया हो। हर गांव में दो गली, चार गली, पांच गली में कार्य प्रारम्भ करके ठेकेदार अन्य जगह जाकर अपना काम कर लेता है। जे जे वाई के तहत जो पाइप लाइन से जल की सुचारं व्यवस्था हो रही थी, उसको भी उन्होंने तहस-नहस कर दिया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन ठेकेदारों को बाध्य किया जाये तो जो काम हाथ में लिया है, उस गांव का काम पूरा करे पहले, उसके आगे दूसरा करे।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 परसेंट राशि वाटर सेनिटेशन कमेटी में जमा कराने की घोषणा की थी कि सरकार की तरफ से करवायी जायेगी। जल संसाधन मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 10 प्रतिशत राशि की घोषणा की है कि राज्य सरकार जमा करवायेगी जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश लोगों ने वह राशि जमा करवा दी है, उसके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी? क्या वह राशि उनको पुन: लौटायी जावेगी? यह मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां-जहां गलियों में उन्होंने काम किया है, वहां सीसी रोड को तोड़ कर रख दिया है। वहां पर आगे किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। पहले से चल रही सुचारु व्यवस्था को भी उन्होंने छिन्न-भिन्न कर दिया है। मंत्री महोदय, और भी कई अनियमितताएं हैं। मैं आपको लिखित में देना चाहता हूं कि जे जे एम के अन्दर क्या-क्या काम हो रहा है। अगर आपने इसको सुचारु रूप से प्रारम्भ नहीं किया तो मजबूर होकर मुझे जिला कार्यालय के सामने धरना देना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो मैं अनशन भी करूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज गर्ग।

सूचना

ओसियां के रामनगर ग्राम में परिवार का जघन्य हत्याकांड

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के जरिये एक घटनाक्रम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री पुखराज)

अध्यक्ष महोदय, ओसियां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रामनगर के अन्दर कल सुबह पूना रामजी जाट के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद पूरे परिवार को एक झोंपड़े में डाल कर जला दिया जाता है। मृतकों में स्वयं पूना राम जाट, उनकी पत्नी, उनकी पुत्रवधू और उनकी पोती जो मात्र छह महीने की थी, उन सभी की जघन्य हत्या करके, निर्मम हत्या करके सभी की बॉडी को झोपड़े में डाल कर जला दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस तरह के जघन्य हत्याकाण्ड, निर्मम हत्या है, जोधपुर के अन्दर आये दिन हो रहे हैं। ऐसा माहौल हो गया है कि अखबारों के अन्दर रोजाना न्यूज़ आती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात हो गयी। पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन में इतना ही काफी है।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं यह चाहता हूं कि अरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सज़ा मिले। ऐसी व्यवस्था के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात रख दी। आप विराजें। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि यह जघन्य घटना हुई है। इस पर माननीय पब्बारामजी का भी कंसर्न है, और भी माननीय सदस्य का कंसर्न है। जघन्य घटना हुई है। शाम को 5 बजे स्टेटमेंट दे दें that is the factual position about this. I think that will be a better course.

नियम 295, श्री धर्मनारायण जोशी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मावली पंचायत समिति में घटित अनियमितताएं

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-पंचायत समिति मावली में बढ़ती अनियमितताएं, अवैध निर्माण व भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कोई कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति द्वारा कराये गये हैण्डपम्प वेधन व विभिन्न स्थानों पर डैम निर्माण में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के

(श्री धर्मनारायण जोशी)

सम्बन्ध में मुझे प्राप्त हुई शिकायतों के सम्बन्ध में मैने विभाग व प्रशासन को जांच के लिए लिखा था, लेकिन क्षोभ का विषय है इन विषयों की जांच होना तो दूर, मुझे पत्र का प्रत्युत्तर तक नहीं मिला। हैण्डपम्प वेधन में टेण्डर प्रकिया से लेकर वेधन की गहराई, उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सभी जांच का विषय है। मावली में नाथद्वारा रोड पर पी डब्ल्यू डी डाक बंगले के पास बड़ी संख्या में दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी तक शिकायत की है, लेकिन निर्माण जारी है। मुझे लगता है कि अवैध निर्माणकर्ता को राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार मावली में पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भी दुकान निर्माण करवाकर किराये दी गई है, जिसके लिए की गई प्रक्रिया भी स्वयं में जांच का विषय है। जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो सुरक्षा कौन करेगा? मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय में संज्ञान लेकर विधिसम्मत कार्यवाही कराने का आदेश देवें।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

महवा की ग्राम पंचायतें गगवाना, बालाहेड़ी एवं टुडियाना को पंचायत समिति महवा में सम्मिलित करना

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी और टुडियाना पंचायत समिति, महवा से मात्र 0-5 किलोमीटर दूरी पर है। भौगोलिक दृष्टि से भी इन ग्राम पंचायत के लोगों का महवा आना-जाना रहता है। इन ग्राम पंचायतों का उप खण्ड कार्यालय भी महवा है और पुलिस थाना भी महवा लगता है। ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों ग्राम पंचायतों को महवा पंचायत समिति में जोड़ना नितान्त आवश्यक है।

उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति, महवा में नहीं जोड़ा जाता है तो इन ग्राम पंचायतों के निवासियों ने भविष्य में होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार करने की ठान रखी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों का बहिष्कार करना गम्भीर कारण बन सकता है। मैं मेरे क्षेत्र के नागरिकों की जन भावनाओं का आदर करते हुए उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को महवा पंचायत समिति में जोड़ने की मांग करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी व टुडियाना को पंचायत समिति महवा में जोड़ने के आदेश प्रदान करें। साथ ही मंडावर को पंचायत समिति बनाया जाये। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आगे नहीं। श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में पेयजल की समुचित व्यवस्था

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अलवर शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,15,579 है और शहर हेतु 561 लाख लीटर पानी की प्रतिदिन की आवश्यकता है, जबकि जलदाय विभाग द्वारा प्रतिदिन अलवर शहर को 315 लाख लीटर पानी ही दिया जा रहा है। शहर में कुल 290 नलकूप कार्यरत हैं, किन्तु लगातार हो रही कम वर्षा के कारण नलकूपों से पानी की आवक कम हो रही है एवं नलकूप सूख गये हैं, जिसके कारण अलवर शहर में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अलवर शहर की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु अलवर शहर के पास लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सिलीसेढ़ बांध है, जिसमें वर्षा जल एकत्रित होकर सिंचित क्षेत्र कम हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बचत की जल की मांग जल संसाधन विभाग से की जाने पर विभाग द्वारा 100 एम.सी.एफ.टी. जल मात्रा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु आरक्षित करने की सहमति भी प्रदान कर दी है। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सिलीसेढ़ बांध से शहरी जल योजना अलवर शहर हेतु अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (एनसीआर क्षेत्र), अलवर के माध्यम से प्रस्ताव अनुमानित राशि रुपये 38.15 करोड़ का उनके कार्यालय पत्रांक 5039-42 दिनांक 30/11/2022 के माध्यम से भिजवा दिया गया है। उक्त प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृत होने की स्थिति में अलवर शहर की पेयजल समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि अलवर शहर में दिन-प्रतिदिन गहराते जा रहे पेयजल संकट के समाधान हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर द्वारा भिजवाए गए उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने के आदेश

(श्री संजय शर्मा)

जारी कर अलवर शहर की आम जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन को निष्प्रभावी कर निजी कम्पनियों के बीजों को प्रोत्साहन

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन को एक साजिश के तहत खतम करने का सुनियोजित कुत्सित प्रयास प्राइवेट सीड्स को बढ़ावा देकर किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के किसान बीज निगम से दूर हो गये हैं। पूर्व में प्रतिवर्ष उक्त निगम के प्रत्येक जिले के भण्डारण गोदामों में औसत 1.60 लाख क्विंटल गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का सहित इत्यादि फसलों का किसानों द्वारा रॉ-सीड्स प्रोसेसिंग हेतु आता था, जो कि अब आना बन्द हो गया है। इसी प्रकार पूर्व में किसानों को गेहूं उत्पादन पर 400/- रु. प्रति क्विंटल बोनस था, जो अब घटाकर 185/- रु. प्रति क्विंटल, तिलहन पर 1,975/- रु. प्रति क्विंटल बोनस था, जो अब घटाकर 700/- रु. करते हुए किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है।

इसी क्रम में राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन का कार्यालय भवन वर्तमान में जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में है, जिसका नवीन निर्माण राजस्थान की राजधानी जयपुर के बजाय भीलवाड़ा जिले में किया जा रहा है, जो कि अनुपयोगी एवं अनुचित है।

पूर्व में राज्य सरकार के राजस्व को चपत लगाते हुए अनुचित रूप से बीज निगम अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर लगभग 28 लाख रुपये का फर्जी भुगतान भी तथाकथित लोगों द्वारा उठाया जा चुका है। साथ ही वित्तीय अनियमितताएं करते हुए बीज निगम के मद से चार पहिया वाहन खरीदे गये, जिनका उपयोग बीज निगम के कार्यों के निमित्त प्रदेश में नहीं किया जाकर सिर्फ और सिर्फ निकट चुनावों के प्रचार में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में किया जा रहा है तथा अनावश्यक ही कृषकों के भोजन के नाम पर पंत

(श्री गोपी चन्द मीणा)

कृषि भवन, जयपुर में प्रतिदिन 400 से 500 भोजन पैकेट कागजों में बनाकर फर्जी भुगतान उठाया जा रहा है।

इस क्रम में मेरा आग्रह है कि उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी पाये जाने पर अधिकारियों/कार्मिकों सहित जन-प्रतिनिधि के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाये जाने का श्रम करावें।

(समय: 12.33 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में देवली अरब मैन रोड पर सीवरेज कार्य की शीघ्र पूर्णता

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के जरिये आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये धन्यवाद।

मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में देवली अरब मैन रोड पर सीवरेज का कार्य पिछले 4 सालों से चल रहा है, किन्तु कार्य है कि पूरा होता ही नहीं है। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कार्य के नाम पर पूरा रोड खोदकर पटक रखा है। साथ ही रोड को ब्लाक अलग से कर रखा है, जिससे क्षेत्र की जनता त्रस्त है। लोगों का निकलना ही दूभर हो गया है। कालोनीवासी एवं आम राहगीरों को मजबूरन दूसरे रास्तों से होकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचना पड़ रहा है जिससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें उनको समय तो अधिक लग ही रहा है, साथ ही उनके धन की हानि अलग से हो रही है। व्यापारी वर्ग भी इससे खासा परेशान है। उनका व्यापार पूर्णतया ठप हो चुका है। दुकानदारों का दुकान का किराया तक नहीं निकल पा रहा है। उनकी आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वे मजबूरन अपनी दुकानें खाली करके जा रहे हैं। विभाग द्वारा बीच-बीच में कार्य को बन्द कर दिया जाता है। मेरे द्वारा जानकारी लेने पर संबंधित अधिकारी कभी मशीनें फैल्योर होने की बात करते हैं तो कभी पाइप नहीं मिलने की बात करते हैं या नई टैक्नोलॉजी की बात करते हैं।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में देवली अरब रोड पर चल रहे सीवरेज के कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

हनुमानगढ़ में घग्घर नदी में बढ़ता जलस्तर

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत घग्घर नदी के पानी से हनुमानगढ़ में उत्पन्न हो रहे बाढ़ के हालात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

घग्घर रिवर फ्रंट जो आर.डी. 629 से होकर प्रदेश में बहती है, इसके बाद आर.डी. 24 से नाली द्वारा पानी हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। इस नाली की चौड़ाई पूर्व में 3 से 6 बीघा निर्धारित थी। वर्ष 1995 में आयी बाढ़ से क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। इसके पश्चात् इस क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत से अतिक्रमण करते हुए इस नाली की चौड़ाई को कम करना शुरू कर दिया। आज स्थिति है कि कहीं-कहीं तो नाली की चौड़ाई एक बीघा ही रह गई है। इस नाली के उपर सरकारी बंधे बने हुए थे जिन्हें प्रशासनिक अमले की मिलीभगत से लगभग हटा दिये गये हैं। नाली की चौड़ाई कम रह जाने तथा बन्धे हटा दिये जाने के कारण जब इस नाली में बरसात के पानी की अधिक आवक होती है तो यह नाली उस क्षमता को सहन नहीं कर पाती है जिससे क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं तथा आस-पास के निवासियों के परिवारों पर भयंकर संकट आ जाता है।

पिछले एक सप्ताह से मानसून की सक्रियता से घग्घर रिवर फ्रंट में पानी की आवक अत्यधिक हो रही है, जिसकी वजह से आर.डी. 24 से निकलने वाली नाली में बाढ़ के हालात हो गये हैं तथा लोगों में भय व्याप्त है। मैन कैनाल GDC के दोनों बने हुए बंधों की मरम्मत भी काफी समय से नहीं हुई है, ना ही सफाई हुई है जो अत्यन्त आवश्यक है। इसके स्थायी समाधान के लिए नाली के पूर्व की तरह सरकारी बंधों का निर्माण करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मुख्य रूप से नाली की चौड़ाई पहले की तरह 3 से 6 बीघा निर्धारित कर उस पर हो रहे अतिक्रमण तुरन्त हटाये जायें, ताकि लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री अमीन खां।

बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा रोड में ग्रेवल सड़कों का निर्माण

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा

(श्री अमीन खां)

रोड की 37 पंचायतों में से 19 पंचायतों के सर्किल नेशनल डेजर्ट पार्क की सीमा में आते हैं, जिसमें किसी प्रकार के काम करने पर रोक है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष है। उनको देश की आजादी के 70-75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही इस क्षेत्र में कच्चे कामों की अनुमति देते हैं, इसलिए निम्न प्रकार से ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है, परन्तु उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली हैं। वो सड़कें नीचे वर्णित हैं। इसके अलावा कई सड़कें डिफेन्स रोड बनी हैं जिनकी मरम्मत करना भी बन्द कर दिया है, जो राष्ट्रहित में नहीं है:-

1. हरसाणी से म्याजलार रोड से कुबडिया पंचायत 3 किमी.।
2. सांखली फांटा से रतडेरी कल्ला पंचायत मुख्यावास 15 किमी.।
3. उगेरी फांटा से खुडानी पंचायत मुख्यालय 10 किमी.।
4. समद का पार से द्राभा पंचायत मुख्यालय 13 किमी.।
5. ढगारी से द्राभा पंचायत मुख्यालय 4 किमी.।
6. समद का पार से रतडेरी कल्ला पंचायत मुख्यालय 8 किमी.।
7. फांगली से मठारोणी मेघवाल वाया पनीया गडस 15 किमी.।
8. केलनली से डाबड 8 किमी.।
9. डाबड से खबडाला 4 किमी.।

अतः मैं इस सदन की मार्फत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उक्त सड़कों की स्वीकृति प्रदान की जाये तथा डी एन पी में पक्की सडकों की मरम्मत राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करवाये जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों को पेंशन आदि का समय पर लाभ

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि एक ओर जहां मुख्य मंत्री जी का सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील रुख है, वहीं दूसरी ओर चिंताजनक बात यह है कि जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको आज तक किसी प्रकार के पेंशन परिलाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे पूरे प्रदेश के हजारों सरकारी कार्मिकों में रोष व्याप्त है। मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में घोषणा भी की है

(श्री अमित चाचाण)

कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही सारे देय परिलाभ का भुगतान ऑनलाइन हो जायेगा, परन्तु इसकी क्रियान्विति में घोर लापरवाही बरती जा रही है।

अतएव प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पेश कर अनुरोध है कि सेवानिवृत्ति पर देय परिलाभों के तुरन्त भुगतान की व्यवस्था कराई जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

नीम का थाना के कतिपय गांवों को ग्रामदान से हटाने के लम्बित प्रकरण पर कार्यवाही

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 ग्राम अभी भी ग्रामदान में है, जबकि उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ग्रामदान तोड़ने का आवेदन किया है, जो काफी समय से ग्रामदान बोर्ड में लम्बित है। ग्रामदान नहीं टूटने की स्थिति में वहां के निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। जैसे के सी सी का लोन नहीं मिलता, खाद-बीज नहीं मिलता, फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलता, जमाबन्दी में स्वयं का नाम नहीं होने से बिजली कनेक्शन नहीं मिलता, जमीन का विक्रय नहीं कर पाना एवं अन्य परेशानियों का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ता है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ढाणी सल्लावाली, ढाणी करोडा, ढाणी बहादुर सिंह तन आगवाडी, कीरो की ढाणी, खोरा, झिराणा तन भूदोली, ढाणी ढावाला, तन खडगबीजपुर, ढाणी लाम्बी, चौठाला, गोविन्दाला, बडाबंध तन रायपुर, ढाणी आनाजी तन नारदा ग्रामों को ग्रामदान से हटाने का आदेश करावें। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

(समय: 12.43 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लांबा (अनुपस्थित)। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मरों की भारी किल्लत है।

अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो सरकार अपने आपको किसान हितैषी बताती है और दूसरी तरफ इसी किसान को ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगवाये जाते हैं। सरकार द्वारा 72 घंटे के अन्दर ट्रांसफार्मर देने का नियम बनाया गया है, लेकिन मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की, तो यहां पर 72 घंटे तो छोड़ो, 72 दिन के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। किसान व आमजन हर दिन बिजली विभाग के कार्यालय पर आता है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इस कारण किसान को बिना ट्रांसफार्मर के घर लौटना पड़ता है।

अध्यक्ष जी, भीषण गर्मी का समय है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। किसानों की फसल कटाई पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से काफी नुकसान हो रहा है। अभी पूर्व में मेरे द्वारा जिला परिषद् की मीटिंग में जब इस मुद्दे पर विद्युत विभाग के एस.ई. से ट्रांसफार्मरों की कमी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मरों की किल्लत मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में बतायी।

मेरे द्वारा ट्रांसफार्मरों की किल्लत को कब तक पूरा करने के लिये पूछा गया, जिस पर एस.ई. अलवर द्वारा 30 जून, 2023 को सभी श्रेणी के ट्रांसफार्मरों की पूर्ति का आश्वासन दिया गया। मैं आपको बताऊं, पूर्ति की बात तो छोड़ो, एक-दो ट्रांसफार्मर भी नहीं मिल पा रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा अपने चहेतों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के किसानों व आमजन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों?

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों एवं जनहित के मुद्दे को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश पारीक।

भीलवाड़ा की कानिया ग्राम पंचायत को जलापूर्ति की व्यवस्था

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री राकेश पारीक)

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि ग्राम पंचायत कानिया, जिला भीलवाड़ा पंचायत समिति हुरडा, जो कि विधान सभा क्षेत्र मसूदा में आता है। पंचायत समिति हुरडा, जिला भीलवाड़ा में होने के कारण चम्बल परियोजना से जोड़ना चाहिए था। लेकिन ग्राम पंचायत समिति कानिया, मसूदा विधान सभा क्षेत्र में होने के कारण उक्त गांव को बीसलपुर परियोजना से जोड़ा गया है।

विगत 3 वर्षों से उक्त कानिया ग्राम में पानी नहीं आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि ग्राम पंचायत कानिया को भी चम्बल परियोजना से जोड़ने का श्रम करें, जिससे वहां के नागरिकों को पानी पर्याप्त मिल सके। मुझे आशा है कि इस ग्राम पंचायत गांव को चम्बल परियोजना से जोड़ देने पर लोगों को राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के बांधों में पानी की व्यवस्था

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में कपासन बांध, धमाना बांध, भोपाल सागर बांध, डिण्डोली बांध तथा अनेक छोटे-बड़े तालाब भी बने हुए हैं।

उक्त सभी बांधों को भरने के लिए लगभग 50 वर्षों पूर्व रेलमगरा तहसील में बहने वाली बनास नदी से धमाना कपासन फीडर का निर्माण जीतावास गांव के पास से किया गया। जब-जब भी बनास नदी में पानी आता है तब-तब धमाना कपासन फीडर के माध्यम से सिंचाई विभाग चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा जीतावास गांव के पास से निर्मित फीडर के गेट खोल कर बांधों में पानी लाया जाता रहा है, लेकिन पिछले पांच वर्षों में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण कई स्थानों पर फीडर टूट गई है। कई स्थानों पर फीडर को मिट्टी से भर दिया गया है। धमाना कपासन फीडर को मिट्टी से भरकर पानी को रोकने के कारण धमाना, कपासन, भोपालसागर तथा डिण्डोली बांधों को खाली रखा जा रहा है।

सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सिंचाई विभाग, चित्तौड़गढ़ को निर्देश देकर धमाना कपासन फीडर की सफाई करवाकर कपासन, धमाना, भोपाल सागर तथा डिण्डोली बांधों को पानी से भरने की

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सुनिश्चितता कराने की कृपा करावें, ताकि कपासन विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कृषि के लिए तथा पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर के किसानों को फसल खराबे का बीमा क्लेम एवं मुआवजा

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर सहित पूरे जिले में खरीफ सीजन 2022 में सोयाबीन, मक्का, उड़द, चवले सहित फसलें अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं। इसी तरह रबी सीजन 2023 में गेहूं, सरसों, चने आदि की फसलें अतिवृष्टि से बर्बाद हो गईं। कहीं-कहीं तो 100 प्रतिशत ही खराब हो गई। इस सन्दर्भ में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे की रिपोर्ट प्रशासन द्वारा सरकार को भिजवाए हुए करीबन एक वर्ष हो गया है। जिन किसानों ने के सी सी एवं ई-मित्र के माध्यम से फसलों का बीमा करवाया था, उन्होंने तय समय पर बीमा फसल की जानकारी बीमा कम्पनी को दे दी थी और बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे भी करवा लिया गया था, जबकि 25 प्रतिशत बीमा क्लेम की राशि 15 दिन में किसानों को देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ किसानों को छोड़कर अभी तक न तो बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा क्लेम की राशि प्रदान की गई है और न ही सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि दी गई है।

इसी तरह ग्राम पंचायत आमलोदा और कराकला ग्राम पंचायत के किसानों की रबी सीजन 2023 में गेहूं, सरसों, चने आदि की फसलें अतिवृष्टि से बर्बाद हो गईं, लेकिन अभी तक फसल खराबे का उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। वे किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं मुआवजा राशि के लिए।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि खरीफ सीजन 2022 व रबी सीजन 2023 में हुए फसल खराबे की बीमा क्लेम राशि और फसल खराबे का मुआवजा सरकार की ओर से तुरंत प्रभाव से दिलाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने जाने वाले पत्रादि।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1 एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2.

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023, श्रीमती शकुन्तला रावत।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले इस विधेयक के उद्देश्यों को जाना कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष कई धार्मिक और सांस्कृतिक मेले आयोजित किये जाते हैं, जिनमें देश और विदेश, दोनों से बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक स्थानीय लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में, राज्य में कोई प्रभावी निकाय या कोई प्राधिकरण नहीं है इसलिए इस प्राधिकरण की नितांत आवश्यकता है और उसी वजह से यह विधेयक लाया गया है, इसके पीछे मंशा यही है।

मेहरानगढ़ किला, जोधपुर में मेले के आयोजन के दौरान हुई दुखान्तिका का भी इसमें वर्णन किया गया है कि ऐसे कारण बनते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जिस मंशा से इस विधेयक को लाई है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन यह पूरा का पूरा विधेयक भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन जिस तर्ज पर किया गया था, यह पूरा विधेयक बिना बिन्दु के, बिना कोई शब्द के एज इट इज उसका कापी पेस्ट किया गया है।

(समय: 12.54 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आज यदि हम राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण का जो बिल है, जो मसौदा है उसको देख लें तो यह बिलकुल उसकी कापी है पर कोई बात नहीं, कापी भी है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यदि एक-एक सेक्शनवाइज, धारावाइज इसकी चीजों का उल्लेख करूं तो इसमें जो दूसरी धारा है, जिसमें परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है और उस परिभाषा की धारा के बिन्दु संख्या (ट) में लिखा है, "आयोजक" से वह व्यक्ति या वे व्यक्ति या न्यास या सोसाइटी या कम्पनी, जो मेला आयोजित करती हो, अभिप्रेत है। "आयोजक" का मीनिंग इसमें इन्होंने यह बताया है। निश्चित रूप से वही आयोजक होते हैं, लेकिन इन्होंने अध्याय 2 की धारा 3 है उसमें प्राधिकरण की स्थापना और गठन का उल्लेख किया है। इसमें 'उपाध्यक्ष' आपने गैर सरकारी सदस्य को बनाया है और इसमें तीन अतिरिक्त सदस्य हैं जो गैर सरकारी होंगे। गठन में कहीं भी उन आयोजकों को शामिल नहीं किया गया है। यदि गठन करते समय उन आयोजकों में से किसी को आप शामिल कर देते तो वो निश्चित रूप से सरकार को अच्छे सुझाव दे सकते थे, क्योंकि

(श्रीमती अनिता भदेल)

वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोई भी मेला जब आयोजित होता है तो मेला आयोजित होने से लगभग दो-तीन दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह पहले सरकार मेले की तरफ विशेष ध्यान दे दे तो एक सप्ताह पहले जिला कलेक्टर उसकी बैठक कर लेता है और सभी सम्बन्धित विभागों की बैठक बुला लेता है, यह एक सामान्य-सी परम्परा रहती है। आयोजक बहुत चक्कर लगाते हैं, कलेक्टर के और एस.डी.एम. के, ए.डी.एम. के चक्कर लगाते हैं कि हमारी ये व्यवस्थाएं कर दो, ये व्यवस्थाएं कर दो। आयोजक पहले से चक्कर लगाते रहते हैं, महीनों पूर्व सचेत हो जाते हैं कि हमारा यह मेला आ रहा है, लेकिन यदि आप राज्य स्तर पर ऐसे जो बड़े-बड़े मेले हैं, चूंकि ये पूर्व निर्धारित होते हैं, कोई नया मेला प्रारम्भ नहीं होता है, पूर्व निर्धारित हैं, भारतीय संस्कृति और परम्परा से ओतप्रोत होते हैं। मैं चूंकि अजमेर से आती हूं, अजमेर में हमारे दो मेले हैं, कार्तिक पूनम का मेला जो पुष्कर में होता है और दरगाह का मेला, ये दोनों ही मेले अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मेले हैं और यहां बाहर से लोग आते हैं। पुष्कर के मेले में तो देश-विदेश से सैलानी इस मेले को देखने के लिए आते हैं। यदि ऐसे मेलों में आयोजकों को भी प्राधिकरण का हिस्सा बना दिया जाए तो मुझे लगता है कि इससे सरकार को ही सुविधा होने वाली है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलग-अलग सेक्शंस में इस संदर्भ में मेरे छह-सात सुझाव हैं। धारा 6 प्राधिकरण के कर्मचारीवृंद और बाकी, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आपने उल्लेख किया है। उपाध्यक्ष, गैर सरकारी है निश्चित रूप से, लेकिन आपकी जो अध्याय 3 की धारा 8 है, अब सीधे धारा 8 पर आ जाते हैं, तो आप देखिए, प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य- (1) प्राधिकरण मेलों के उचित कार्यकरण, विनियमन और प्रबन्धन के लिए विनिश्चय कर सकेगा। साथ ही राजस्व स्रोतों के संवर्धन के लिए, सरकार या अन्य स्रोतों से अनुदानों द्वारा निधि की व्यवस्था करेगा। सरकार से निधि मिले यह तो ठीक है लेकिन अनुदान, इसमें कौनसी संस्था अनुदान देती है, यह मुझे समझ में नहीं आता। संस्था व्यवस्था जरूर करती है मेलों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए, पार्किंग की व्यवस्था कर सकती है, खाने-पिलाने की व्यवस्था करती है, लेकिन सरकार कोई अनुदान दे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। मुझे इस पर थोड़ी-सी आपत्ति है। आप 'अनुदान' शब्द की बजाय कोई और शब्द इस्तेमाल करते तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फिट बैठता, लेकिन

(श्रीमती अनिता भदेल)

अनुदान कोई नहीं देता, जितने मेले आयोजित होते हैं। अभी तो श्रावण मास चल रहा है, माननीय सभापति महोदय, सनातन संस्कृति के जितने मेले हैं वो श्रावण मास से शुरू होते हैं और कार्तिक की पूनम तक वो सारे मेले यहां पर चलते हैं। मेले पूर्व निर्धारित हैं, तिथियां भी पूर्व निर्धारित हैं कि कौनसी तिथि को कौनसा मेला आयोजित होगा, चाहे वो जयपुर हो, अजमेर हो या कोई-सा भी मेला हो। तो पूर्व निर्धारित मेले होते हैं, हमारा प्रशासन मेले के एक दिन पहले ही जागता है, उससे पहले नहीं जागता है। आपने जो कहा है, देखिये आपके जो 'अनुदान' द्वारा शब्द जो लिखा गया है, उसकी जगह आप दूसरे शब्द को अपनाइए।

माननीय सभापति महोदय, धारा 8 का सेक्शन 2, उसमें लिखा है कि मार्गदर्शक सिद्धांत मेले के आयोजकों पर आबद्धकारी होंगे। बाद में तो आपने दंड की भी बात कर दी उसमें। माननीय सभापति महोदय, मेले के जो आयोजक होते हैं, मेला कोई व्यक्ति आयोजित नहीं करता है, ये पूर्व निर्धारित हैं और वर्षों से परम्पराएं चली आ रही हैं, वर्षों से, जो आयोजक होते है वो तो सुविधाएं और देते हैं मेले में कि किस तरह से दर्शनार्थियों को, आने वालों को सुविधा हो। यदि आप उन्हीं आयोजकों पर दण्ड रोपित कर देंगे, कारावास दे देंगे और उन्हें नियमों में बांध देंगे तो कोई चलाकर के नहीं आयेगा कि हम आयोजन समिति के मैम्बर्स हैं। सब गायब हो जाएंगे फिर। ऐसी स्थिति में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, निश्चित रूप से हमारे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो आपने आगे चलकर आगे धाराओं में कहा है कि जिला मेला समिति बनाएंगे, वह जिला मेला समिति फिर करेगी क्या? उन्हें व्यवस्थाएं करनी हैं आयोजन में। सारी व्यवस्थाएं यदि दुरुस्त हो जाती हैं तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की आशंका नहीं रहती। मेहरानगढ़ की दुखान्तिका का जो उल्लेख किया गया है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, इसमें जो लिखा है, वही बोल रही हूं...

(समय: 13.00 बजे)

श्री सभापति: बोलने वाले काफी हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कोई भी इर्रेलेवेंट चीज नहीं बोल रही हूं।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें, लेकिन बोलने वाले काफी हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कन्क्लूड कैसे कर देंगे? विधेयक है सर।

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप देखिये इसके अन्दर, आगे चलकर आप देखिये, जिला मेला समिति की बैठकें और जो आपने बनायी हैं, आपने उसमें लिखा है कि आपकी बैठकें कब होंगी। मैं पढ़ देती हूं इसे, ''प्राधिकरण अध्यक्ष की शक्तियां और बैठकें''। आप यह लिख रहे हैं कि जब अध्यक्ष चाहे, तब बैठक कर सकता है। छह महीने में एक बार बैठक कर सकता है या जब अध्यक्ष चाहे तब बैठक कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, छह महीने में एक बार बैठक। दूसरा आपने आप्शन दिया है कि जब अध्यक्ष चाहे, तब बैठक कर सकता है।

अभी जो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, कलेक्टर मेले से एक दिन पहले ही बैठक आयोजित करता है। यह तो उनकी मर्सी पर छोड़ दिया कि औपचारिकता करनी है, बैठक करनी है, इसलिए कर लो। फिर न तो वित्तीय स्वीकृतियां आती हैं, न डिपार्टमेंट से को-आर्डिनेशन होता है। ऐसी स्थिति में मेले फेल हो जाते हैं या उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो नहीं पाती। आपका जो राज्य स्तरीय प्राधिकरण है, आपके मेले चूंकि डिसाइडेड हैं, उनकी तिथि तय है कि कौन सा मेला कौन सी तिथि को होना है तो आप इस बिल में ऐसा उल्लेखित नहीं कर सकते कि जब मेला डिसाइडेड है, आप डिसाइड कर लीजिये कि कौन-कौन से मेले राज्य स्तरीय या अन्तरराष्ट्रीय मेले हैं। उन अन्तरराष्ट्रीय मेलों की तो बैठक कम से कम आप डिसाइड कर लें कि उस मेले के आयोजन से एक महीने, दो महीने पहले निश्चित रूप से होनी ही चाहिये।

यदि आप यह इस बिल में लिख देते तो मैंडेटरी हो जाता कि उन्हें बैठक करनी ही करनी है। आनन-फानन में बैठकें करते हैं। आपने जिला बैठकों के बारे में भी यही लिखा है। प्राधिकरणों की बैठकें प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार और अध्यक्ष की मर्सी पर होंगी। इसी प्रकार जिला समिति की बैठक के लिए भी आपने लिखा है, ''बैठक अध्यक्ष द्वारा यथाविनिश्चत किसी भी समय जब कभी अपेक्षित हो, आयोजित की जा सकेंगी''। अब अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बना दिया, तो जिला कलेक्टर की मर्सी पर डिपेंड हो गया कि वह कभी भी बैठक आयोजित कर दे। माननीय सभापति महोदय, जिला कलेक्टर इतनी सारी समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्हें समय ही नहीं होता है कि वे ऐसे मेलों पर ध्यान देकर उनकी बैठकें समय से पहले आयोजित कर लें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मेरा निवेदन है कि आप विधेयक में निश्चित कर लीजिये कि कम से कम मेले आयोजित होने के एक महीने पहले बैठकें आयोजित हो जाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं अजमेर से आती हूं, आपने मेलों के बारे में लिखा है। हमारे यहां चेटीचण्ड का जुलूस होता है। मेला नहीं कहते उसे। जुलूस कहते हैं या शोभा यात्रा कहते हैं। अजमेर का चेटीचण्ड का जुलूस पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। बहुत दूर-दूर से लगभग 5-7 लाख लोग उस एक दिन जुटते हैं उस जुलूस को देखने के लिए। पूरा शहर उमड़ता है। बाहर से, बोम्बे से और बाकी जगहों से भी लोग उस जुलूस को देखने के लिए आते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें मेलों के साथ-साथ जुलूस, शोभा यात्राएं और जयन्तियां, क्योंकि जब भी जयन्ती होती है, चाहे परशुराम जी की जयन्ती हो, चाहे महावीर स्वामी की जयन्ती हो, चाहे बुद्ध जयन्ती हो, उन जयन्तियों पर भी लोग भारी संख्या में जुटते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें भी आप इसमें शामिल करें, ताकि बैठकें समय से पूर्व हो सकें और सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त आपने जो दण्ड और शास्तियां दी हैं। आयोजकों के उत्तरदायित्व आपने तय किये हैं। मुझे लगता है कि इस धारा की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कोई भी आयोजन समिति मेलों में सहयोग के लिए बनती है, कोई स्थायी नहीं होती। कोई नाम नहीं होता। जैसे हमारे यहां दरगाह का मेला है। दरगाह के मेले की कोई आयोजन समिति है ही नहीं। दरगाह का मेला अपने आप से आयोजित होता है। तय है कि इस तिथि को आयोजित होना है। कोई एक व्यक्ति, कोई संस्था नहीं है। सिर्फ जो अंजुमन के पदाधिकारी वहां पर हैं, वे दरगाह के अन्दर की व्यवस्थाएं करते हैं, दरगाह के बाहर की व्यवस्थाएं नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप किस पर उत्तरदायित्व डालेंगे?

दरगाह के जुलूस में पूरा शहर प्रभावित होता है। पानी, बिजली, सड़क सब। यातायात बहुत भयंकर रूप से प्रभावित होता है। पांच से दस लाख की पर-डे की फ्लोटिंग पापुलेशन होती है। ऐसी व्यवस्थाओं में आप आयोजन समिति पर ही जिम्मेदारी डालेंगे तो वे छोड़ भागेंगे कि कर लें आप ही। सारा प्रशासन ही कर ले, हमें तो नहीं करना। इसी तरह से पुष्कर का मेला धार्मिक मेला है। बरसों से चला आ रहा है। दो हजार, तीन हजार वर्षों से लगातार वह परम्परा चली आ रही है। वह अपने आप से ही होता है। कोई व्यक्ति सामने आकर नहीं करता है। कोई चिट्ठी-पत्री नहीं लिखी जाती उसके लिए कि कोई

(श्रीमती अनिता भदेल)

पशुपालक आये पुष्कर मेले में, वे बिना निमंत्रण के ही आते हैं कि चलो पुष्कर चलते हैं, हमारे पशु बिकेंगे।

मेरा निवेदन है कि कोई आयोजन समिति इसमें होती नहीं है, इसलिए आपने यह जो सेक्शन दिया है आयोजकों के उत्तरदायित्व में, "मेला क्षेत्र में वाहनों के लिए मूलभूत पार्किंग सुविधा और भिन्न-भिन्न प्रवेश और निकास बिन्दु उपलब्ध कराना", आप मुझे बताएं कि जो आयोजन समिति है, जो व्यवस्था कर रही है, वह पार्किंग की व्यवस्था कैसे करेगी? क्या जमीन कोई ऊपर से ले आएंगे? यह तो प्रशासन को ही तय करना है कि यह-यह क्षेत्र हमने पार्किंग के लिए निर्धारित किया है। यहां से एंट्री होगी, यहां से एग्जिट होगी। यह आयोजन समिति का उत्तरदायित्व कहां से आ जाता है?

"सुरक्षा कार्मिक अभिनियोजित करना", सभापति महोदय, मुझे बताएं, पुलिस की वहां जरूरत है, वहां कौन से सुरक्षा कार्मिक लाएंगे? क्या आयोजन समिति के पास इसके लिए कोई पैसा है? क्या कोई रेवेन्यू वे इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? क्या सुरक्षा कार्मिक लगाने के लिए उनके पास कहीं से पैसा आ रहा है? मेलों में पुलिस को सुरक्षा करनी है। इसी तरह से "आयोजक अन्य उत्तरदायित्वों का, जो विहित किये जाएं, भी वहन करेगा", "आयोजक, अनुज्ञा में यथा उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों का, जो नियमों द्वारा विहित किये गये हैं, पालन करेगा", निश्चित रूप से आयोजक यह कर सकता है कि वह जो नियम हैं, उनकी पालना करे, लेकिन वह सुरक्षा कार्मिक लगायेगा, पार्किंग की व्यवस्था करेगा, यह सम्भव नहीं है। "यदि मेला आयोजन के दौरान आयोजक की उपेक्षा के कारण किसी प्रकार की जीवन हानि होती है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा"। मतलब दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

इसका सीधा-सीधा मतलब क्या मैं यह समझूं कि आप यह बिल लाकर मेलों के आयोजन को बन्द करना चाहते हैं? वे जो समितियां आगे से आकर सहयोग करना चाहती हैं उन मेलों में, आप हिन्दू संस्कृति के जितने भी मेले हैं, क्या उन्हें बन्द करने की मंशा रखते हैं? क्या आप उन्हें बन्द करने की मंशा लेकर आ रहे हैं इस बिल के द्वारा? यह बहुत निन्दनीय है। मुझे समझ में नहीं आता, इस बिल के द्वारा आप वर्षों की परम्पराओं को क्या करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप यह देखिये, किस तरह से

(श्रीमती अनिता भदेल)

मेला आयोजक समिति को तो आप किसी प्राधिकरण में नहीं डालेंगे, न तो राज्य बॉडी में डालेंगे, न जिला स्तर की बॉडी में डालेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के नाते से आपने सारी जिम्मेदारियां धारा 17 और धारा 18 में आयोजकों पर छोड़ दी हैं। मुझे लगता है कि आप इन आयोजकों को हतोत्साहित करना चाहते हैं और ऐसा करके आप इन मेलों को बन्द करने की मंशा रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं दो-तीन चीजें कहकर अपनी बात को पूरा करती हूं। आप देखिये इसमें, "धार्मिक, सांस्कृतिक मेले आयोजित किये जाते हैं", आयोजित नहीं किये जाते, वे अपने आप ही आयोजित हो जाते हैं। अब तो परम्परा बन गयी है।

वित्तीय ज्ञापन। इसमें लिखा है, "राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 के खण्ड 3, 6, 8, 9 और 14, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो,", यदि नहीं, वे तो होंगे ही होंगे अधिनियमित। आप ऐसे-कैसे पास करेंगे? हमारे सुझावों का इसमें संशोधन नहीं लेकर आएंगे। "राज्य की संचित निधि में से व्यय अंतर्वलित होगा। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपगत किये जाने वाले अनावर्ती और आवर्ती व्यय की संगणना कर ली गयी है।" आपने कैलकुलेशन लगा लिया। "आवर्ती व्यय के लिए लगभग एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये प्रतिवर्ष अपेक्षित होंगे।"

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान का सिर्फ एक पुष्कर मेला ले लें। इस एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये से कुछ भी नहीं होने वाला। जीरो। ऊंट के मुंह में जीरा है यह। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप यदि एक पुष्कर मेले के लिए निर्धारित करते तो मैं समझती कि राज्य सरकार की मंशा है कि मेले अच्छे से आयोजित हों और हमारी परम्परा बनी रहे, परन्तु आपने यह ऊंट के मुंह में जीरा डालने का प्रयास किया है। जिस लेवल पर नीचे खर्चा होता है, उसके अभाव में, यह जो मेहरानगढ़ की दुखान्तिका का उल्लेख किया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो संसाधन होने चाहिये थे, वे नहीं थे। भीड़ अपेक्षा से ज्यादा हो गयी।

हम यदि एक महीने पहले मीटिंग कर लें तो हमें पता चल जायेगा कि कितने लोग आने वाले हैं और कितनी भीड़ वहां पर होने वाली है। हमारा यहां एक महीने पहले बैठक में एनैलिसिस नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होती है। हम आनन-फानन में कोई चीज करते हैं। इसी वजह से उसकी परिणति दु:खद होती है।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। तभी यह बिल जिन उद्देश्यों के लिए बना है उनको सार्थक करेगा, उनको प्राप्त करेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूं।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ बोलना था, वह तो अनिता जी ने बोल दिया है। मैं हाड़ौती के बारे में आपको निवेदन करूंगा। सौभाग्य से मेरे काकाश्री स्वायत्त शासन मंत्री हैं। वे मेरी बात पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

हमारे यहां हाड़ौती में सबसे बड़ा मेला दशहरा का है। कोटा दशहरा मेला आज ही नहीं हम बचपन से देखते आये हैं। उसका स्थान चैंज नहीं हुआ है। आज कोटा की जनसंख्या 15 लाख से भी ज्यादा हो गई है और ढाई-तीन लाख बच्चे पूरे हिन्दुस्तान से वहां पढ़ने आते हैं। वैसे भी कंजेशन बढ़ गया है। आपने कोटा में बहुत काम करवाया है। कोटा लाइट फ्री हुआ है वर्ल्ड हैरिटेज रिवर फ्रंट बना है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मेले की जगह छोटी पड़ने लग गई है। वहां नगर निगम बन गया है। दोनों नगर निगमों हैरिटेज नार्थ और साउथ का आफिस वहीं पर है। दूसरा दिल्ली के पैटर्न पर वहां एक मेला ग्राउण्ड बन गया है और वहीं पर जानवरों का मेला लगता है। वहीं पर पत्थर के स्टाक, जो हमारे डिविजनल कमिश्नर का आफिस है, उसके सामने लगता है। मेरा निवेदन है कि मेले को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ने के हिसाब से पूरे हाड़ौती का प्रेशर उस मेले पर रहता है। जिस दिन रावण जलता है। उस दिन तो वहां पर पांव रखने की भी जगह नहीं होती है। पूरे हाड़ौती और सवाई माधोपुर तक के लोग वहां पहुंचते हैं। इसलिए इसकी जगह को चैंज किया जाये और जानवरों के मेले के लिए अलग से व्यवस्था करें, मेरा इस प्रकार का निवेदन है।

दूसरा, हमारे यहां अनंत चौदस का मेला लगता है। अनंत चौदस का मेला कोटा में तो बहुत जोस्शोर से निकलता ही है पर ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे मेरा क्षेत्र छबड़ा, छीपाबड़ौद हो और कोई जगह हो, हम सब मिलकर, धार्मिक संस्थाएं मिलकर मेले को भरवाते हैं। उसमें ग्राम पंचायत की तरफ से

(श्री प्रताप सिंह)

या नगरपालिका की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है, मेरा मानना है कि इस महंगाई के दौर में अनुदान बहुत कम है। इसलिए मेलों के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाये।

दूसरा, हमारे यहां पाटन का मेला झालावाड़ में लगता है। यह विशेषकर जानवरों का मेला है। यहां पर गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े सब बिकने आते हैं। मध्य प्रदेश तक के लोग यहां पर घोड़े, गाय, भैंस खरीदने आते हैं। उसकी भी जगह छोटी पड़ने लगी है तो उसको भी आप व्यवस्थित करायें और जगह-जगह जोन बांटें। यह भैंस का जोन, यह गाय का जोन, यह घोड़े का जोन, यह ऊंट का जोन। वह मिक्स रहता है, जिससे आदमियों को भी दिक्कत आती है। जैसे औरतों के सामानों का मीना बाजार लगाना है तो अलग से लगायें। आदमियों के लिए कोई सामान चाहिए तो अलग से लगायें। इस प्रकार से मेले की सुन्दरता भी बढ़ेगी और जो यात्री वहां पर आते हैं। उनको भी निश्चित रूप से तकलीफ कम होगी।

इसी प्रकार से डोल ग्यारस का मेला, जिसको जलझूलनी ग्यारस बोलते हैं। हमारे यहां डोल बोलते हैं। बारां के डोल पूरे हाड़ौती में मशहूर हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बारां के डोल को भी सुव्यवस्थित करें। वहां पर भयंकर रूप से अतिक्रमण हो गया है। उस अतिक्रमण को हटाने की चेष्टा करें।

मैं समझता हूं कि उस मेले को दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह कह सकता हूं कि आज हाड़ौती में जितने भी मेले लग रहे हैं या जहां-जहां पर मेले लगते हैं, सब जगह छोटी पड़ने लगी है। इसलिए मेरा तो मंत्री जी को सुझाव है कि आप एक कमेटी हाड़ौती के मेलों के लिए बनायें। कहां-कहां पर मेले लगते हैं, कितनी जगह उपयुक्त रहेगी, कितनी अनुपयुक्त रहेगी। जहां पर मेले की जगह कम पड़ती है, उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह भरवाया जाये। जहां पर खेलकूद या दूसरी दुकानें लगती हैं, खाने-पीने की दुकानें लगती हैं, उनको एक तरफ कर दिया जाये और जानवरों का मेला थोड़ा दूर भी कर दिया जाये तो उससे भी आराम मिलेगा।

हमारे यहां लगातार मेले लगते हैं। चाहे छोटे-छोटे मेले हों, हरनावदा शाहजी का मेला हो, मनोहर थाना का मेला हो, ये छोटे-छोटे मेले लगते हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के आदिवासी चाहे सहरिया हों, चाहे भील हों, चाहे और बिरादरी के लोग हों, ये सब शामिल होते हैं। वे यहां पर अपनी जरूरत के सामान मेलों से खरीदना पसन्द करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है

(श्री प्रताप सिंह)

कि जिस प्रकार से सभी संस्थाएं, उर्स के भी मेले लगते हैं, उसमें बढ़-चढ़कर पैसा देने की एक होड़-सी मची हुई है, वह होड़, हमारे जो धार्मिक मेले लगते हैं, हमसे सम्बन्धित हैं, उन मेलों को भी आप निश्चित रूप से उर्स में जिस प्रकार की दरियादिली दिखाकर आप अनुदान देते हो, वह अनुदान जो मेले मैंने बताये हैं, ये छोटे-छोटे मेले हैं, हाड़ौती के मेले हैं, हाड़ौती को मेरे से ज्यादा माननीय मंत्री जी ने देखा है। एक-एक चीज से वाकिफ हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि हाड़ौती में जहां-जहां पर मेले लगते हैं, वहां सभी जगह स्थान छोटा पड़ने लग गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, तब की तो अलग बात है। आप बच्चे थे, तब से वहां मेला भरने लगा है। आज भी वहां मेला भरता है। आपके बचपन के समय कोटा की क्या जनसंख्या थी और आज क्या जनसंख्या है? आपको एक-एक बात का पता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको बाइफर्केट करें। पशुओं का मेला अलग करें, खेलों का मेला अलग करें।

इसी प्रकार से झालरापाटन का मेला है, अपने बारां का डोल ग्यारस का मेला है, अनंत चौदस का मेला है, ये बड़े मेले हैं। इनको थोड़ा विस्तार देकर या तो थोड़ी जगह ज्यादा लेकर इन सबको ही शिफ्ट करें। वरना कुछ ऐसी चीजें, जैसे जानवर का मेला है, वह दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। इस प्रकार से शिफ्ट करके उनको निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से मदद मिले, ताकि वे मेले अच्छी तरह से, खूबसूरत तरीके से भर सकें। इतना ही मेरा निवेदन है।

विशेषकर मैं कोटा के लिए तो कहूंगा कि कोटा में जिस प्रकार का काम हुआ है, जिस प्रकार से कोटा में रिवर फ्रंट बना है, उसकी तो जितनी तारीफ करें कम हैं। वह निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): हमारे मेले भी पूरे हिन्दुस्तान में मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हमारे कोटा का दशहरा मेला मशहूर है और उसकी जो खूबसूरती है, वह बनी रहे, इसके लिए माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से कोई कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार से बारां के डोल ग्यारस, जहां पर मेला भरता है, वहां आपने देखा है, वहां मनियारा में तालाब के पास में बहुत अतिक्रमण हो गया है। एक ड्राइव चलाकर अतिक्रमण को हटा दें। आपकी

(श्री प्रताप सिंह)

अतिक्रमण हटाने की इच्छा नहीं है तो उसको कहीं भी शिफ्ट कर दें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। आप बिल पारित हो जाने दें।

सूचना

कोटा मेडिकल कालेज में लापरवाही के चलते मरीज की मृत्यु

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में एक बहुत गम्भीर घटना हुई है। एक तीस वर्ष का नवयुवा, जो मेडिकल कालेज के नये अस्पताल में इलाज कराने गया था वैभव शर्मा, अस्पताल में आक्सीजन का जो मास्क होता है, उसमें आग लग जाने के कारण वह मृत्यु का शिकार हो गया। ऐसी भयंकर लापरवाही और हादसा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, कभी भी अस्पताल में बड़ी घटना हो सकती है और अस्पताल प्रशासन बिलकुल गैर जिम्मेदार है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज 10 दिन के बाद भी किसी एक की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इसमें जिम्मेदार व्यक्ति तय किया जाये। ऐसे व्यक्तियों को वहां सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने लापरवाही की है। अस्पताल प्रशासन इस विषय में गम्भीरता से कदम उठाये और आगे ऐसे हादसे होने से रोके जायें। अन्यथा जो मरीज हैं वे दहशत से अपना इलाज कराने में डर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) जो प्लांट लगा हुआ है ...(व्यवधान) आक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति आक्सीजन की कमी की वजह से मर जाये, यह हम सब लोगों के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बात शासन के नोटिस में आ गयी है। संदीप जी माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है वह शासन के नोटिस में आ गयी है। थैंक यू। श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित), श्री बिहारीलाल जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति जी, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री बिहारीलाल)

सभापति जी, राजस्थान के लिए कहा जाता है कि आठ कोस पर पानी और बारह कोस पर वाणी बदल जाती है। रंगीले राजस्थान में अनेक सांस्कृतिक और आस्था के रंग हैं और ऐसा कोई भी दिन और ऐसी कोई भी तिथि नहीं होगी जिस दिन राजस्थान के किसी हिस्से में कोई मेला या उत्सव न होता हो। इसलिये मेलों में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो व्यवस्था की बातें होती हैं उनके लिए प्राधिकरण बनाने का बिल सरकार लेकर आयी है और आज से पहले समिति आयोजन करती थी या आयोजक जो समिति के होते थे वो आयोजन किया करते थे। कोई देवस्थान विभाग के मेले, कोई प्रन्यास/ट्रस्ट के मेले, कोई निजी मेले इसी तरह का मिला-जुला स्वरूप राजस्थान का था।

आदरणीय सभापति जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा बीकानेर में पुनरासर, कतरियासर, मुकाम, सेंगालधोरा, ब्रंगालनाडू, जांगलू का मेला, देशनोक का करणी माता का मेला, जोगणिया माता का मेला, सुसवाणी माता का जैन समाज का मेला, विसवत माता राजपुरोहित समाज का मेला, सुजानदेसर, रामदेवजी का मेला, लक्ष्मीनाथ जी नगरसेठ का मेला, गढ़ गणेश जी का मेला और गेमना पीर का मेला, ये बीकानेर जिले के महत्वपूर्ण मेले हैं। इनमें से कई तो संख्या के लिहाज से इतने बड़े मेले हैं जहां पांच से लेकर आठ-नौ-दस लाख लोगों तक का आना-जाना रहता है और इनमें पार्किंग को लेकर, यातायात को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, सिक्योरिटी की व्यवस्था को लेकर अनेक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

आदरणीय सभापति जी, सेंगालधोरे की बात करूं जहां शिवजी का पवित्र मेला लगता है। महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है और पहले जब विधान सभा सत्र चल रहा था और बीच में छुट्टी में जाना हुआ तो ट्रैफिक का इतना जाम कि चार घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। सीधा नोखा से वहां की सड़क बनी हुई नहीं है तो उसको भी बनाया जाये और यहां पीने के पानी का इतना भयंकर संकट है। इन सब मेलों का, जिनका मैंने जिक्र किया है यहां लाखों की संख्या में फ्लोटिंग पापुलेशन मेले के दिनों में रहती है और आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या यहां रहती है तो इन सब जगह पानी की व्यवस्था तो निश्चित तौर पर की जाये और सड़क से जोड़ने का काम भी किया जाये। पार्किंग व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर एक मेला मुकाम है उसमें तो सेवक दल का इतना बड़ा काम है कि ढाई हजार की संख्या में सेवक दल पुलिस के सहयोग में लगता है फिर भी लाखों लोगों की

(श्री बिहारीलाल)

उपस्थिति और कम जगह के कारण बहुत बड़ी समस्या होती है पर उसका समाधान करने का प्रयास सेवक दल और पुलिस मिल कर करते हैं, लेकिन बाकी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है और पुलिस को बहुत बड़ा ज़ाब्ता लगाना पड़ता है। देशनोक करणी माता मन्दिर की परिक्रमा में लाखों लोग शामिल होते हैं, बीसों किलोमीटर का परिक्रमा पथ है, उस मार्ग को भी पक्का किया जाये और जगह-जगह पानी की सुविधा विकसित की जाये। इसलिये पार्किंग, यातायात, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा इन सारी बातों को मेलों से जोड़ने की जरूरत है।

एक बहुत बड़ा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि पर्यटन मंत्री जी ने यह रखा है कि जसनाथ जी महाराज और सती माता कालिन्दी का मन्दिर, कतरियासर, यहां का पेनोरमा भी अभी बाकी है उसके बाद जगतजननी मां करणी माता का मन्दिर देशनोक, ओसवाल समाज की कुलदेवी सुसवाणी माता का मन्दिर मोरखाणा, सर्वसमाज का आस्था केन्द्र जोगणियावाला थावरिया स्थित काली माई का मन्दिर, विश्नोई समाज का आस्था स्थल मुकाम, वीर तेजाजी का स्थान खरनाल, सदियों पुराना शिव व गोरखनाथ का धूणा, सेंगालधोरा, कामदेव मन्दिर पांचू और विश्व प्रसिद्ध भैरूजी मन्दिर सियाणा और सांख्य दर्शन प्रणेता श्रीकोलायत और मां करणी का स्थान गड़ियाला, इन सब धार्मिक स्थलों को स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम, स्पिरिचुअल सर्किट के नाम पर विकसित किया जाना चाहिये। इसमें लगभग-लगभग 80 से 90 प्रतिशत सड़कों से जुड़े हुए हैं पर कहीं कोई सड़कें बची हैं तो उनको बनाने का काम सरकार करे।

यह जो बिल आया है इस बिल में मुख्य उद्देश्य जो बिल का नजर आता है कि इन सब मेलों की व्यवस्था के लिए प्राधिकरणों का गठन हो। इनमें भावना सरकार की ठीक है, लेकिन आयोजकों को प्राधिकरण की स्थापना में जगह दी जाये क्योंकि अब तक तो आयोजक और न्यास ट्रस्टी इन मेलों की व्यवस्था किया करते थे, इनको इस प्राधिकरण में शामिल करना चाहिये। आपने इसमें शामिल नहीं किया और शक्तियों में उनको शक्ति नहीं मिलेगी। मेला समितियों में इनको शामिल नहीं करेंगे, प्राधिकरण में शामिल नहीं करेंगे और आप अध्याय 6 में धारा 17 में आयोजकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्वहन करने हेतु डालने जा रहे हैं, लेकिन उनको इसमें एम्पावर्ड नहीं कर रहे हैं। दण्ड और शास्तियां भी उन पर लागू होंगी, लेकिन साथ में एम्पावर्ड भी

(श्री बिहारीलाल)

उनको करना पड़ेगा, प्राधिकरण में उनको शामिल करना पड़ेगा, यह हमारा आग्रह है। आपने रैकरिंग और नॉन रैकरिंग फण्ड में मात्र एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये का जिक्र किया है तो निश्चित रूप से जैसे अनिता जी ने अभी कहा कि पुष्कर मेले में भी सैकड़ों करोड़ का खर्चा आता है तो राजस्थान में तो पग-पग पर मेले हैं, पग-पग पर इतनी बड़ी संख्या के मेले भरे जाते हैं तो ये भी आपका प्रावधान मात्र लगता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनमें इन संशोधनों को करते हुए जुलूस, जयंती और शोभायात्राओं की भी प्रदेश में भरमार है, हर तिथि को कहीं न कहीं जुलूस, इन सब बातों को भी इसमें शामिल किया जाये। जुलूस, जयंती, शोभायात्रा, इनको भी इस प्राधिकरण के सिस्टम में शामिल किया जाये और मेलों का प्रबन्धन उचित तरीके से किया जाये। मैं इन सारी बातों को शामिल करते हुए बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल (झाडोल)।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय जी, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 आप लेकर आये हैं कि मेलों का आयोजन हो और उसमें समुचित व्यवस्था हो। कानून से लेकर, सुरक्षा से लेकर सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जिस प्रकार से आप बिल लेकर आये हैं, जैसे हमारी अनिता जी ने कहा कि जो आयोजन समिति में हैं उनको इस मेला समिति में सम्मिलित नहीं किया। अब मेला समिति को हमारे जैसे क्षेत्र में जो जनजाति का क्षेत्र है वहां छोटे-छोटे मेले भरते हैं और मेले सांस्कृतिक धरोहर हैं। वहां के लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। वह तिथि भी तय है, स्थान भी तय है। कहीं न कहीं धार्मिक स्थान पर मेले होते हैं और उसके बाद में उन मेलों का प्रशासन को कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं होता है। नहीं होता है तो वे मेले जिस तिथि को भरेंगे, सरकार उसको बन्द करायेगी क्या? रोकेगी क्या? तो उस मेला आयोजन में, जहां लगता है, या तो मेले उनके ध्यान में नहीं हैं तो वहां के लोगों को पूछ करके पता करें कि कहां-कहां मेले हैं और उनको शामिल करें। वे सुझाव दे सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। मेलों की मार्फत काफी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। छोटी-छोटी दुकानें लगाते हैं और उन दुकानों से उनकी आय होती है। हमारे कोटड़ा में महादेव जी का मेला, झेड़ का मेला, कागबासेवला भरता है। कोटड़ा में गणगौर का मेला भी होता है। ऐसे ही

(श्री बाबुलाल)

झाडोल में, ओबणा में बहुत बड़ा मेला होता है। झाडोल में मेला होता है, भागपुरा में होता है। मेरा जो अनुभव रहा कि कोटड़ा में मेला भरता है। हमारे यहां होली के बाद में मेले शुरू होते हैं। चैत्र, वैशाख में मेले लगभग-लगभग सब जगह भरते हैं। मेले भरते हैं तिथि तय है, लेकिन प्रशासन ने वहां पर जो झूले लगते हैं उनको आने नहीं दिया और प्रशासन ने उस मेलों को रोकने का प्रयास किया।

माननीय सभापतिजी, गुजरात में चित्र-विचित्र एक बहुत बड़ा स्थान है और दो राज्यों के लोग वहां पर हमारी जनजाति की अस्थियां विसर्जन करते हैं। वहां की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है, मेले से 15 दिन पहले वहां के आस-पास के गांवों के लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद में अच्छे कलाकार, गायक, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता है और उनका उत्साहवर्धन भी होता है। मैं चाहूंगा कि यह जो बिल लाये हैं इसमें काफी कुछ हैं जिसमें आयोजन समिति को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे हम सुझाव दें और इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे अच्छे सुझाव आयेंगे और अच्छा सक्षम बनाओगे।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 में जिस चिन्ता के साथ विधेयक को लाया गया है मैं समझता हूं कि ये चिन्ताएं यह विधेयक आने के बाद और प्राधिकरण बनने के बाद दूर होंगी।

सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र भादरा से आता हूं उसमें गोगामेड़ी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा साम्प्रदायिक सौहार्द का मेला है जहां गोगाजी की दरगाह बनी हुई है और गोगा पीर के नाम से गोगा जी के धोक लगाने के लिए लोग आते हैं। सभापति महोदय, पिछली बार अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 27 लाख के करीब लोग एक माह में आये थे। आये दिन वहां लोग 7, 8, 9 तीन तिथियों में आते हैं। हमने मेलों की कुछ व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। यह बात सही है कि 2019 तक मेले में पेयजल की व्यवस्था, लाइनिंग की व्यवस्था, शैड की व्यवस्था, सफाई की और दूसरी व्यवस्थाएं सफाई की बहुत खतरनाक स्थिति बनती थी। मैं

(श्री बलवान पूनियां)

धन्यवाद करना चाहूंगा मंत्री महोदय का कि पिछली बार ये वहां गये और इन्होंने साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शैड, बैरिकेड्स और लाइनिंग की व्यवस्थाओं के लिये पैसे दिये। मैं चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से आर.टी.डी.सी. उसका टेंडर करे और काम शुरू करे। सभापति महोदय, वहां के चारों तरफ के गांव मेला सम्पन्न होने के बाद जिस गंदगी का सामना करते हैं, वह चिंता का विषय रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो फिर वहां आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। गोगामेड़ी से ददरेवा की ओर जाने वाली सड़क के लिये भी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि यह सड़क स्वीकृत कर दी है। बीच में 30 किलोमीटर सड़क की कमी थी, वह सड़क अब बन रही है।

सभापति महोदय, यह सुझाव मेरा सिर्फ गोगामेड़ी के लिये नहीं है, पूरे राजस्थान में जहां भी धार्मिक संस्थान हैं, वहां जो देवस्थान के मंदिर हैं, वहां जो चढ़ावा आता है, उसका 50 परसेंट वहीं खर्च किया जाये, ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। सिर्फ प्राधिकरण बना देने से कोई व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी। वही अधिकारी हैं प्राधिकरण में जो आप इसमें लेकर आये हैं, वही अधिकारी अभी भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास बजट एस्टिमेट होगा तो फिर वे छाया की, टेंट की, बैरिकेड्स की, सफाई की, सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे पायेंगे। मैं वहां सी.एच.सी. बनाने के लिये भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। गोगामेड़ी में सीएच.सी. बन गई, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमें चिंतित करती हैं, वे व्यवस्थाएं, जब अचानक भीड़ आती है, उस भीड़ की व्यवस्था के लिये आपने जो बजट दिया है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, वहां जो सफाई की व्यवस्था है, उसके बाद जो मक्खियां पैदा होती हैं, हालांकि पिछली बार दवाई का छिड़काव हुआ, मक्खियां नहीं हुईं लेकिन उसके 5-10 दिन बाद ज्यों ही बरसात हुई, मक्खियां पैदा हुईं। यह सारी स्थिति पूरे राजस्थान के मेलों में देखी जाती है। बहुत साल पहले बचपन में रामदेवरा गये थे, वहां का दृश्य आज भी याद है। सभापति महोदय, इन सारे धार्मिक संस्थानों में काम करने में थोड़ा-सा खर्चा लगता है। हमने कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी कि आप एक महीने तक दवाइयों का छिड़काव करेंगे। वह जानते हैं कि कौनसी दवाई है जो मनुष्य के शरीर पर अटैक नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने उस थोड़े से बजट में, दो-ढाई लाख रुपये के

(श्री बलवान पूनियां)

बजट में मक्खियों पर छिड़काव करके मेले को साफ सुथरा रखने का काम किया। यह अकेले गोगामेड़ी की चिंता नहीं है, यह पूरे राजस्थान में है। जिस तरीके से सालासर में, खाटूश्याम जी में, हर मेले में भीड़ बढ़ती है, उस भीड़ को हम अच्छी सुविधाएं देंगे तो यह महसूस होगा कि यह देश तीज-त्योहारों का देश है, यह देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है। थोड़े दिन पहले जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था मंद गति में आ गई थी और हिन्दुस्तान में नहीं आई, उसके लिये अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हिन्दुस्तान तीज-त्योहारों का देश है, यहां हमेशा रंगत रहती है। उस रंगत को हम बढ़िया रूप देने का काम करेंगे।

इस बिल के लिये जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, मैं इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ वापस लेना चाहूंगा कि इस बिल के आने के बाद हम व्यवस्थाएं चाक चौबंद करेंगे जिससे न तो खाटूश्याम जी में भगदड़ होगी, न गोगामेड़ी में भगदड़ होगी, न कोई दुबारा मेहरानगढ़ होगा। लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी हम मान-सम्मान करेंगे और खासकर गोगामेड़ी में आपने जो सी.एच.सी. दी है, मैं चाहता हूं कि गुरु गोरखनाथ के नाम से उस सी.एच.सी. का नामकरण किया जाये, ताकि लोगों की आस्था मजबूत बनी रहे। उत्तरी भारत से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल से वहां लोग आते हैं, उनकी गुरु गोरखनाथ के प्रति आस्था है, उस आस्था का सम्मान हो। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है इसके 'STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS' के सैकण्ड पैरा में इन्होंने दिया है कि -

"Hundreds of lives were lost in the stampede accident during the organizing of the Mela in Mehrangarh Fort, Jodhpur.

Keeping in view the said stampede accident and for avoiding recurrence of such kinds of accidents in organizing the Melas, the State Government has felt the necessity of establishment and constitution of an effective Authority and District Committees."

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने जन घोषणा-पत्र में भी यह वादा किया था। जन घोषणा-पत्र के बिन्दु संख्या 27.45 में भी मेला प्राधिकरण के नये सिरे से गठन का इन्होंने वादा किया था। सभापति महोदय,

(श्री संयम लोढ़ा)

2008 में जब यह मेहरानगढ़ का हादसा हुआ, हमारे प्रतिपक्ष के नेता उस सरकार में मंत्री होते थे। उसके बाद गहलोत साहब की सरकार आई और 7 अप्रैल, 2011 को प्रशासनिक आदेश से गहलोत साहब की सरकार ने मेला प्राधिकरण का गठन किया था। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मेला समिति का भी गठन किया था। माननीय सभापति महोदय, उस भीषण हादसे के बाद भी क्या परिवर्तन हुआ? एक प्रशासनिक आदेश से अधिकरण गठित हुआ और इस बार आप विधेयक के जरिए उस अथोरिटी के गठन का विधेयक लेकर आये हैं, लेकिन जिन कारणों से हादसे होते हैं और वे 216 परिवार जो मेहरानगढ़ के हादसे में पीड़ित हुए, आज 15 साल बाद भी पूरे राजस्थान के मेलों की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है? कोई सुधार हुआ है? क्यों होते हैं ऐसे हादसे? सभापति महोदय, प्रवेश और निकास के रास्ते अलग अलग नहीं हैं। हजारों की भीड़ होती है। जिस कैम्पस में मुख्य कार्यक्रम होता है, क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। दरवाजे चौड़े नहीं होते, ऊंचे नहीं होते और इन मेलों की व्यवस्था के लिये जो लोहे की जिग-जैग रेलिंग लगानी चाहिये, उसके लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कागजों में पत्र जाते रहते हैं, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं होता है।

सभापति महोदय, अभी हाल ही में मेहरानगढ़ के बाद खाटूश्याम जी का हादसा भी हम लोगों ने देखा है। किस तरीके से लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई? हजारों लोग होते हैं, लेकिन बाहर जो रेलिंग लगती है मंत्री जी, उसकी लम्बाई नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, सबसे खास बात, ऐसे अवसर पर जो वी.वी.आई.पी. आते हैं, उन वी.वी.आई.पी. के उस स्थान पर जाने की अलग से व्यवस्था नहीं होती। उनके बाहर जाने की अलग से व्यवस्था नहीं होती। जरूरत तो इस बात की है कि वी.वी.आई.पी. की एंट्री और आम जनता की एंट्री का रूट अलग-अलग होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आज 15 साल के बाद भी क्या इन मेला स्थलों पर जाने के लिये एंबुलेंस, फायर बिग्रेड की माकूल व्यवस्था हम कर पाये हैं कि उनको रास्ता मिल सके कि वह वहां पर प्रवेश कर सके? माननीय सभापति महोदय, लाइट चली जाये तो क्या उन सभी स्थानों पर पर्याप्त जनरेटर उपलब्ध हैं? क्या उन जगहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं? क्या पर्याप्त सुरक्षा कर्मी हैं? अशोक गहलोत जी की इस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा में सबसे बेहतरीन काम किया है। मैं मानता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में

(श्री संयम लोढ़ा)

वह पहले नंबर पर है, लेकिन जो नि:शक्तजन हैं, इन मेलों में उनके जाने की क्या व्यवस्था है? कैसे वे इन मेलों में पहुंचें, क्या इन मेला स्थलों पर कोई व्हील चेयर होती है, जिनमें उन नि:शक्तजनों को ले जाया जा सके?

माननीय सभापति महोदय, जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, उनमें दर्शन की अलग तरह की व्यवस्था होती है कि इतने बजे पट खुलेंगे, इतने बजे पट बंद होंगे तो जो दर्शनार्थी वहां गये हुए होते हैं, वे इस चक्कर में कि पट बंद हो जायेंगे या पट खुलने वाले हैं, बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे वहां दबाव बन जाता है और वह भी हादसे का एक कारण बनता है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि 15 साल में क्या हमने यह तय किया कि जितने भी पट हैं, हमारे जो बड़े तीर्थ हैं, वे 24 घंटे खुले रहेंगे? 24 घंटे क्यों नहीं खुले रहते हैं? क्या उन भक्तों से ज्यादा जरूरी पटों का बन्द रखना है या उन भक्तों की जिन्दगी को बचाना ज्यादा जरूरी है?

माननीय सभापति महोदय, जब बड़े-बड़े मेले लगते हैं। आप जगह-जगह पर देखते होंगे कि हमारे बहुत श्रद्धालु राजस्थान तो वैसे भी श्रद्धालुओं की जगह है और यह तो वह भूमि है, जब श्रीकृष्ण को वृन्दावन से प्रस्थान करना पड़ा और आगरा में उन्हें जगह नहीं मिली, ग्वालियर में जगह नहीं मिली तो उदयपुर के, हमारे मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने इतनी बड़ी भूमि आबंटित की, जहां श्रीनाथ जी आज भी विराजमान हैं। यह तो वह भूमि है। माननीय सभापति महोदय, ये जो भण्डारे लगते हैं, आप पूरे रास्ते देखिये, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का मेला हो, चाहे बाबा रामदेव जी का मेला हो और चाहे दूसरे बड़े मेले हों, श्रद्धालु लोगों की सेवा के लिए भण्डारे लगाते हैं, लेकिन हमने अनेक दुर्घटनाएं देखी हैं। वे भण्डारे लगाने वाले लोग रात में कुचले जाते हैं। पैदल चलने वाले लोग रात में कुचले जाते हैं। क्या उन भण्डारों को सड़क से 50 मीटर या 50 फुट की दूरी पर नहीं होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं न हों? इतने बड़े हादसे होने के बाद भी क्या 15 साल में उन व्यवस्थाओं को हम सुधार सके हैं?

माननीय सभापति महोदय, ये जो पदयात्राएं निकलती हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, इतना बड़ा बोर्ड बनाया है, इतनी बड़ी कमेटी बनायी है, इतने सेक्रेटरी रखे हैं, जिला कलेक्टर इन्वोल्व किया है, जिला समिति है। यह पूरा सदन गवाह है, किसी पदयात्रा में प्रशासन की नाममात्र की भूमिका कहीं रहती है। इन पदयात्रियों को प्रशासन एक मटके का पानी पिलाने का भी

(श्री संयम लोढ़ा)

काम करता है? मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपने यह जो प्राधिकरण का नाम रखा, मेला प्राधिकरण, इसके साथ-साथ आप मेला एवं उत्सव प्राधिकरण कर देते तो क्या तकलीफ थी? ज्यादा अच्छा है। राजस्थान के अन्दर कितने रजिस्टर्ड मेले हैं? आपके पास सिर्फ 42 मेले रजिस्टर्ड हैं। जो चिह्नित मेले हैं, आप इन 42 को भी गिनें तो 100 के आसपास हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मुझसे पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन्होंने अनेक उत्सवों का जिक्र किया है। इसलिए अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, लोगों की जान की हिफाजत करना चाहते हैं, उनको ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि अपने धार्मिक कार्यक्रमों को वह उदात्त चित्त के साथ अच्छे माहौल में करें तो इसमें उत्सव भी जोड़ लें, जिससे शासन की छोटी-मोटी मदद उन उत्सव के कार्यक्रमों के अन्दर भी प्राप्त हो सके। आपने प्राधिकरण बनाया, आपने मंत्री को अध्यक्ष क्यों रखा? क्या जरूरत है जब सारे बोर्ड के चेयरमैन सरकार के द्वारा मनोनीत हो रहे हैं? 01 करोड़ 15 लाख रुपये के एक्सपेंडिचर का आपने प्रोविजन किया है, उसके अन्दर मंत्री जी को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? वैसे भी इसकी मीटिंग छह महीने में एक बार हो रही है। हमें तो विधान सभा में भी उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज आप जब बिल लेकर आये हैं, तब भी उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। जिस व्यवस्था में वे लगे हुए हैं, उसमें आप रहने दो और मेहरबानी करके इस प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिनको भी आप उपाध्यक्ष बनाना चाहें, उन्हीं को अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था करें, ताकि आपका कामकाज ठीक ढंग से चल सके।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जब मेहरानगढ़ का हादसा हुआ बीजे.पी. की सरकार थी। 216 मौतें हुईं। मैं आज राजस्थान की जनता की ओर से पूछना चाहता हूं, जस्टिस जसराज चौपड़ा की कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, आज तक वह रिपोर्ट राजस्थान की जनता के सामने क्यों नहीं लायी गयी? क्या कारण है कि आप राजस्थान की जनता को यह बताना नहीं चाहते कि वह मेहरानगढ़ हादसा क्यों हुआ? इसके जिम्मेदार कौन लोग थे? किनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी? कार्यवाही क्यों नहीं हुई? बी.जे.पी. की सरकार के समय हादसा हुआ। आपकी पूरी पांच साल की 2008 से 2013 की सरकार निकल गयी। टाइम पर टाइम, टाइम पर टाइम, आप समय बढ़ाते रहे। फिर इनकी सरकार थी, तब रिपोर्ट आयी, ये कुण्डली मारकर बैठ गये। आज 5 साल हो गये, माननीय मुख्य मंत्री जी के खुद के गृह नगर, खुद के गृह क्षेत्र में यह हादसा हुआ है तो क्या राजस्थान की जनता को

(श्री संयम लोढ़ा)

जानने का हक नहीं है कि उसमें कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सलाहकार कमजोर है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मुख्य मंत्री जी के सलाहकार जिम्मेदार हैं।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2008 में मेहरानगढ़ का जब हादसा हुआ तो एक पैकेज घोषित किया। क्या 15 साल में वापस आपने कभी देखने की कोशिश की कि इस पैकेज पर और कुछ किया जा सकता है या कोई जिम्मेदारी बनती है? माननीय सभापति महोदय, इस पैकेज के बिन्दु 2, भरण-पोषण के बिन्दु 3 में लिखा है, ऐसे परिवार जिनमें मृतक के अलावा कोई कमाऊ सदस्य नहीं है तथा मृतक के माता-पिता पूर्ण रूप से मृतक पर ही आश्रित थे, ऐसे प्रकरणों में माता-पिता को संयुक्त रूप से 2 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि भरण-पोषण हेतु प्रदान की जायेगी। क्या हमको शर्म नहीं आती? इस सदन में बैठकर हमने कितनी बार अपने भत्ते बढ़ाये हैं इस सरकार के अहलकारों के, इन नुमाइंदों के वेतनमानों के आधार पर हमने कितनी बार इनकी तनख्वाहें बढ़ायी हैं? वे मां-बाप, जिनका कमाऊ बेटा चला गया, आज 15 साल के बाद भी 2 हजार रुपये की उनकी भरण-पोषण की सहायता राशि बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम इस पर विचार नहीं करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बिन्दु की तरफ निवेदन करुंगा। मृतक के परिवार का कोई सदस्य अथवा कोई कमाऊ व्यक्ति यदि इस दुर्घटना में निःशक्त हो जाता है एवं मात्र निःशक्तता प्रतिशत के आधार पर समाज कल्याण की पेंशन योजना का पात्र पाया जाता है तो ऐसे सदस्य को स्वयं के भरण-पोषण के लिए दो लाख रुपये की एक बार एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी। बस। 15 साल बाद कुछ नहीं है। उस दिव्यांग के लिए कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करूंगा, आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा। इस सरकार ने बहुत उदार दिल से समाज के हर तबके की सहायता करने का काम किया है। हर तबके की तकलीफ को समझने का काम किया है। मुख्य

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि इन 216 परिवारों के जो आश्रित हैं, उनको नौकरी दी जायेगी। क्या आपने सर्वे करवाया? क्या आपने कोई जानकारी ली? क्या कलेक्टर से पूछा कि मुख्य मंत्री की जो घोषणा हुई उसके आधार पर अब तक क्या हुआ? अब तो जाने का समय आ गया। सरकार तो किसकी आयेगी, यह तो राजस्थान की जनता तय करेगी, लेकिन जब आज आप यह बिल लेकर आये हैं तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं। मंत्री जी, अभी भी समय है। जब आप जवाब दें, आप जोधपुर के कलेक्टर से पूछिये कि मुख्य मंत्री की बजट घोषणा का क्या हुआ। क्या कार्यवाही की? कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी और सर्वे नहीं किया तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, प्रयास अच्छा है। प्राधिकरण बनने चाहिए, व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन यह बिल इस तरह का बिल है, जो बिना मन के लाया गया है। जिसके अन्दर शरीर तो है, खूबसूरत, आत्मा नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके नये तरीके से आप इस बिल को ड्राफ्ट करें, जिससे वास्तव में हमारे उत्सव, हमारे मेले बहुत बेहतर ढंग से हो सकें। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सब का संरक्षण हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी मेरे से पूर्व मुख्य मंत्री जी के सलाहकार महोदय ने, हम बार-बार इस सदन में और सदन के बाहर भी चीख-चीखकर कहते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री घोषणावीर हैं। घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जाता है। अभी तक 40 परसेंट घोषणाएं भी मूर्त रूप नहीं ले पायी हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री के सलाहकार इस सदन में चीख-चीखकर कह रहे हैं। सरकार को सोचने की जरूरत है। उसके बाद में आगे ये जाने वाली सरकार है, यह भी कह रहे हैं। ये राजस्थान सरकार के सलाहकार कह रहे हैं।

ये जो मेला प्राधिकरण विधेयक लेकर आप लेकर आये हैं, इस विधेयक के अंदर जो मुख्य कारण बताया है, उसमें मेहरानगढ़ की घटना के बारे में जिक्र किया है। मेहरानगढ़ की घटना का जिक्र तो कर दिया, लेकिन

(श्री अभिनेश महर्षि)

उसके ऊपर जो हो गया और जिसकी रिपोर्ट के बारे में अभी कहा गया और उसके बाद में उन परिवारों का क्या किया? इसके बाद में जितने मेले लगते हैं, उन मेलों के ऊपर किस तरह से सरकारों ने सुधार करने की कोशिश की या नहीं की, यह भी आप सब लोगों के सामने है। मेहरानगढ़ की घटना का जिक्र तो किया, लेकिन खाटूश्याम जी को भूल गए। जोधपुर को शामिल किया, ये सीकर जिले के अंदर खाटूश्याम जी की घटना भी इसके अंदर और बाकी को भी शामिल करते तो निश्चित रूप से बिल के अंदर जो मंशा और भावना है, वह प्रकट होती।

माननीय सभापति महोदय, अन्य अनेक मेले लगते हैं। कुछ मेलों का जिक्र हुआ, लेकिन इस राजस्थान के अंदर धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य अनेक तरह के मेले लगते हैं, हजारों मेले लगते हैं प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष हजारों मेले, 42 रजिस्टर्ड हैं आपके पास में। बाकी सारे मेले इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में किसी तरह का कोई जिक्र इस बिल के अंदर नहीं किया गया है। मेलों के अंदर, यह हम सब लोग जानते हैं कि जब मेला भरता है, लाखों लोग आते हैं। वह लाखों लोग जिन सड़कों के माध्यम से आते हैं, उन सड़कों के ऊपर, सरकार जितने धार्मिक स्थल हैं, उनके ऊपर सड़कें बनाने की बात तो करती है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में हम जन-प्रतिनिधियों के बार-बार कहने के बावजूद भी उनको सड़कों से तथा उनके सुगम मार्ग को यथोचित बनाने के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। कुछ जगहों को छोड़ दें, बाकी हजारों मेले भरते हैं, हजारों धार्मिक स्थल हैं, चाहे सड़क की बात करें, चाहे मेला जब भरे तब चिकित्सा सुविधा की बात करें, चाहे पानी की बात करें, यथोचित सुविधाओं के लिए हमें सोचना चाहिए और उनके ऊपर विचार करके कोई ठोस कार्ययोजना बननी चाहिए।

सभापति महोदय, एक मेरे मित्र जो मैं समझता हूं कि उनको या तो धार्मिक मामलों के बारे में मालूम नहीं है और यदि मालूम है तो पता नहीं वह किस मानसिकता के साथ में कुछ बातें कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के पट 24 घंटे खोल देने चाहिए। भाई, अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं इस सनातन धर्म के अंदर। सनातन धर्म के अंदर कौनसे भगवान का किस तरह का कार्यक्रम निर्धारित होगा, यह आप तय नहीं करेंगे। मैं इस बात से बिलकुल विपरीत विचार व्यक्त कर रहा हूं कि भगवान को मत छेड़िए। भगवान को

(श्री अभिनेश महर्षि)

छेड़ने वाले लोगों के साथ में भगवान निर्णय कर देता है। आप भगवान को छेड़ने की, भगवान सोते भी हैं, जागते भी हैं, उठते भी हैं, उनका भोजन करने का समय भी होता है। यदि आप भगवान को मानते हैं, यदि आप आस्तिक हैं तब तो इस तरह की कि 24 घंटे भगवान को खुला कर दो, फिर दर्शन पूरे हो जाएंगे क्या? फिर भगदड़ नहीं होगी क्या? आप यह विचार कीजिए कि मंदिर की व्यवस्था जैसे चलती है, जो भगवान का नियम-कायदा है, उस कायदे के अनुसार सरकार को किस तरह से व्यवस्था करनी है, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए।

अब जन घोषणा-पत्र की बात भी कर देते हैं गाहेबगाहे। जन घोषणा-पत्र के बारे में हमने बार-बार कहा है कि जन घोषणा-पत्र के अंदर जो बातें कही थीं, वे अब पौने पांच साल के बाद में आपको याद आने लगी हैं। पौने पांच साल के अंदर आपने क्या किया? आप अब आनन-फानन के अंदर एक के बाद एक बिल लेकर आ रहे हैं। आप बिल पहले सोच-समझकर, उन पर विचार विमर्श करके, ठोस कार्ययोजना बनाकर के लाएं तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही हो सकेगी।

मेरा एक विचार है और यह सही बात है कि दिव्यांगजन जितने भी हैं, उनके लिए मंदिर में दर्शन की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। जब आप ये बिल लेकर आये हैं, उनके लिए अलग से रास्ता होना चाहिए, उनके लिए अलग से भगवान के दर्शन होने चाहिए और उनको वी.वी.आई.पी. से भी ज्यादा तरजीह देनी चाहिए क्योंकि भगवान ने उनके साथ में जो थोड़ी कमी रख दी है, उस कमी को पूरा करने के लिए, भगवान के दर्शन तो आप उनको ठीक तरह से करवा दीजिए। आप ये जो वी.वी.आई.पी. वाली प्रथा है, इसको बंद करवा दीजिए। जिनके लिए सिक्युरिटी जरूरी है, सिक्युरिटी के लिए जो प्रोटोकाल के अंदर आते हैं, उनके लिए तो फिर भी और भगवान के घर जा रहे हैं तो डर किस बात का है? सिक्युरिटी को तो बाहर छोड़ दो और उनको भी लाइन में लगा दो। छोड़ दो, चार-पांच जो बड़े जिनके लिए प्रोटोकाल है, बाकी के लिए तो एक आदेश निकाल दो। ये दर्शन वी.वी.आई.पी. वाले बंद कर दो। भगवान के यहां जो भी दर्शन करने की इच्छा रखता है, उसको उसी लाइन के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे वह अरबपति है, चाहे वह कोई एम.एल.ए. है, चाहे कोई एम.पी. है, या चाहे कोई मिनिस्टर है चाहे कोई और है। जो गरीब आदमी है, उसके साथ में उसको लाइन में लगा दो जिससे ये व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। ये भगदड़ क्यों मचती है? कई-कई घंटे तक वह रुक जाता है,

(श्री अभिनेश महर्षि)

भगवान के पट बंद होते हैं इसलिए नहीं रुकता है, कई बार भगवान के पट बंद करने के नाम पर ये भी कर दिया जाता है कि अभी तो फलां जी दर्शन करने के लिए आये हैं, इधर की लाइन रोक दो, इधर का रास्ता रोक दो। ये जो वी.वी.आई.पी. कल्चर है, इसको भगवान के लिए तो कम से कम बराए मेहरबानी बंद कर देना चाहिए। (समय-समप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत अच्छे सुझाव दे रहा हूं माननीय सभापति महोदय। यदि सही तरीके से इसके अंदर इन्कारपोरेट कर लेंगे तो हम जिस भावना के साथ में ये बिल लाना चाहते हैं, अब ये मेला लगाने वाले लोग, जो आयोजक लोग हैं, इन लोगों को इसमें कहीं भी स्थान नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। न राज्य स्तर के ऊपर है, न जिला स्तर के ऊपर है।

माननीय सभापति महोदय, ये जो समिति का गठन किया है, ये तो हमेशा से होता ही आ रहा है। कोई भी छोटा-मोटा मेला लगता है तो उस मेले के अंदर सारी व्यवस्थाएं करने के लिए यही जो कमेटी आपने बताई है, इसी कमेटी के तहत ये सब मेले आयोजित किये जाते हैं। बजट की बात भी इसके अंदर की है, 01 करोड़ 15 लाख रुपये के करीब की। क्या यह सम्भव है कि इतने से बजट के अंदर, इसी बजटीय प्रावधान के साथ में आप ये इतना बड़ा प्राधिकरण बना लें? आप सिर्फ बिलों की संख्या बढ़ाकर वाहवाही करने के लिए कि हम ये भी बिल ले आये, ये बिल भी ले आये, क्यों जनता को बेवकूफ बनाने वाले सारे काम कर रहे हैं? अब आप लेकर आये हैं, यह बिल कब हो जाएगा? मैं समझता हूं कि ये भावना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं विनम्रता के साथ में यह निवेदन कर रहा हूं कि इसको 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए भेजा जाए।

सभापति महोदय, बीच में एक बात और कहूंगा कि इसमें पावर्स एंड फंक्शंस आफ अथोरिटी की बात भी कही गयी है। पावर्स और फंक्शंस, क्लियर कुछ भी कहीं भी नहीं कर रहे हैं आप। अध्यक्ष के लिए इसमें आपने कहा, प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्तियां, ये ही है, अब इसके अंदर लिख रहे हैं प्राधिकरण का अध्यक्ष प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किये जाएंगे। अब वह क्या है? इसमें नहीं पता है इसमें आप एक तरफ लिख रहे हैं शक्तियां और कृत्य। शक्तियों का पता नहीं है कि क्या शक्तियां होंगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये आधा-अधूरा बिल है। बहुत सारी बातें हैं जिनको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताईं, उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये भागते-भागते कि अब जा रहे हैं तो एक के बाद

(श्री अभिनेश महर्षि)

एक आनन-फानन में बिल लाकर के, एक दिन में चार-चार बिल लाकर के हम ये बता दें कि हम तो बहुत काम करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इसको जनमत के लिए भेजो जिससे सही तरीके से राय आ जाए और उसके बाद में, आप करने वाले तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। अभी-अभी इन्होंने कहा ही है कि मेहरानगढ़ की घटना हो गयी उसके बाद में अब तक दो बार तो सरकार आपकी आ गयी। ऐसी स्थिति में इसको जनमत के लिए परिचालित करने के लिए भेजा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

(समय: 14.00 बजे)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मर्दों का प्रदेश तो है ही, लेकिन यह मेलों का प्रदेश भी है। जहां कहा जाता है कि हर आठ कोस के बाद प्रदेश में बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान-पान बदल जाता है, परम्परागत संस्कृति में बदलाव आ जाता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की संस्कृति को यदि कहीं देखना हो तो इन मेलों में एक बार जाकर आइए। वहां सब लोग परम्परागत वेशभूषा के अन्दर इतने उत्साह के साथ भाग लेते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उसके बाद किसी प्रशासन की आवश्यकता होती है, किसी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, किसी जिला समिति की आवश्यकता होती है।

माननीय सभापति महोदय, यह मेले कोई आज से नहीं लग रहे हैं। वर्षों की परम्परा को कायम रखते हुए आज भी गांवों में और गांवों की तर्ज पर शहरों में मेले लगना शुरू हो गए। इन मेलों के कारण न जाने कितने, हज़ारों-लाखों लोगों को मेलों के अन्दर रोजगार मिलता है। जो सरकार रोजगार नहीं दे पाई है, जिस राजस्थान में 28.5 प्रतिशत की बेरोजगारी दर हो, पूरे भारत में बेरोजगारी के मामले में नम्बर-2 पर हो, चाहे कोई व्यक्ति मिठाई की दुकान लगाता है, चाहे वह जूस की दुकान लगाता है, चाहे वह झूले लगाता है, चाहे और कोई ऐसे साधन लगाता है, वहां इस प्रकार के मेलों के आयोजन से, उसके जीवन के सुबह-शाम का गुजारा होता है, उसके बच्चों का पालन पोषण होता है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक गांव में, चाहे गांव की आबादी पांच हजार हो या लाखों के अन्दर हो, उस गांव में प्रतिवर्ष मेले लगते हैं। इन मेलों के कारण गांव के अन्दर सामाजिक सद्भाव बनता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर काम करेंगे, "सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास" की भावना को लेकर काम करेंगे और सर्व जन हिताय को मूल मंत्र रखकर काम करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक गांव में मेले लगते हैं वहां कुछ, अभी संयम लोढ़ा जी ठीक कह रहे थे कि 40 से 42 रजिस्टर्ड मेले हैं। बड़े मेलों की संख्या गिनें तो 100 करीब हो जाए, लेकिन आप सर्वे कराकर राजस्थान के मेलों के बारे में पता करेंगे तो मैं समझता हूं चाहे वह उर्स का मेला हो, दरगाह का मेला हो, पुष्कर मेला हो, चाहे बाबा रामदेव जी का मेला हो, चाहे शीतला माता जी का मेला हो, होली के उपरान्त गेर महोत्सव का मेला हो, पशु मेला हो, ऐतिहासिक लक्खी मेला हो, करणी माता मन्दिर का मेला हो, सालासर बालाजी का मेला हो, खाटूश्याम जी का मेला हो, गणेश चतुर्थी का मेला हो, इनके अलावा राजस्थान में आज विभिन्न सम्प्रदाय के लोग जो हिन्दू संस्कृति को मानते हैं, आस्तिक लोग हैं, चाहे वह जीणमाता का मन्दिर हो, हरनावा व राना बाई जी का धाम हो, चाहे मेरे जैतारण में भुंबलिया में अलख गुसाई जी महाराज के मंदिर का मेला हो, बुटाटी का मेला हो, दरियावजी का मेला हो, जैन समाज के मिश्रीमल जी महाराज सा हों, जैन समाज के पुरूप जी महाराज सा, पुण्यतिथि, जयन्ती का कार्यक्रम हो, जहां लोग बिना बुलाए उस नियत तिथि को आते हैं, वह मेला स्वरूप होता है।

माननीय सभापति महोदय, इन सभी मेलों को आयोजित करने के लिए पहले से ट्रस्ट बने हुए हैं। इस ट्रस्ट में वे लोग शामिल हैं जो इस मेले में सहयोग करते हैं, वे आयोजक की हैसियत से काम करते हैं। जितने भी मेलों का आयोजन होता है यह पूरे गांव वाले मिलकर करते हैं। गांव के मेले का रूप होता है। इन मेलों से मात्र दो या तीन दिन पहले प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सी.एल.जी. के सदस्यों के साथ बैठक करते हैं और वहां पर उन लोगों के साथ बैठकर विचार करते हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो, फिर भी मेले निर्बाध रूप से सम्पन्न होते है। कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं होती, जिससे मेले में विघ्न पैदा हो। इन मेलों में पानी की व्यवस्था हो,

(श्री अविनाश)

पार्किंग की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, पूजा व दर्शन की व्यवस्था हो, यह सब स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर करती हैं।

माननीय सभापति महोदय, जहां किसी बड़े महापुरुष का जन्म जयंती का कार्यक्रम हो, उस अवसर में भी, चाहे वह जसनाथ का मेला हो, चाहे मेरे विराटिया खुर्द में रूणिचा के बाद जिसको छोटा रूणिचा बोलते है, वहां लाखों लोग आते हैं मेले में, वहां मुझे नहीं लगता राजस्थान के अन्दर, आपने जिक्र किया इस बिल के अन्दर जोधपुर की घटना का, खाटूश्याम जी आपकी सरकार के समय, उसके बाद ऐसा कोई मेला नहीं हुआ होगा जहां ऐसी अनहोनी घटना हुई होगी। जहां मेले भरते हैं वहां भगवान उनकी रक्षा करते हैं मैं यह समझता हूं। वहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती जहां प्रशासन को कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के मेलों के आयोजन में अगर हम लोग सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा दें तो अपराधियों के मन में, असामाजिक तत्वों में एक डर रहता है और वह किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं कर सकते। पेयजल की व्यवस्था भी स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा होती है। मेला खतम होने के बाद जो कचरा होता है, उसकी साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था भी हम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे कौनसे मेले, ऐसे कौनसे स्थान हैं जहां स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था है? हज़ारों लाखों लोग मेले में भाग लेते हैं, परन्तु टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है। पारदर्शी प्रशासन अगर होगा तो कोई अप्रिय घटना भी नहीं होगी। उन मेलों तक जाने के लिए आज भी गांवों में सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई हैं। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये लगाकर मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के विराटिया खुर्द में छोटा रूणिचा के नाम से मंदिर पर लाखों लोग आते हैं, उस मंदिर तक भक्तों के पहुंचने के लिए पक्की सड़कें बना दीं। जो सड़कें 15-15 साल पहले टूटी हुई थीं उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लेकर, मंदिर के चारों तरफ जितनी भी सड़कें आती हैं, साढ़े पांच मीटर चौड़ी करके इतना सुन्दर बना दिया कि वहां लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। मंदिर में जो चढ़ावा आता है, प्रसाद आता है, इनकम होती है, अगर उस इनकम को उसी मंदिर परिसर में उससे सम्बन्धित जो मेला स्थान है, उसको डवलप करने के लिए वहां की जो सुविधाएं हैं उसको पूरा करने में अगर हम लोग खर्च करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह भी ज्यादा ठीक रहेगा।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक आप लेकर आए हैं। इस अधिनियम की धारा-3 के अधीन राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण और धारा-9 के अन्दर जिला मेला समिति का आप लोगों ने इसमें गठन किया है। इस अधिनियम के अध्याय-2 में राजस्थान राज्य प्राधिकरण का गठन तो कर दिया, जिसका अध्यक्ष आपने पर्यटन विभाग के प्रभारी मंत्री को बना दिया। प्रभारी मंत्री जी के बारे में अभी आपके ही मुख्य मंत्री जी के सलाहकार संयम लोढ़ा जी ने बता दिया कि आज जब बिल आया मंत्री जी के स्थान पर दूसरे मंत्री को पेश करना पड़ा और उन्होंने असलियत यह बताई कि वह जिस काम में लगे हुए हैं, क्या आप लोगों ने जरा-सा भी नहीं सोचा कि सरकार के मंत्री होते हुए भी ऐसे कौनसे काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में सदन को अवगत कराया गया।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के द्वारा नोमिनेट व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया। साढ़े चार साल कुर्सी की लड़ाई में जिस प्रकार सरकार चली, कहीं न कहीं ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता बच गए जिनको इस मेले में उपाध्यक्ष बनाकर संतुष्ट किया जाएगा। संयम जी ठीक कह रहे थे कि अब जाने का समय आ गया। मैं समझता हूं साढ़े चार साल में आप जिनको पद नहीं दे पाए, उनको उपाध्यक्ष बना दो। बजट का भी जिक्र किया गया, 01 करोड़ 15 लाख, उसमें मंत्री जैसे बड़े व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूं कि समझ से परे है। इसमें आपने 25 सदस्य बनाए। 25 में से 22 तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को रखा और 3 राज्य सरकार की सहमति से नोमिनेट व्यक्तियों को सदस्य बनाया, जो मेले में भाग लेते हैं, मेले के जानकार व्यक्ति हों। अब इसका फैसला कौन करेगा? आप सीधे-सीधे यह क्यों नहीं कह देते कि राज्य सरकार उन लोगों को करेगी जो उनकी स्वामी भक्ति करते हों, जो उनके काम करते हों। इसके साथ सदस्य सचिव, मुख्य कार्यकारी राजस्थान राज्य प्राधिकरण मेला प्राधिकरण बनाया। कुल मिलाकर 28 सदस्यों को (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस एक मिनट में खतम करता हूं। 28 सदस्यों को आपने इस राज्य प्राधिकरण का बनाया। जो अवधि लिखी है, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य जो राज्य सरकार से नोमिनेट होंगे उनकी तीन वर्ष की अवधि लिखी है, मुख्यालय आपने जयपुर किया।

अध्याय-4 में आपने यह बताया कि यहां जिला मेला समिति बनी हुई है। इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया गया। इसमें सदस्य, आपने 20

(श्री अविनाश)

बनाये और 20 में भी दो सदस्य ऐसे बनाये जो राज्य सरकार द्वारा, जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनकी सहमति से वे ही लोग बनेंगे जो राज्य प्राधिकरण में सदस्य बनने वाले हैं तो जिले के अन्दर जो लोग, जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाये, उनको मेला समिति में एडजस्ट कर दो। ये 22 सदस्य और सदस्य-सचिव आपने बनाया ए.डी.एम. को और इसमें यह लिखा है कि न तो इसका कोई कार्यालय होगा, जिला मेला समिति का कार्यालय, न स्थाई कार्यालय होगा और बैठक कब होगी? जिला कलेक्टर की इच्छा के आधार पर वे इसकी बैठक को कर पाएंगे।

मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो मुझे आब्जेक्शन है माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर कि आपने जो आयोजन कमेटी है, जो लोग मेला आयोजन करते हैं, बिना प्रशासन के सहयोग से निर्बाध रूप से सैकड़ों सालों से मेला आयोजन करते आये हैं, उसमें आपने यह लिखा है कि मेले की अवधि से 30 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय को एक एप्लीकेशन देनी होगी और उस एप्लीकेशन पर वे निर्णय करेंगे और निर्णय करने के बाद में मेले की परमिशन वे देंगे। सात दिवस के अन्दर-अन्दर मेले की परमिशन उनको देनी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे पहले भी, अभी क्या चल रहा है आपके शासन में? साढ़े चार सालों के शासन में हमने जो देखा है कि हिंदू धार्मिक पर्व जितने भी आते हैं, जितने भी उत्सव आते हैं, जितने भी मेले आते हैं तो आपके अधिकारी यह कहते हैं कि इससे पहले कभी मेला हुआ या इससे पहले जुलूस निकला था या इससे पहले कभी उत्सव हुआ था तो उसकी परमिशन लेकर आओ। क्या किसी हिंदू धर्म के मेले के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है? जहां पर लोगों की श्रद्धा का विषय हो, जहां पर लोग अपनी इच्छा से और श्रद्धा भाव से उस मेले में शामिल होना चाहते हैं, कोई जुलूस निकालना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग इतने रोड़े, अड़ंगे डालते हो, जिसके कारण कई जगह पर साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा नहीं होता, बल्कि साम्प्रदायिक उन्माद पैदा हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें दण्ड और शक्ति के बारे में अध्याय-7 में आपने यह लिखा कि अगर बिना एन.ओ.सी. के मेला कोई आयोजित करता है तो उसे एक वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों के साथ में दंडित किया जायेगा और अगर प्राधिकरण और जिला मेला समिति की शर्तों का उल्लंघन

(श्री अविनाश)

होता है तो छह माह की सज़ा, जुर्माना या दोनों होता है। अगर उस मेले के दरम्यान, आयोजन के दरम्यान अगर कोई जन हानि हो जाती है तो दो वर्ष की सज़ा और जुर्माना, इन दोनों के साथ दंडित करना पड़ेगा और इसके अलावा अगर उस मेला परिसर में अनधिकृत रूप से निर्माण होगा या किन्हीं शर्तों का अतिक्रमण होगा तो तीन माह की सज़ा और जुर्माना, दोनों से उसको दंडित किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में इसमें यह लिखा गया है अध्याय-8 के अन्दर कि प्राधिकरण का विघटन, राज्य सरकार की अधिसूचना को जारी करने के बाद में इसका विघटन किया जा सकता है तो मैं यह समझता हूं कि इस बिल का मैं इस बात के लिए विरोध करता हूं कि आज हिंदू समाज के जितने भी मेले हैं, जिनको धार्मिक आस्था के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है, उनको कहीं न कहीं बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी तुष्टिकरण की सरकार जब शासन में होती है, सत्ता में होती है तो हमने यह देखा, परसों ही हमने देखा कि बगरू के अन्दर शिव भक्त कावड़ियों के जाते हुए मेले को, उनके जितने भी हजारों लोग थे, उनके डी.जे. को रोक दिया गया और दूसरी तरफ पी.एफ.आई. को आपने रैली के लिए इजाजत दे दी। आपका यह जो डबल तरीके का, यह जो आप लोग राजनीति करते हैं, एक तरफ एक समाज है और एक तरफ दूसरा समाज है तो हम यह चाहते हैं कि सारे समाज के लोग अपने-अपने तरीके से राजस्थान में शांति और सद्भाव के साथ में रहें, लेकिन इन दो समुदायों के बीच में जो खाई डालने का प्रयास करती है, यह सरकार कांग्रेस सरकार है और आने वाले चार महीने बाद ही यह चुनाव होंगे तो इसका पूरा जवाब आप लोगों को करारे तरीके से दिया जायेगा। अब नहीं सहेगा राजस्थान की तर्ज पर यह बी.जे.पी. के कार्यकर्ता ही नहीं, यह हिंदू परिषद् के कार्यकर्ता ही नहीं, यह सारी की सारी राजस्थान की आठ करोड़ जनता तैयार बैठी है कि कब चुनाव आएंगे और कब इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे ताकि इन साढ़े चार सालों में आपने जो अन्याय किया हिंदू समाज के साथ में, उसका मुकाबला भी हम लोग करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस बिल के उद्देश्य और कारणों का कथन में यह लिखा है कि राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष कई धार्मिक और सांस्कृतिक मेले आयोजित किये जाते हैं, जिनमें देश और विदेश, दोनों से बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक स्थानीय लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में, राज्य में कोई प्रभावी निकाय या कोई प्राधिकरण नहीं है जो इन मेलों के विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए कार्य कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हजारों वर्षों से राजस्थान में ये मेले आयोजित हो रहे हैं और हजारों वर्षों से व्यवस्थित तरीके से मेले, वहां की संस्थाएं, वहां के ट्रस्ट, वहां के ग्रामवासी, शहरवासी मिलकर इनको सद्भाव से आयोजित करते हैं। हजारों वर्षों में भी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी तो फिर आज यह सरकार को यह प्राधिकरण बनाने की कहां आवश्यकता पड़ी?

वैसे राजस्थान देव भूमि है, राजस्थान में वर्ष-भर में हजारों मेले लगते हैं। मेले हमारी संस्कृति है। राजस्थान मेलों का प्रदेश है, यहां हर रोज कोई न कोई मेला लगता है। कहीं पर खेतलाजी महाराज का मेला लगता है, कहीं पर गौतम ऋषि का मेला, कहीं पर राजारामजी महाराज का, कहीं महादेवजी का, कहीं पर माताजी का, कहीं पर हनुमानजी का, कहीं पर कृष्ण भगवान का, कहीं पर सांवरिया सेठ का, कहीं पर चारभुजाजी का, कहीं पर वीर तेजाजी का, कहीं पर खेतारामजी महाराज का, कहीं पर कुबाजी महाराज का, कहीं पर गजानंदजी महाराज का, कहीं पर शनिश्चर महाराज का, कहीं पर काम्बेश्वरजी महाराज का, कहीं पर आसापुरा माताजी का, कहीं पर बाण माताजी का, कहीं पर तनोट माताजी का, कहीं पर सुंधा माताजी का, कहीं पर अर्बुदा माताजी का, कहीं जीणमाताजी का, कहीं खाटूश्यामजी का, कहीं पर बाबा रामदेवजी के मेले, कहीं पर गणपति उत्सव के मेले और कहीं पर नवरात्रि महोत्सव के मेले होते हैं तो इस तरह से राजस्थान में हजारों मेले पूरे प्रदेश में वर्ष भर लगते रहते हैं।

अब सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, सरकार मेला प्राधिकरण बिल लेकर आयी है, इस प्राधिकरण में कौन-कौनसे मेले शामिल किये जायेंगे

(श्री जोराराम कुमावत)

और किस स्तर के मेले इसमें शामिल किये जायेंगे, यह इस प्राधिकरण में नहीं बताया गया है। हजारों मेलों में से किस-किस मेले को इसमें शामिल करेंगे? यह इस प्राधिकरण में नहीं बताया है तो निश्चित रूप से यह बताने की आवश्यकता है कि कौन-कौनसे मेले इसमें शामिल किये जायेंगे।

प्राधिकरण की स्थापना व गठन में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया है और सरकारी विभागों के सभी सचिवों को सदस्य बनाया है। इस प्राधिकरण में किसी भी जन-प्रतिनिधि को सदस्य नहीं बनाया है। जितने भी मेले आयोजित होते हैं, माननीय सभापति महोदय, उनमें सारे मेलों की वहां की जो स्थिति है, वह जन-प्रतिनिधियों को ज्यादा जानकारी होती है, जन-प्रतिनिधि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जन-प्रतिनिधियों को मेला समितियों में नहीं लिया जाना, निश्चित रूप से यह जन प्रतिनिधियों के साथ अन्याय भी है और मेलों की व्यवस्था में उनका जो सपोर्ट मिलता है वह भी सरकार लेना नहीं चाहती है।

स्थानीय मेला कमेटी के अध्यक्षों को भी इसमें सदस्य नहीं बनाया है जबकि सारे मेले आज तक जितने भी आयोजित होते हैं, वे मेला कमेटी के अध्यक्ष और मेला समिति के सदस्य मिलकर आयोजित करते हैं, प्राधिकरण में उनको लेना भी सरकार ने उचित नहीं समझा तो मेला कमेटी के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया जाये।

राजस्थान भर के मेलों की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेगी, लेकिन इन मेलों की व्यवस्था हेतु सरकार ने जो अभी बजट का प्रावधान रखा है, केवल 01 करोड़ 15 लाख रुपये का बजट का प्रावधान रखा है, जबकि हजारों मेले आयोजित होंगे और 01 करोड़ 15 लाख रुपये से कैसे इन मेलों का आयोजन सरकार करेगी, यह समझ से परे की बात है।

अभी राजस्थान भर में जितने भी मेले लगते हैं और जहां पर मन्दिर बने हुए हैं, उन मंदिरों तक जाने के लिए सड़कों की भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि पहले वहां पर बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था कराये, फिर यह प्राधिकरण तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे।

प्राधिकरण के बिंदु संख्या-3 में यह बताया है कि - 'प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के

(श्री जोराराम कुमावत)

अध्यधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने की, और संविदा करने की, शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।'

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार का सीधे-सीधे हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म के मेलों के ऊपर हस्तक्षेप करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म के ऊपर सरकार हस्तक्षेप कर रही है, निश्चित रूप से मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह बिल आनन-फानन में लाया हुआ बिल है और इस बिल के ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इसे छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए),

श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित), श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, जैसा कि उद्देश्यों से ही प्रतीत होता है कि यह अधिनियम प्रदेश के मेलों को बढ़ावा दे रहा है। दु:खद घटनाओं को रोकने के लिए सरकार जो विधेयक लेकर आयी है, उससे यह नहीं लगता है कि ये घटनाएं रुक पायेंगी, क्योंकि अध्याय 7 में जहां दण्ड का प्रावधान है, वहीं बिन्दु संख्या 19 में केवल एक साल तक की सज़ा और कुछ जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो बहुत ही कम है।

सभापति महोदय, सरकार की मंशा ठीक है। मेलों को बढ़ावा देने के लिए, बीकानेर जिले में विशेष मेले लगते हैं, जैसे बीकाजी महाराज का मेला लगता है, अभी राजस्थान की सरकार ने साढ़े तीन करोड़ रुपये बजट में लिए हैं। उसमें पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं। वहां पर भैरूंजी महाराज का तौलियासर में बड़ा मेला लगता है। वहां पर सड़कों का विस्तार किया जाये। कुंतासर का विस्तार किया जाये। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अध्याय 8 के बिन्दु 21 में तो मेला आयोजकों, प्रशासकों और कम्पनियों को बिन्दु 19 में किये दण्डात्मक प्रावधानों से बच

(श्री गिरधारीलाल)

निकलने की पूरी छूट दी गयी है, क्योंकि ये तमाम लोग सद्भावनापूर्ण किये गये कार्यों में आयेंगे तो फिर सज़ा कैसे दे पायेंगे?

सभापति महोदय, सरकार यदि वास्तव में मेलों को बढ़ावा देने को लेकर चिन्तित है तो सरकार को सज़ा के प्रावधानों में कड़ाई करनी होगी। जरूरत इस बात की है कि अध्याय 7 की धारा 19 में जहां एक साल की सज़ा का प्रावधान है, उसे कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा अध्याय 8 की धारा 21 में सरकार सद्भावना की बात करके अपराधियों के बचाव के लिए खुला सरकारी उपाय दिया गया है।

सभापति महोदय, भविष्य में मेलों में ऐसी घटनाओं का दोहराव नहीं होने पाये, इसलिए इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल (अनुपस्थित), श्री पुखराज (अनुपस्थित)। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष कई धार्मिक और सांस्कृतिक मेले आयोजित किये जाते हैं, जिनमें देश और विदेश दोनों से बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक स्थानीय लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में राज्य में कोई प्रभावी निकाय या कोई प्राधिकरण नहीं है, जो इन मेलों के विकास प्रबन्धन और विनियमन के लिए कार्य कर सके। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण विधेयक लाया गया है।

मेरे क्षेत्र मनोहर थाना और झालावाड़ जिले में जो कार्तिक मेला लगता है, वहां मेला समिति का गठन हुआ है, उसमें जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में एक विशाल मेला शिवरात्रि पर लगता है। ऐसे कई मेलों का आयोजन होता है, जैसे देवनारायण का मेला, कई प्रकार के जुलूस निकलते हैं, रामदेवजी का मेला आयोजित होते हैं। मेरे यहां एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है कामखेड़ा बालाजी मन्दिर, उसमें नवरात्रा के दिनों में नौ-दस दिन तक विशालकाय मेला लगता है। दूर-दराज से लोग आते हैं। मुम्बई से, दिल्ली से, जयपुर से लोग उसमें पहुंचते हैं। मेरा अनुरोध है कि ये मेले भी उसमें सम्मिलित किये जाएं, क्योंकि यह बालाजी ट्रस्ट कामखेड़ा

(श्री गोविन्द प्रसाद)

मन्दिर जो धार्मिक आस्था के लिए माना जाता है और दूर-दराज से कई पर्यटक और कई स्टेट के लोग वहां पहुंचते हैं तो इन मेलों को भी उस प्राधिकरण में शामिल किया जाए, ताकि इन मेलों का सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन हो सके।

सभापति महोदय, छोटे मेले जो ग्राम पंचायत स्तर पर लगते हैं, वहां पशु हाट भी लगते हैं, वहां दुकानें भी लगती हैं, तो वहां की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक मेला समिति का गठन किया जाए, जिसमें पंचायत समिति स्तर पर बी.डी.ओ., एस.डी.एम. को अध्यक्ष बनाया जाए। उपाध्यक्ष के लिए एक जन-प्रतिनिधि इसमें शामिल होना चाहिए। सभी विभागों के प्रभारी आपने इस बिल में शामिल किये हैं, लेकिन जन-प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें शामिल किये जाएं। उनसे विचार-विमर्श कर छह माह पूर्व इन मेलों की मीटिंग की जाये। उसमें यह तय किया जाए कि पेयजल व्यवस्था कौन संभालेगा, यातायात व्यवस्था के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए समिति में जन-प्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रकार के संगठनों की सहभागिता जरूरी है।

सभापति महोदय, विधेयक में प्राधिकरण के अलावा यह नहीं दर्शाया गया है कि इसमें छोटे मेले भी शामिल किये जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। जय हिन्द। जय भारत। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर विचार हो रहा है। लगता है सरकार शायद गोल्ड मेडल लेना चाहती है कि हमने अधिक से अधिक विधेयक प्रस्तुत करके पारित करवाये। साढ़े चार साल तो निकाल दिये और अन्तिम छह महीने में विधेयकों की झड़ी लगा दी। आनन-फानन में विधेयक ला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम तो जाने वाले हैं। विधेयकों के अन्दर जो व्यवस्थाएं की गयी हैं, मैं समझता हूं वह अधूरी हैं।

सभापति महोदय, आज भारत की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। मेलों के बिना शायद भारत अधूरा है। मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर का पुष्कर का मेला, चेटीचण्ड का मेला, दशहरा मेला, दरगाह का मेला, पशु मेला से लेकर कई प्रकार के मेले होते हैं। इस प्राधिकरण में स्पष्ट नहीं है कि

(श्री वासुदेव देवनानी)

किस श्रेणी के मेले इसके विचाराधीन होंगे। यदि सभी मेले होंगे तो मैं सोचता हूं कि 365 दिन ही भारत के अन्दर प्रत्येक स्थान पर मेलों का आयोजन होता रहता है। उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। प्राधिकरण सरकार के कर्तव्यों के बारे में सुनिश्चित करेगा क्या? कहीं उसमें यह नहीं है कि पार्किंग भी करवायेगा, सड़क भी बनायेगा, बिजली की व्यवस्था करेगा, पानी की व्यवस्था देखेगा, सारी सुरक्षा देखेगा। केवल आयोजकों के कर्तव्य हैं और उनके ऊपर दण्ड व शास्तियों का प्रोविजन रख दिया है, जबकि आयोजकों को पूरे प्राधिकरण में कहीं सदस्य तक नहीं रखा गया है। आप सदस्य तो नहीं रखो, लेकिन उसके ऊपर उसके कर्तव्य याद दिला दो। करो आप और भुगतें आयोजक और जनता। जिस प्रकार का आयोजकों के साथ व्यवहार रखा है, वह उचित नहीं है क्योंकि बिना आयोजकों के कोई भी मेला कभी भी सफल नहीं हो सकता। आयोजक ही वही है, तो आयोजक केवल प्रस्तुत करेंगे, आप परमिशन दे दोगे, लेकिन करोगे कुछ नहीं। उनको कहोगे कि कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपको सज़ा, कारावास तक मिलेगा। प्राधिकरण के जो सदस्य हैं, क्या कोई भी अनहोनी होगी तो प्राधिकरण के सदस्यों को भी वह एक साल, छह महीने और तीन महीने की सज़ा दोगे क्या? प्राधिकरण के सदस्यों के प्रति किसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान नहीं होना, केवल आयोजकों पर करना, यह इस बिल की सबसे बड़ी खामी है।

वहां के जन-प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। यदि जन-प्रतिनिधि नहीं होंगे, आप उसका भी अपमान करोगे, उसको भी नहीं जोड़ोगे तो प्राधिकरण कुछ भी तय कर ले, उसका किस प्रकार पालन करोगे? मुझे लगता है कि आयोजकों के ऊपर सज़ा का प्रावधान करके और इस प्रकार के अपने दंड और शास्तियां बताकर एक तरह से मेले बन्द करने का षड्यंत्र है और यह हिन्दू विरोधी है। इस सरकार के लिये यदि मैं कहूं कि हिन्दू विरोधी है, इस प्रकार के प्रावधान लाकर, इस प्रकार की व्यवस्था करके वह चाहती है कि कोई भी वहां पर मेले नहीं हों। इसलिये इसके साथ मजाक किया गया है कि आपने उसके लिये प्रोविजन रखा है केवल एक करोड़ 15 लाख आवर्ती और लिखा है कि अनावृर्ति की व्यवस्था नहीं होगी। आप एक करोड़ 15 लाख में कितने मेले आयोजित कर पाओगे? वहां क्या व्यवस्थाएं करोगे? उससे कैसे तो पार्किंग हो पायेगी, क्या बिजली की व्यवस्था हो पायेगी, अन्य क्या व्यवस्था करोगे? इसका कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। मुझे लगता है कि जान-बूझकर यह मेले नहीं लगे, कम से कम लगें, सरकार की दया पर आश्रित हों, सरकार चाहे तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

उनको अनुमति दे, सरकार चाहे तो अनुमति नहीं दे। अभी पिछले दिन में कलेक्ट्रेट में जब मीटिंग हुई, मैं चेटीचण्ड के मेले में था, आप पाबन्द करते हैं कि सी.सी.टी.वी. कैमरा आप लगवाओ, आप पाबन्द कर रहे हो कि सुरक्षा की व्यवस्था आप करो, वोलिंटियर आप दो तो फिर प्रशासन क्या करेगा? जब दरगाह का मेला होता है तो उसमें सारी व्यवस्थाएं खुद करते हैं। वहां जब मेला कोई होता है तो उस एरिया में एक दिन में दो-दो बार पानी देते हैं, हम मांगते हैं तो हमको चार-चार दिन में पानी मिलता है। इस प्रकार का अंतर दो समुदायों के मेलों में करना, भाई-भतीजावाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस प्रकार का अंतर करना, उचित नहीं है। एक मापदण्ड बने कि आप किसको अनुमति दोगे। इस प्रकार की मेरी आपसे मांग है कि यदि मेले लगें तो उसमें आयोजकों को शामिल करें, सरकारी अधिकारियों के साथ जन-प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हों। इसका कोई प्रोविजन बनाया जाये कि कौनसे मेले इसमें आयेंगे, इसमें शामिल हों। आपने मेहरानगढ़ का तो जिक्र कर दिया, खाटूश्यामजी और बाकी का जिक्र नहीं, क्योंकि वह जोधपुर का है। इस प्रकार की एक सोच उचित नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस प्रकार सरकार जल्दबाजी में यह विधेयक लायी है, ताकि यह होड़ लगे कि हमने इतने विधेयक पारित कराये। इसको छह महीने के लिये जनमत के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: राजेन्द्र राठौड़ साहब का नाम दे रखा है बोलने के लिये, he is not present. बुला लीजिये, बोलना चाहें तो, लेकिन जल्दी करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह लगातार दूसरी बार देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता महोदय सदन से गायब रहते हैं। लगातार देख रहा हूं मैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कल भी यही हुआ था और आज भी यही हो रहा है।

श्री सभापति: कोई बात नहीं, बैठिये प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन की सदाशयता का यह अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) प्लीज सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मुझे उपदेश देने से पहले सरकार के मुख्य सचेतक ट्रेजरी बेंचेज में मंत्रीजी को खोजकर बता देते तो मैं इनको धन्यवाद देता।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर जब बहस प्रारम्भ हुई थी तो उस समय मैं उम्मीद करता था कि प्रभारी मंत्री के रूप में, जो खुद मंत्री महोदय एक चलता-फिरता मेला हैं, विश्वेन्द्र सिंहजी, वह जरूर यहां उपस्थित होते। सरकार इस बिल के बारे में कतई गम्भीर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, 2011 के अन्दर इसी सरकार ने प्रशासनिक आदेश से राजस्थान में मेला प्राधिकरण का गठन किया था और उस समय भी 2008 की घटना को मद्देनजर रखते हुए किया था। उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी मेहरानगढ़ की घटना का जिक्र किया गया है और निश्चित तौर पर घटना भी कुछ ऐसी थी कि देश और दुनिया के अन्दर इस घटना को लेकर कई क्रिया और प्रतिक्रिया हुई। मैं समझता हूं जो बात सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, मैं सोच रहा था कि सलाहकार की परिभाषा क्या होती है, इनकी सलाह क्यों नहीं मानी जाती? कम से कम अब सरकार के अंतिम पायदान में इनकी सलाह इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी मानें, यह मैं मांग कर रहा हूं। इन्होंने 2008 की जो चोपड़ा कमीशन की बात उठायी, उस समय सरकार पर आरोप भी लगाया, मैं समझता हूं कि अब यह सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पायदान पर है तो इस सरकार से ही सवाल करना चाहिये कि यह घटना हुई थी जोधपुर में, मुख्य मंत्रीजी का गृह नगर और उसमें चोपड़ा कमीशन की रिकमण्डेशन के आधार पर क्या-क्या बात होनी चाहिये थी, कौन-कौनसा बिल लाना चाहिये था और राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण में उसका समावेश हुआ या नहीं, उसका जिक्र जरूर होना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी बात कहूं, उससे पहले मेले को जो इन्होंने डिफाइन किया है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के सेक्शन-2 में मेला को इन्होंने डिफाइन किया है। मेले से तात्पर्य ऐसे मेले, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से प्रबन्धन के लिये अधिसूचित किये जायेंगे। यानी राजस्थान के अन्दर जितने भी मेले होंगे, उनको एक तरह से परिभाषा में ले लिया और यह कहा कि यह मेले वही मेले होंगे, बाकी मेले नहीं, क्योंकि आप इसके नाम पर मुलाहिजा फरमायें, यह राज्य मेला, यानी राजस्थान में जितने मेले हैं, उनके लिये यह बिल लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सेक्शन-17 - मेले का आयोजन, कोई भी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट नाम-निर्देशित उपखण्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मजिस्ट्रेट से या निम्न में किसी अधिकारी से अनुज्ञा लिये बिना मेला आयोजित नहीं करेगा। यानी एक विधेयक बना रहे हैं और विधेयक के माध्यम से राजस्थान के अन्दर अब मेलों का आयोजन होगा तो मेलों के आयोजन के लिये आयोजनकर्ता को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा प्राधिकृत किये गये, किसी अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उसके लिये भी, माननीय सभापति महोदय, 17(2) में यह कहते हैं कि 30 दिन पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित किये जायें, मेला आयोजन करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करेगा। 30 दिन पहले।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं है, मैं जब मेरे छोटे-से गांव पर नजर डालता हूं तो मेरे गांव में एक वर्ष के अन्दर 6 मेले होते हैं। 6 मेले इसलिये होते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति में, हमारी धार्मिक संस्कृति में मेलों का बहुत बड़ा महत्व है। अब मेलों के करने के लिये आप कह रहे हो कि हम प्राधिकरण बना रहे हैं और उसके अन्दर आप शक्तियां दे रहे हो कि जिला मजिस्ट्रेट से और एस.डी.एम. से 30 दिन पहले वह प्रार्थना पत्र देकर अनुमति ले। उसके बाद आप आगे क्या कर रहे हैं? अगर वह अनुमति नहीं लेता है तो क्या होगा? अपराधों के लिये दण्ड, धारा 19 - यदि कोई आयोजक बिना अनुज्ञा के या प्रदान की गयी अनुज्ञा सहित किये जाने के पश्चात् भी मेला आयोजित करता है तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं यह निश्चित तौर पर आज राजस्थान के अन्दर सरकार के पास मेलों का कोई नोटिफिकेशन है? सरकार ने परिभाषा में बड़ा वाइडर एक कंसेप्ट दे दिया कि जिसको भी रजिस्टर्ड मान लिया, वह मेला। अगर इन्होंने नहीं माना, किसी ने अगर इस डेफिनेशन के अनुसार एप्लीकेशन नहीं दी और मेले का आयोजन हो गया तो सरकार क्या करेगी? सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार सेक्शन 19 में अपराध के लिये जो दंड दिया गया है, उसमें कारावास देगी। एक वर्ष तक के लिये कारावास देगी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन का ध्यान हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है, मैं उस सेक्शन की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान में आर्टिकल 25 और और 26 है। यह हमें अधिकार देता है कि हमें अपने धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करने का मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मेरे गांव में एक मेला आयोजित हो गया। उस मेले के आयोजन के लिए मैंने आवेदन पत्र नहीं दिया। उसके बाद मैंने अनुमति नहीं ली। सभापति महोदय, आज राजस्थान में आपके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और आपके पास गांव का अनुभव भी है। हमारे यहां 44 हजार राजस्व गांव हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसमें मेला आयोजित नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे हेतु क्या है?

सभापति महोदय, कई बार मुझे लगता है, यहां संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, वे बड़े तेज-तर्रार हैं। वे विधान सभा में जो विधेयक लेकर आते हैं, उसके पीछे हेतु दूसरा होता है क्योंकि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि होली हो, धुलंडी हो, नवरात्रा हो, राम नवमी हो, हनुमान जयंती हो, हनुमान चालीसा हो, उन पर मैंने कई पाबंदी लगी देखीं। संसदीय कार्य मंत्री आ गये। उदयपुर जिले में जिला कलेक्टर ने आर्डर कर दिया और वह आर्डर 2 महीने तक लगातार रहा। कहा कि अगर आपने किसी धर्म की पताका लगा ली तो धारा 144 के तहत, आप पर दंड लगाया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह जो आप लेकर आये हो, आपने प्रशासनिक आदेश भी 2011 में जारी किया था और उसी आदेश के तहत आपने इस मेले के प्राधिकरण को बनाया।

सभापति महोदय, इसी के सेक्शन 3 में आपने यह कहा है कि प्राधिकरण की स्थापना में उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाला प्रख्यात और विशिष्ट गैर सरकारी व्यक्ति होगा। आज आप बिल पारित करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे पहले मेला विकास प्राधिकरण में रमेश बोराणा जी को राज्य मंत्री बना रखा है। आपको ऐसा ही था कि बिल लेकर आना था, सरकार को अधिकार है, पर सदन में बिल लायें, इसके सेक्शन 3 (ख) के अंदर आप कहें कि हम उपाध्यक्ष बनायेंगे, वह प्रख्यात और विशिष्ट गैर सरकारी होगा। हो सकता है प्रख्यात हों, उनके व्यक्तित्व पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या सरकार इतना भी इंतजार नहीं कर सकती थी कि वह जब एक्ट ला रहे हैं तो उसके बाद में उनको बनाती।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल है, यह बिल लाया जरूर गया है, पर इस बिल के बाद आप पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को ऐसा अधिकार दे दोगे। मेरे यहां मेला आयोजित हो गया, छठ का मेला हो गया। मेरे यहां रामदेव जी का मेला हो गया। गांव के लोगों को मालूम नहीं, पुलिस का सिपाही आयेगा, आज्ञा दिखाओ, आज्ञा नहीं है तो चलो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बंद करो। फिर इस सेक्शन 17 के तहत आप मेला आयोजित करोगे और 19 के तहत आपको जेल हो जायेगी। यह एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कुठाराघात करने के लिए आप यह बिल लेकर के आये हो।

मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की एक बात से सहमति व्यक्त करता हूं। हालांकि इनकी सलाह और कोई नहीं मानता। यह कभी हेलीकाप्टर से लटकने की बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, पर मानते नहीं लेकिन एक सलाह इन्होंने ठीक दी। सभापति महोदय, मेले का आयोजन तो हो गया। आपने इस पूरे बिल में केन्द्र बिन्दु रख लिया मेला जहां आयोजित हो गया वहां। हमारे यहां सालासर का मेला निकलता है। मेरा घर जिस जगह है उस घर के आगे से पद-यात्राएं हरियाणा से आती हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि पद-यात्री, श्रद्धालु लोग आते हैं। श्रद्धालु उस जगह जाकर रुक जाते हैं, जहां उनके लिए कोई दूसरा श्रद्धालु कैम्प के नाम पर, शिविर के नाम पर, उनकी सेवा के नाम पर, सेवा की व्यवस्था के नाम पर टैंट लगाकर बैठता है। उसके बाद वह सारी सड़क जाम हो जाती है। क्या आप जब इतना बड़ा मेला प्राधिकरण कर रहे हो तो मेले को लेकर निकलने वाली यात्राओं के रेगुलेशन करने का भी आपके पास कोई मैकेनिज्म है क्या? निश्चित तौर पर उसकी बात करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि बिल लाना और बिल उसी विषय पर लाना, क्योंकि यह सरकार कई प्रकार के बिल लेकर आई। मैं समझता हूं कि इन्होंने अपने नीतिगत दस्तावेजों में भी यह बात कही थी। जन घोषणा-पत्र के पृष्ठ 8 में सरकार ने मेला विकास प्राधिकरण स्थापित करने की बात कही। यह नवम्बर-दिसम्बर, 2018 की बात इनको अब याद आई, जब जाने के दिन हो गये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे धार्मिक आचरणों पर अंकुश लगाने के लिए आपने दंडात्मक प्रावधान जो कर दिये, इससे कोई हेतु सिद्ध होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगाकर हनुमान जी को इन्होंने छेड़ा है। हनुमान जी वे हैं जो रावण की लंका को आग लगाने के लिए अपनी पूंछ को आग लगाकर कूद गये थे। यह जो इन्होंने किया है, यह सरकार दहन भी इसी कारण से होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023, यह राजस्थान जहां नाम आता है, 'धरती धोरां री' तो 'धरती देवां री' भी यह है। 'आ तो सुरगां नै सरमावै, ई पर देव रमण नै आवै, सूरज कण-कण नै चमकावै, चन्दो इमरत रस बरसावै' यह धरती देवों की भी भूमि मानी गयी है।

हमारा राजस्थान प्रदेश पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक पहचान रखता है। यहां हमारी परंपराएं, रीति-रिवाज, पहनावा, धार्मिक भावनाएं हैं। राजस्थान की धरती पर थोड़ी-थोड़ी दूरी में मंदिर पाये जाते हैं, साधु, संतों के स्थान पाये जाते हैं। ऐसे स्थान जिनकी मान्यता ग्रंथों में अंकित है, यह राजस्थान की भूमि तपोभूमि मानी गयी है। अनेकों लोगों ने इसको सिद्ध भी करके दिखाया है। चाहे दु:ख में याद करें, चाहे सुख में याद करें, ईश्वरीय शक्ति राजस्थान में विराजमान है।

आज मेला प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेला शब्द वह है जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, सभी 13 जनों ने अच्छे विचार रखे, कि मेला मीन्स 'मर्दों का शहर'। भावना रखते तो मेला मीन्स 'मां का शहर' महिला का भी शहर है। यह जगत जननी मां है, महिला है, पर यह सोच दर्शाती है। मेलों में हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग आते हैं। जय-जयकार बोलते हैं। एक साथ जयकारा लगाते हैं। पूजा करते हैं, भंडारे करते हैं, नाचते-गाते हैं। घरों से नंगे पैर चलकर आते हैं। अलग-अलग तरह की परिक्रमा करते हैं।

ये मेले इसलिए लगाये जाते हैं कि पूरे प्रदेश में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे, आपस में प्रेम बना रहे, आपस में सद्भावना बनी रहे। जैसे गोगाजी को गोगा पीर बोला जाता है, रामदेवरा है, उनको रमसा पीर बोला जाता है। वहां सभी धर्मों के लोग आकर के एक साथ पूजा करते हैं। धर्म के नाम पर ईश्वरीय शक्ति को एक मानकर एक साथ पूजा करना, एक साथ मेल-जोल रखना, यह हमारे राजस्थान की परम्परा रही है।

जो बड़े मेले हैं, सेठ सांवलिया है, खाटूश्याम है, करणी माता, कैला देवी, तेजाजी, गोगाजी, जीणमाता, बाबा रामदेव, भैरूंजी का रींगस, देवनारायण जी, भर्तृहरि जी, पांडुपोल, पाबूजी पीर, लालदास, रैदास, तुलसीदास ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिनके बड़े मेले यहां पर आयोजित किये जाते हैं। राजस्थान की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सरकार की मंशा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा है कि जब मेले लगें तो उनमें सारी सुविधाएं मिलें, बिजली की हो, पानी की हो, पार्किंग की हो, ये सारी सुविधाएं मिल सकें और जैसे कि कोई अगर दिव्यांगजन हैं तो उन्हें भी सारी सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें। ट्रस्ट, जो मेले का आयोजन करते हैं वो, कमेटी या जो ट्रस्ट के हैं वो सब लोग मिलकर, प्रशासन के साथ मिल बैठकर मीटिंग करें और उसमें सरकार की तरफ से पुलिस व्यवस्था भी हो, उसमें सारे विभागों को एड किया गया है जैसा आपने इस विधेयक में देखा है। सारे विभागों की भागीदारी के बाद ही किसी मेले को सुव्यवस्थित तरीके से भराया जा सकता है। सरकार का प्रयास यही रहता है कि जहां मेला लगता है वहां पूरे टिनशैड लगें, कोरिडोर बने, उस उद्देश्य को लेकर ही ये विधेयक लाया गया है। देश और विदेश से सभी जगह से मेलों में लोग यहां पर आते हैं, इनके विकास का प्रबंधन हो सके, सुव्यवस्थित प्रबंधन हो सके, इस उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है, जिससे कि जनता को किसी तरीके की परेशानी न हो।

माननीय सदस्यों ने भी बताया कि अगर आवेदनकर्ता आवेदन नहीं करें तो क्या होगा? ऐसा हमारी राजस्थान की परम्परा नहीं रही है कि कोई ट्रस्ट, मंदिर वाले या आयोजनकर्ता जो मेला आयोजित करते हैं वो आवेदन नहीं करें। वो आपस में बैठकर एस.डी.एम. हो, ए.डी.एम. हो या कलेक्टर हो, अगर उनको सूचित नहीं भी करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी उनको बुलाकर बात करते हैं, चाहे जैसे पुष्कर का मेला लगा हो, चाहे खाटूश्यामजी का भी मेला लगा हो, इन मेलों के लिए बैठकर बात की जाती है। अब जैसे सेठ सांवलियाजी का मेला लगेगा तो वहां पर किराये में भी 50 प्रतिशत की छूट की है, जो एकादशी पर वहां मेले में जाएंगे उनको। मीटिंग में सबको बुलाकर, सारे विभागों के अधिकारियों को बुलाकर, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए कि मेला पूर्ण रूप से भरे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, सभी को सारी सुविधाएं अवेलेबल हों, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, एक घटना का जो जिक्र किया गया है वह इसलिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। यह नहीं है कि जैसा एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर अजमेर में एक मेला लगता है सारी सुविधाएं होती हैं और दूसरा लगता है तो नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है। पुष्करजी का मेला लगा तो मैं खुद भी गई थी, मैंने खुद ने भी मीटिंग ली थी। वहां जाकर सारी व्यवस्थाओं को भी देखा था, वहां के कलेक्टर साहब से भी बात

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने सभी को बुलाकर बात कर ली है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के मानने वाले को सुविधा देते हैं, दूसरे वाले को नहीं। हर धर्म यही सिखाता है और इन मेलों का मतलब भी यही है कि हर धर्म में सिर झुकता है और हर धर्म में सिर झुकता है तो इंसान झुकता है और इंसान झुकता है तो इंसान की पहचान ही झुकना होती है। वे सारे मेले में आएं, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना रहे, सारी सुविधाएं मिलें। कई बार जैसा कि कहा गया कि प्रशासन नहीं सुनता है, ऐसा तो मेरी जानकारी में अभी तक कोई आया नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी धर्म गुरुओं से, मेला कमेटियों से, जो बड़े मंदिर हैं उनके ट्रस्ट की कमेटी है उनसे, वी.सी. के जरिये भी बात की कि यह मेला भरने जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से आप क्या अपेक्षा हमसे रखते हैं। उन अपेक्षाओं पर जो भी मांगें आईं, उन मांगों को पूरा किया तो राजस्थान की सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, 'अनुदान' का मतलब जो दर्शाया गया है वह नहीं है। इतने बड़े आयोजन, जैसे खाटूश्यामजी में पहले एक बार फाल्गुन माह में मेला लगता था, लेकिन अब हर एकादशी को लाखों लोग आते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद में पूरे भारत देश में दुगुने लोग दर्शन के लिए आने लगे। कोरोना जो एक महामारी आई, उसके बाद एक भय पैदा हुआ, कोरोना जाने के बाद आप मेलों में आने लगे, उन श्रद्धालुओं की संख्या को देखेंगे तो एकदम से चार-पांच गुना बढ़ गई है। इसमें रामदेवरा का मेला लगे या खाटूश्यामजी का लगे, जीणमाताजी का लगे, कोई भी मेला लगे, हर मेले में अब ज्यादा भीड़ आने लगी। शनिवार-रविवार को ज्यादा भीड़ आती है।

माननीय सभापति महोदय, जयन्ती और जुलूस का जिक्र किया गया तो उसमें भी बात करते हैं प्रशासन से कि कौनसा जुलूस कब निकलेगा और जुलूस वालों को भी अधिकतर सारी सुविधाएं प्रशासन प्रोवाइड करवाता है, देता है, चाहे पुलिस हो, और कोई सम्बन्धित किसी भी तरह की सुविधा हो। धर्म के नाम पर अनुदान की जो बात आप कह रहे हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया, तो ये जो भंडारे किये जाते हैं जगह-जगह तो ये अनुदान की तरह ही ये लोग खुद आकर जहां पर मेला होता है, वहां पर मेला कमेटी से आकर सम्पर्क करते हैं, प्रशासन से सम्पर्क करते हैं कि हम ये खर्चा धर्म के नाम पर करना चाहते हैं। दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं, अनुदान का मतलब यह नहीं है कि वो सरकार में जमा करवा रहे हैं या सरकार को दे रहे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हैं। वो अपनी इच्छानुसार यह करते भी आए हैं, यह शुरू से हमारे यहां चल भी रहा है। एक माह पहले वो अपनी जानकारी दे दें, इसका इसमें जिक्र है। सात दिन में कमेटी निर्णय कर देगी। उस कमेटी में सारे लोग हैं, सारे विभाग होंगे, निगम होगा, पी.एच.ई.डी. होगा, राजस्व, पशुपालन और सारे ही विभाग मौजूद रहेंगे। सारे विभाग मिलकर जो सुविधा दे सकें, जैसा अभी पैदल चलने का पथ खाटूश्यामजी के भी बनाया गया है, जो पैदल परिक्रमा करते हैं, शौचालय भी बनाये हैं, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा की, विकलांगों के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह कहा गया कि भगवान को आप 24 घंटे जगाओगे क्या या खाना नहीं खिलाओगे? खिलाने वाले को खाना खिलाने वाला कौन होता है? सुलाने वाले को सुलाने वाला कौन होता है? वो तो ईश्वरीय शक्ति है। वो तो प्रभु ने कहा है, मैं भोग बनाऊं, भोजन बनाऊं, तू ही खिलाने वाला है मुझे, घंटी बजाऊं, तू ही सुलाने वाला है। जगाकर मैं क्या करूं? तो ईश्वर 24 घंटे सब जगह विराजमान है। ईश्वर का यह नहीं है कि 24 घंटे में सो गए तो किसी से मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इंसान है किसी से मिलने वाले नहीं हैं। भगवान को जहां पर याद करोगे तो वो हाजिर मिलेंगे और मेले इसीलिए लगाए जाते हैं। ग्रंथों में अंकित है कि जब मेले लगते हैं तो वो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर के सभी अपने भक्तों को दर्शन देकर जाता है, ऐसी भावना, मेलों में जो आते हैं यात्री, उनकी रहती है, इसलिए देश और विदेश से आते हैं। इसमें देखने की मंशा होती है व्यक्ति की कि वह किस तरह से देखता है। 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी', जो जिस तरह से देखेगा उसे उसी तरह से दिखेगा।

वैसे हाड़ौती के लिए भी बोला था कि हमारे यहां पर दुकानें लगती हैं मेले में, तो ये दुकानें लगाना बुरी बात नहीं है, इनके माध्यम से छोटे-छोटे आर्टिजंस वहां पर जाकर अपने सामान को बेच सकें और उनको कुछ आमदनी भी होती है, यह तो एक सराहनीय कदम है। बाकी हाड़ौती में तो शान्ती धारीवालजी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, वहां तो जयद्रथ चौराहा ही बना दिया। सम्माननीय सदस्य बिहारीलालजी ने कहा करणी माता, जो चूहों वाली माता के नाम से जानी जाती है, वहां पर मेला लगा तो हमने पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित रूप से आयोजन का प्रयास किया। जनजाति क्षेत्र में जैसे त्रिपुरा सुंदरी के वहां

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पर श्रीरामचन्द्र मंदिर है, हाड़ेश्वर, शंकर भगवान का मंदिर है, वहां मेले लगते हैं तो उन मेलों में भी पूरी व्यवस्था, इस बार मैंने स्वयं ने भी, बेशक प्रशासन ने बात की या नहीं की, लेकिन मैंने बात की और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी वी.सी. के जरिये सभी जगह बात की। मेलों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जनरेटर की व्यवस्था, व्हील-चेयर, अग्निशमन व्यवस्था और इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं।

(समय: 15.00 बजे)

जहां तक मेरी बात हुई, मैंने खुद मेला कमेटियों से बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की। व्हीलचेयर्स दस से बीस तक हमने एक-एक जगह मेले में खड़ी करने का प्रावधान रखा था कि किसी को किसी तरह की परेशानी न हो। लक्खी मेले भी अपने यहां लगते हैं। कह रहे हैं कि हम धर्म विरोधी हैं। धर्म विरोधी होते तो यह क्यों लेकर आते हम? आपको बस यह बोलना है कि धर्म को नहीं मानते, धर्म विरोधी हैं। कौन से धर्म विरोधी हैं? सारे मन्दिरों में अगर पैसे देने का काम किया है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहली बार देवस्थान के मन्दिरों में 593 लाख रुपये दिये। कोरिडोर बनाने के लिए, चाहे गोविन्द देव जी हो, कैला देवी हो, बेणेश्वर धाम हो, खाटूश्याम हो, सौ-सौ करोड़ के कोरिडोर बनेंगे। कौन-से धर्म की बात करते हैं? इनका कोई अलग से धर्म है क्या?

बजट में जितनी मन्दिरों के लिए घोषणा की गयी, यह मेला लगाने के लिए और मेला भरने के लिए, मुख्य मंत्री महोदय ने खुद ने चर्चा की, तभी यह विधेयक लाया गया है। ये जाने वाली, जाने वाली सरकार कर रहे हैं, यह तो आने वाली सरकार है। इस बात की आप चिन्ता नहीं करें। यह तो आयेगी वापस से और आपको फिर से बताएंगे हम। जोराराम जी ने कहा कि हिन्दू मन्दिरों में हस्तक्षेप नहीं करें। किसी मन्दिर में लिखा हुआ है क्या? क्या पूरे भारत देश में कहीं किसी मन्दिर पर लिखा हुआ है कि यह सिर्फ हिन्दू का मन्दिर है? हर मन्दिर राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के हर इंसान का मन्दिर है। हर व्यक्ति वहां जाने की क्षमता रखता है। अपना एक अधिकार है उसे स्वतंत्रता का, अपने मन का अधिकार है कि वह कौन से मन्दिर में जाता है।

सनातन धर्म। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? बस इनके पास कोई पाइंट नहीं मिलेगा तो हिन्दू धर्म, सनातन धर्म, जबकि जितना काम राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, और जो आयोजन किये, चाहे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

राम कथा की हो, चाहे भागवत कथा की हो, चाहे रुद्राभिषेक किये हों, कभी किये हों तो बता दीजिये। आप सिर्फ धर्म के नाम पर, कि हिन्दू विरोधी सरकार है, एक करोड़ में क्या होगा? सौ-सौ करोड़ एक-एक मन्दिर के लिए दिये। क्या एक करोड़ की बात करते हैं आप। यह तो हिन्दू धर्म है, तभी तो कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय। सेवा ही परम धर्म है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जो सोच है कि सेवा ही परम धर्म है, इसीलिए तो ये योजनाएं लेकर आये हैं।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर प्राणी में ईश्वरत्व को विराजमान देखती है, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी तभी ऐसी नयी-नयी योजनाएं लाये हैं। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। अभी ये मंत्री हैं हमारे, तो वे कह रहे हैं कि मंत्री जी को शामिल क्यों किया? कोई न कोई तो काम करने वाला होना चाहिये। अभी इसमें 42 मन्दिर हैं। 102 मेले अभी तक बड़े भरते आये हैं। और भी जो हैं, उन्हें शामिल करने का हमारा प्रयास रहेगा। प्रशासनिक सुविधा, सुरक्षा, पार्किंग, शौचालय, पानी, परिवहन, ये सारी सुविधाएं हो सकें, इसके लिए यह बिल लाया गया है, जिससे कि हमारे राजस्थान की जो पावन भूमि है, उसका पूरे देश-विदेश में नाम हो।

अगर हिन्दू धर्म का कोई परिचय है, अगर हिन्दुस्तानी का कोई परिचय है तो वह कांग्रेस पार्टी है। कौन सा मेक इन इंडिया, कौन सा स्किल इंडिया? वहां देवनारायण भगवान के यहां आये थे देश के नेता, शीर्ष नेतृत्व। क्या दे गये मन्दिर में? कितने करोड़ की घोषणा कर गये? कोई बनाकर गये क्या वहां पर? चढ़ावा चढ़ाकर गये क्या? बता दीजिये आप। आये देवनारायण मन्दिर में और अभी भी आएंगे मन्दिरों में। क्या दे रहे हैं? एक रुपये की कहीं घोषणा हो तो मुझे बता दीजिये सदन के अन्दर। (व्यवधान) दिया हो तो बता दीजिये। कहीं नहीं दिया। एक रुपये की घोषणा नहीं की। राजस्थान में आने पर आये हैं मन्दिरों में। (व्यवधान) अगर घोषणा की है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है। (व्यवधान) सुनने का माद्दा रखिये आप।

मैं राजस्थान के ऊपर दो लाइन बोलूंगी:-

''वाह रे मेरे राजस्थान की माटी,
अरे, वाह रे मेरे राजस्थान की माटी,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

तेरी शान निराली है,
जिसमें समा गयी कृष्ण मूर्ति में,
मीराबाई जैसी भक्त मेवाड़ी है,
वाह रे मेरे राजस्थान की माटी।
इस धरा पर आकर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया,
इस धरा पर आकर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया,
वो पुष्कर तीरथ राज कहाया,
वाह रे मेरे राजस्थान की माटी।
पाण्डुपोल में बूढ़ा हनुमान बनकर भीम का घमण्ड चूर किया,
अरे वाह रे मेरे राजस्थान की माटी,
जीण और करणी, गायत्री जैसी पहाड़ों में समायी माता हैं,
वाह रे मेरे राजस्थान की माटी,
खाटू, तेजा, रामदेव, देवनारायण, गोगा जैसे देवों ने यहां जन्म लिया,
वाह रे मेरे राजस्थान की माटी।
अरे, वाह रे मेरे राजस्थान की कांग्रेस सरकार,
वृद्धावस्था, ओल्ड पेंशन, चिरंजीवी, कामधेनु जैसी योजना बनायी,
वाह रे मेरे राजस्थान की सरकार।।''
जय हिन्द।।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, एक मिनट के लिए मैं मंत्री महोदया से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया। सेक्शन 2 के अन्दर आपने जो मेलों के लिए कहा कि मेले वे ही होंगे, जिन्हें अधिसूचित किया जायेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार जिन मेलों को अधिसूचित करेगी, उनके अलावा जो मेले भरेंगे, वे मेले नहीं माने जाएंगे। वे मेले नहीं माने जाएंगे तो वहां जो लोग इकट्ठे होंगे, उनकी यातायात और दूसरी जो छोटी-मोटी व्यवस्थाएं होती थीं, वे भी बन्द हो जाएंगी।

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, बिल पर डिस्कशन हो चुका है। जो है, वह डाक्यूमेंट में है। अब आपने जो प्रस्ताव दिया, उसे मैं पढ़ रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को

(श्री सभापति)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 24-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री महोदया प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। श्री बलवान पूनियां। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति जी, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 पर बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। तीन लोगों की कमेटी, 133 पुराने बिलों को रिपील करने का प्रस्ताव, सरकार इस बिल को लेकर आयी है। अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने का, न्याय को सुगम बनाने के इरादे से लाया गया बताया है, लेकिन विधेयक का शीर्षक इसके उद्देश्य को पूरित नहीं करता।

खण्ड तीन व्यावृत्तियां या सेविंग में अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन अभी कुछ चीजों का उल्लेख नहीं है, जो मैं आपके संज्ञान में, मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि निरस्त किये जाने वाले कुल कानूनों के लिए आवश्यक वैकल्पिक या प्रगतिशील कानून कब लागू होगा।

एग्जाम्पल में, राज्य वन्य प्राणियों एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 एक प्रमुख अधिनियम है तथा राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु इसके वैकल्पिक कानून का कोई उल्लेख नहीं है। यह विधेयक इस बारे में भी मौन है कि कौन-से कानून वहां लागू होंगे, जहां इस विधेयक के माध्यम से राज्य संशोधन अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है। क्या हम संसद द्वारा पारित मूल कानून पर वापस आते हैं या राज्य विधायी एक नया संशोधन लेकर आयेगी।

उदाहरण के लिए सावर्जनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1983, क्या हम मूल सीमाओं पर वापस जाते हैं या क्या राज्य विधायिका नई सीमा अवधि लाने का इरादा रखती है? बिल में सैकड़ों अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। उन अधिनियमों के तहत हजारों कार्यवाहियां चल रही होंगी और उन पीड़ित पक्षों के निवारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी कौन होगा? इसका कोई उल्लेख नहीं है, जिनके विवादों की सुनवाई की गई थी। यहां अनुसूची में उल्लिखित निरस्त अधिनियमों के अनुसार दशकों पहले विश्वविद्यालयों के नाम बदलने वाले संशोधन

(श्री बिहारीलाल)

अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है। यदि उन अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है तो क्या हम पुराने नामों के उपयोग पर वापस जा रहे हैं? विधेयक इस पर पूरी तरह से मौन है और वहां पढ़ने वाले छात्रों की मान्यता पर सवाल उठाता है।

माननीय मंत्री जी कुछ सुझाव हैं। अधिनियम का नाम अस्पष्ट होने के कारण किसी भी प्रकार का विधायी आशय नहीं बताया गया है, अर्थात् राजस्थान कानून निरसन अधिनियम, 2023 राज्य विधान मंडल जब भी किसी प्रकार का विधेयक, अध्यादेश, नियम पारित करता है तो उसकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और कानून पारित करने के निहितार्थ क्या हैं, लेकिन यह इसमें पूरी तरह से गायब है।

दूसरा, ऐसे विधेयक को पारित करना जो किसी भी प्रकार की विधायी योग्यता या विधायी मंशा नहीं दिखाता है, जो आम लोगों के लाभ या समय की आवश्यकता को पूरा करता हो।

तीसरा, बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि न्यायालयों से कोई दिशा-निर्देश या विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई और न ही किसी प्रकार का डेटा एकत्र किया गया कि इन कानूनों में कितने मामले लम्बित हैं और निरस्त होने वाले हैं या निकट भविष्य में अस्तित्व में नहीं हैं।

चौथा, डेटा विश्लेषण का अभाव कि सरकार इन कानूनों को क्यों रद्द करना चाहती है और समिति द्वारा यह भी कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उस स्थिति में डार्क एरिया में कौन से कानून लागू होते हैं।

श्री सभापति: प्लीज, अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अगर ये ही संसदीय परम्परा को तोड़ेंगे तो इस संसदीय परम्पराओं को जिन्दा कौन रखेगा।

श्री सभापति: प्लीज, आप बोलिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): पांचवां, यदि सरकारें किसी प्रकार का संभावित परिवर्तन करती हैं और विभिन्न कानूनों को निरस्त करती हैं तो उस स्थिति में उनके अस्तित्व में आने के बाद नये कानूनों का प्रस्ताव भी करती हैं या त्वरित न्याय के लिए न्यायालयों के लिए किसी प्रकार की समय-सीमा तय करती हैं।

(श्री बिहारीलाल)

छठा, उन कार्यों को एक छोटी जीवन रेखा दी जानी चाहिए, जो रोजमर्रा के उपयोग में हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान आवास योजना (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1960 अगले दो वर्षों के लिए लागू रहना चाहिए और इसे तुरंत रद्द करने के बजाय, इस निर्धारित समय सीमा के भीतर एक नई योजना का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। न्यायालयों को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत लम्बित कार्यवाहियों को त्वरित गति से निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जाये।

निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित अधिकांश अधिनियम वे संशोधन अधिनियम हैं, जिन्हें बदलते समय के साथ जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इनके निरस्त होने से हम पिछड़े रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, इनमें अद्यतन संशोधन होना चाहिए, के साथ प्रस्तावित किया जाए, जहां वर्तमान समाज कानूनों के अनुरूप होगा।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस तरह का प्रयोग नरेन्द्र मोदी सरकार ने भी 2014 में सत्ता में आने के बाद किया और अब तक मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को साबित करते हुए 1,600 से ज्यादा कानून रिपील किये।

सदन में पहले कर्ज माफी पर चर्चा हुई। 60 लाख किसानों का एक लाख करोड़ रुपयों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करेंगे, ऐसा वादा करके सत्ता में आये और दूसरी तरफ किया क्या? 19 हजार 600 किसानों की जमीनें नीलाम कर दीं और 20 हजार से अधिक के कुर्की के नोटिस जारी कर दिये।

माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि यह जो रोडा एक्ट है, जो किसानों की जान पर बन आती है, किसानों की जमीन को कुर्क करते हैं। उसके बाद में एस.डी.एम. बैंक के साथ लगकर उनकी जमीन नीलाम कर देता है। इसमें भी कोई कड़े प्रावधान किये जायें। इस रोडा एक्ट को ही रिपील कर दिया जाये तो किसानों की जान छूटे। यह काम तो करें, कर्ज माफी करें या नहीं करें। रोडा एक्ट को समाप्त करने का काम, उसको रिपील करने का एक्ट लेकर आते, संशोधन लेकर आते तो हम आपका धन्यवाद करते।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इसको जनमत जानने के लिए 6 माह हेतु परिचालित करने को कहता हूं।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल जी झाडोल। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में अनेक तरह की विचित्र परिस्थितियां रहीं। औरतें नीलाम की जाती रहीं, देवदासी बनाकर रखी जाती रहीं, जिन्दा जलाई जाती रहीं। लोग हजारों हजार बीघा जमीन के मालिक रहे। जन्म के आधार पर छोटा और बड़ा इंसान को समझा जाता रहा, लेकिन हमारे देश की पार्लियामेंट और राजस्थान की इस विधान सभा ने अनेकानेक प्रगतिशील कानून बनाकर लोगों को जीने का अधिकार दिया।

आज का यह प्रगतिशील समाज, मैं स्मरण करना चाहूंगा भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने इस देश के सवा सौ करोड़ लोगों का जीवन समतामूलक समाज के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, समय के साथ बनाये गये कई कानूनों की प्रासंगिकता खतम होती रही है, कई केन्द्रीय कानून आते रहे हैं, जिसमें स्टेट कानून केन्द्रीय कानून को अडोप्ट किये जाने के बाद उसकी उपयोगिता खतम होती रही है। राजस्थान की विधान सभा ने समय-समय पर उन कानूनों को, जो अनुपयोगी हो गये हैं, उनको रिपील करने का काम किया है।

मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि जब 2018 में आपने चुनाव लड़ा, तब आपने राजस्थान की जनता से वादा किया था जन घोषणा-पत्र के बिन्दु संख्या 27.41 में कि आप विधि आयोग का गठन करेंगे। सभापति महोदय, आपने उसकी घोषणा भी की, लेकिन अब सरकार का ये समय पूरा होने जा रहा है। सभापति महोदय, वह विधि आयोग अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जन घोषणा-पत्र, 2018 के बिन्दु 27.13 में आपने राजस्थान की जनता से यह वादा भी किया था कि आप वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा करेंगे और सरलीकरण हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनायेंगे। इस बिन्दु पर आपने काम किया और आज की पालना में यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, 25 फरवरी, 2021 को आपने विधि विभाग की कमेटी का गठन किया, जिसमें विशिष्ट शासन सचिव को, जो लॉ डिपार्टमेंट के हैं, उनको अध्यक्ष बनाया। आपने डिप्टी सैक्रेटरी को और एक रिटायर्ड डिप्टी सैक्रेटरी को मैम्बर बनाया। उस कमेटी ने 18 जुलाई, 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस कमेटी ने यह पाया कि राजस्थान के अन्दर 296 बिल ऐसे हैं, जो रिपील किये

(श्री संयम लोढ़ा)

जाने चाहिए। फिर क्या कारण है कि आप इस सदन में 133 बिलों को ही रिपील करने का विधेयक लेकर के आये हैं? आप जो 133 कानून रिपील करना चाहते हैं, उसमें स्टेट एक्ट के हैं 10, एप्रोप्रिएशन बिल हैं 23 और अमेंडेड एक्ट हैं स्टेट के भी और सैन्ट्रल के भी 100, इस तरह से कुल 133 कानूनों को रिपील आज के विधेयक के माध्यम से करा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर लॉ रिपीलिंग बिल पहले भी लाये गये हैं, 1954 में, 1962 में, 1997 में और 2015 में। माननीय सभापति महोदय, 1954 में 331 एक्ट रिपील किये गये। 1962 में 221 एक्ट रिपील किये गये, 1997 में 303 अमेंडिंग एक्ट रिपील किये गये और 2015 में 248 एक्ट रिपील किये गये जिनमें से 187 अमेंडिंग एक्ट थे।

माननीय सभापति महोदय, जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया, जिसने 2022 में 18 जुलाई को रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस कमेटी की रिपोर्ट बड़ी मजेदार है और हमारे प्रशासनिक तंत्र की कानूनी पृष्ठभूमि की पोल खोल देने के लिए उससे बड़ा कोई डाक्यूमेंट हमारे पास नहीं हो सकता है। इस समिति का क्या अनुभव रहा? जिस प्रशासनिक विभाग के प्रशासनाधीन अधिनियमों की प्रासंगिकता और उपयोगिता थी इस समिति ने जब उनसे जानकारी चाही उन विभागों से तो उनका रेस्पोंस इस समिति को बहुत कोल्ड था। एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग तक टरकाते रहे। यह जानकारी उनको नहीं दी और इस समिति ने जो बैठकें बुलायीं, कई बार इन विभागों ने अपने ऐसे प्रतिनिधियों को इस समिति में भेज दिया जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। जैसे इंडस्ट्री, पी.डब्ल्यू.डी., एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ने लॉ की मीटिंग में किन लोगों को भेजा? माननीय सभापति महोदय, इंजीनियर्स, जिन इंजीनियर्स को कानून की कोई जानकारी नहीं है, तो न तो इस समिति के समय की कोई उपयोगिता हो सकी और न ही जिस मकसद से सरकार ने इस समिति को बनाया था उन विभागों में उस दिशा में वह समिति काम कर सकी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विभागों के अन्दर न तो कोई कानून के रखरखाव की व्यवस्था है, न कोई समीक्षा का तौर तरीका है, सिस्टम है, तंत्र है, न कोई प्रासंगिकता की जांच करने वाला है और न ही यह सारे कानून उस एक प्रशासनिक विभाग के जिसके अन्दर प्रशासनाधीन ये कानून हैं, एक स्थान पर संचालित होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार के द्वारा बनायी हुई इस कमेटी की यह फाइंडिंग है कि प्रशासनिक विभाग जिसका वह कानून है उसके लिए कितने कानून अधिनियमित किये गये हैं, कितने कानून संशोधित किये गये हैं, कितने कानून अप्रासंगिक हो गये हैं, कितने कुल एक्ट उनके हैं, सरकार के विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यहां तक कि सेन्ट्रल एक्ट को अडोप्ट करते हुए जो रूल्स बना दिये और उसके बाद में स्टेट एक्ट की जो समीक्षा करने की जरूरत है जो अप्रासंगिक हो चुका है, वो भी कभी प्रशासनिक विभाग ने करने की चेष्टा नहीं की। अब उदाहरण के लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट लीजिये, इनके पैंतालीस से पचास कानून हैं और डिपार्टमेंट के अधिकारी को आप पूछो तो उनको पता ही नहीं है कि उनके विभाग के प्रशासनाधीन कितने कानून हैं और चूंकि हम जो नोटिफाई करते हैं, राजपत्र में अधिसूचना जो जारी करते हैं उसमें प्रशासनिक विभाग का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, तो जिस विभाग ने यह कह दिया कि यह कानून हमारा नहीं है तो आप कहां से पता करोगे कि यह किसका कानून है? जब इस समिति ने ऐसे कई कानूनों के बारे में पूछा तो विभाग ने यह कह दिया कि यह कानून हमारे नहीं हैं तो पुराने अभिलेखागार से और पुस्तकालयों से जब इस समिति ने जांच की तो पता चला कि जिस विभाग ने यह कहा है कि हमारा कानून नहीं है, वह कानून उसी विभाग के निकले हैं जो स्टेच्यूट बुक है। अब इस समिति ने सरकार को सलाह दी क्यों? क्योंकि 296 कानून इस समिति ने ऐसे पाये हैं जो कानून रिपील किये जाने चाहिये, लेकिन विभागों का सहयोग नहीं मिला। इसके कारण इतने साल के प्रयास के बाद भी वो सारे 296 कानून रिपील नहीं किये जा रहे हैं, सिर्फ 133 ही किये जा रहे हैं तो इसी सरकार की बनायी हुई समिति ने सरकार को सलाह दी है कि हर विभाग अपनी स्टेच्यूट बुक का संधारण करे एक रजिस्टर के रूप में, जिससे उनको पता रहे कि उनके विभाग में कौन-कौन से कानून अधिनियमित किये गये।

माननीय सभापति महोदय, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रियेशन बिल हम हर साल पारित करते हैं, वे ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं स्टेच्यूट बुक में। दुनिया के दूसरे देशों में, ब्रिटेन के अन्दर इस बात की व्यवस्था है निरसन की। उस कानून की जैसे ही उपयोगिता खतम हुई वह स्वतः ही निरस्त हो जाता है। आस्ट्रेलिया के अन्दर स्वतः निरसन हो जाता है, लेकिन हमारे यहां

(श्री संयम लोढ़ा)

इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो खुद कानून के ज्ञाता हैं, एडवोकेट रहे हैं और इस नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को नये कलेवर देने का काम आपने अपनी विधि विशेषज्ञता से दिया है फिर आपके मंत्री रहते हुए इन सारे विभागों से आपके डिपार्टमेंट ने जो 296 कानून इस लायक समझे कि जो रिपील किये जाने चाहिये थे, वे सारे रिपील नहीं हो सके। कौन-कौन विभाग का अधिकारी इस मामले में दोषी है? किन-किन विभागों के कानून जो अवांछनीय हो चुके हैं, गैर जरूरी हो चुके हैं, लेकिन उनके सहयोग के कारण सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि उनको रिपील किया जाये, उनके खिलाफ आप कार्यवाही सुनिश्चित कीजिये। मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सभापति महोदय, वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री अविनाश (अनुपस्थित), श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज यह सदन राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो बात उद्दत की उसके हम सब लोग हामी होंगे, क्योंकि जन-सामान्य के प्रति विधिक प्रणाली को अधिक पहुंच योग्य बनाने के लिए और आम आदमी हमारे प्रचलित कानूनों से विज्ञ रहे, इसके लिए कुछ ऐसे कानून जो समय की रफ्तार के कारण से नेपथ्य में चले गये, अप्रसांगिक हो गये, उन्हें हटाना निश्चित तौर पर आवश्यक भी है और हटाया जाना भी चाहिये। यह आज की बात नहीं है सभापति महोदय, जब इस देश के अन्दर राजतंत्र था, रियासतों का राज राजस्थान में था तब भी विधियां थीं और जब राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया तब भी हमने बहुत सी विधियां, बहुत से कानून इन्टेरेंट किये ब्रिटिश राज से। आज भी हमारे आई.पी.सी., सीआर.पी.सी., सी.पी.सी. की जो बुनियाद है और आज वो ही चली आ रही है जो उस समय थे जब ये देश गुलाम था।

समय-समय पर कानूनों के अन्दर संशोधन होता रहा और इसीलिये इन कानूनों के मकड़जाल से निकलकर ऐसा सरल कानून, ऐसे उपयोगी कानून जो रोज काम में आने वाले कानून हों वे ही प्रचलित रहे और बाकी कानून निरसन में चले जायें। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे। हम एप्रोप्रियेशन बिल पारित करते हैं, हम फाइनेंस बिल पारित करते हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उस एप्रोप्रियेशन बिल की उम्र भी अगर आप देखें, एक बार कंसोलिडेट फंड के अन्दर वह राशि एप्रोप्रियेट कर दी गयी तो उपयोगी नहीं है पर वह एक्ट विद्यमान रहता है।

सभापति महोदय, यह सिर्फ यहां की बात नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने एक प्रिंसिपल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार की कम से कम दखलंदाजी हो और कानून ऐसा बने जो मिनिमम गवर्नमेंट में मैक्सिमम गवर्नेंस कर दे, इस नाते वहां लॉ कमीशन बना। केन्द्र सरकार ने लॉ कमीशन के माध्यम से अपने इसी काल खण्ड के अन्दर 1,600 कानून रिपील किये। इस सरकार ने भी वादा किया था अपने घोषणा पत्र में जिसका जिक्र सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, उसके पृष्ठ 37 में वादा किया था, राज्य विधि आयोग के गठन की बात कही थी। अभी आपने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर इनको रिपील किया उस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस लिमिटेड थे। कमेटी ने जो रिकमंडेशन दी, उससे इतर जाकर आपने कम रिपील किये। कमेटी को वैधानिक अधिकार नहीं है। अगर राज्य विधि आयोग होता और राज्य विधि आयोग को आप यह टर्म्स और रेफरेंस देते, वह अध्ययन करता कि हमारे इस राजस्थान में कितने बिल ऐसे हैं, कितने कानून ऐसे हैं, कितने एक्ट ऐसे हैं जिनकी समय की रफ्तार से बिलकुल उपयोगिता नहीं रही। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सही कहा, जब राजस्थान आजादी के पहले पायदान पर था, शैशव अवस्था में था, उस समय जो परिस्थितियां थीं, उस समय हमारे सामने सामाजिक कुरीतियों से निपटने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता थी। समय बदला, आधुनिकता आई और वह सारी चीजें प्रासंगिक नहीं रहीं।

मंत्री महोदय, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आपने विधि विभाग के अधिकारी के माध्यम से तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। आपने जो राज्य विधि आयोग की बात कही थी और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जन घोषणा-पत्र, सदन के पहले सत्र में मुख्य मंत्री जी ने गर्वित मुद्रा में कहा था कि यह हमारा नीति पत्र है, यह हमारे शासन का आधार रहेगा, मैं उसको मुख्य सचिव को भेजता हूं। राज्य विधि आयोग के साथ आपने यह भी कहा था कि हम कानूनों का सरलीकरण करेंगे। मंत्री महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसी सदन में आपके बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जो आज किसी भी राजनीतिक साजिश के कारण से हमारे उधर बैठते हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन्होंने घोषणा की थी, राजस्व विभाग की मांगों का उत्तर देते हुए उन्होंने राजस्व मंत्री के रूप में इस सदन में कहा था कि राजस्थान में जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 है, जिसके 262 सेक्शन हैं, आपने उसको अच्छी तरह देखा है और राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 का है, 260 धाराएं उसमें हैं। सभापति महोदय, यह इतनी बार अमेंड हुआ है कि वह अपना मूल रूप खो चुका। आज कोई कानून विज्ञ जो कि रेवेन्यू में प्रैक्टिस कर रहा होगा, वह वकील ही ढूंढ कर लायेगा कि आज प्रचलित कानून क्या है, यह अमेंडमेंट कब आया।

मैं समझता हूं कि चाहे शासन आपका रहे या हमारा रहे, इस लोकतंत्र में शासन करने के लिये जो हम कानून बनाते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता उस कानून को समझकर कानून सम्मत कार्यवाही करे, कानून की परिधि से बाहर नहीं जाये। सभापति महोदय, इस बिल में कोई बोलने की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने जो रिपील किये हैं, उन रिपील किये हुए आपके इन 133 एक्ट के विरुद्ध में भी मैं नहीं हूं, पर मैं बुनियादी बात खड़ी कर रहा हूं। 2016 में वहीं बैठकर मैंने भी रिपील किये थे। आपने बड़ी बात कही थी, आपने राज्य विधि आयोग बनाने की बात कही थी। आपने कानून के सरलीकरण की बात कही थी और आपने यह भी कहा कि विभिन्न न्यायालयों में सरकार से संबंधित लम्बित प्रकरण, सभापति महोदय, आज हम राजस्थान के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 4 लाख से ज्यादा मुकदमे हैं। राजस्थान में अधीनस्थ कोर्टों की बात करते हैं तो आंकड़ा 18 लाख पार कर रहा है। आपराधिक मामलों को छोड़ दें तो हर मामले में सरकार वर्सेज है। रिपील करके आप बहुत मीर मारने की बात कह रहे हो। आप विधि मंत्री के रूप में उत्तर दे रहे हो तो मुझे बता दें कि आज राजस्थान में जिन मुकदमों में आपकी सरकार पार्टी है, क्या कारण है कि वर्षों-वर्षों तक आप न्यायालय में जवाबदावा जैसी चीज को प्रस्तुत नहीं कर सकते?

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने लॉ कमीशन के माध्यम से जो 1,600 मुकदमे वापस लिये, उस तरह आपको भी स्थाई मैकेनिज्म की आवश्यकता है। आज अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट है। अभी आप एंटी चीटिंग बिल लेकर आये थे, इसी सदन में 2022 में लाये, उसमें कल आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हो। विधि बनाने वाले लोग भी यही हैं और यह सदन भी यही है, जिसके माध्यम से हम चर्चा करके इस विधि को पारित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करते हैं। ऐसी क्या स्थिति-परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं कि हम जिस एक्ट को, जिस बिल को, जिस विधेयक को इसी सत्र में लाते हैं, उसी सत्र में अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले ये विधि विशेषज्ञ अधिकारी आज की आवश्यकताओं से वाकिफ नहीं रहते हैं।

मंत्री महोदय, नगरपालिका अधिनियम आपके कंठस्थ है। कितनी बार आपने अमेंडमेंट किये? मैं समझता हूं कि एक निश्चित अवधि के बाद हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिये कि इन कानूनों को री-राइट करें। मुझे याद है स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने एक बार इसी सदन में कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान का 66 परसेंट वह किसान, जिसका लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड टीनेंसी एक्ट से वास्ता पड़ता है, इस पूरे एक्ट को मैं एक गुटके में बदलना चाहता हूं। हर किसान को पता लगे कि जिस भूमि का मैं धारक हूं उस भूमि के लिये मेरे पास यह-यह कानूनी अधिकार हैं और यह-यह कानूनी अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल पर विस्तृत चर्चा की जाये।

सभापति महोदय, बाकी तो हम जनमत की बात करते हैं, हम प्रस्ताव भी देते हैं, पर यह जो लॉ कमीशन आफ इंडिया ने 1,600 बिल रिपील किये थे, एक-एक बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया था। आज किसी बिल की प्रासंगिकता क्या है, क्या नहीं है, वह हमारे आफिसर गैलरी में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है। आप जिन बिलों को रिपील कर रहे थे, आपके पास बड़े उपयोगी सवाल आते। अभी आपके सामने नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने रोडा एक्ट की बात कही। रोडा एक्ट 1973 में बना। सभापति महोदय, रोडा एक्ट ने बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यह अधिकार दे दिया कि अगर किसान अपनी जमीन को मोर्गेज करेगा तो उसके सेक्शन 13 में नीलामी करने का, जब्त करने का अधिकार उसको है। अब उसके कंट्रावेंशन में आप एक प्रशासन का आदेश निकाल देते हो। कई ऐसे पेचीदगी मामले हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कम से कम जाते जाते ऐसा काम कर जाओ, विधि के जगत में आपको कहे कि कोई विधि मंत्री आया था, शान्ती धारीवाल जी नाम था, कोटा से थे और वह एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करके चले गये जो अप्रसांगिक कानूनों की समीक्षा स्वत: ही होती रहे और जनमत जानने के लिये परिचालित करके जनता के सुझाव से एक नहीं, अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप तो खुद ही कह रहे हो कि आपकी कमेटी ने 296 प्रस्ताव दिये। आप नखहीन, दन्तहीन कमेटी बनाओगे तो उसके पास कौनसा डिपार्टमेंट जाकर कहेगा कि मेरा यह कानून है, मेरा यह विधेयक है, जिसकी आज की तारीख में उपयोगिता नहीं है? यह कोई नहीं कहेगा। सभापति महोदय, सीलिंग एक्ट उस समय आया था जब हमारे पास जागीरदारी के बाद जमीनें आईं, जमीनों की सीमाएं ज्यादा थीं। मुझे याद आता है, मैं जब भी गांव में जाया करता था तो पूछा करते थे कि जमीन की सरहद कहां तक है, तो वह यह अंगुली किया करते थे, हमें पता नहीं होता था। आज हमें कोई पूछता है कि हमारी जमीन की सरहद कहां तक है तो यूं दिखता है सामने। उस समय सीलिंग एक्ट लाने के पीछे एक हेतु और एक प्रावधान था, आज वह बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई भाषण देने खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आपने दो बातें कहीं हैं, आप इसको रिपील कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आपने जो विधि आयोग बनाया, उस तरह का मैकेनिज्म करें। एक आपने कहा था कि हम सारे कानूनों का सरलीकरण करेंगे। इस हेतु आप दो कदम भी नहीं चले और इसी सदन में लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड टीनेंसी एक्ट को री-राइट करने की बात कही, वह भी नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, लॉ रिपील बिल लाकर अनावश्यक कानूनों को, जिनकी कोई रिडनडेंट ही नहीं रही। मोटे तौर पर यह एकमुश्त रिपील लाने की जो कवायद है, वह हम पांचवीं बार कर रहे हैं। आप पहले भी कर चुके हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार का यह प्रयास रहा है कि राज्य में जो लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम से जनमानस को किस प्रकार से फायदा हो सकता है। आमजन को न्याय किस तरीके से और सुगम तरीके से प्राप्त हो सकता है, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर ऐसे कानूनों को रिव्यू किया जाता है। पहले भी हुए हैं। अप्रचलित मतलब रिडनडेंट हो चुके और अनावश्यक हो चुके, उन कानूनों को, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रही, उनको हटा दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। समस्त प्रशासनिक विभागों से राय ली जाती है। राय लेने के पश्चात् ही रिव्यू कमेटी ने यह पाया कि 133 कानून ऐसे हैं, जिनको कि रिपील किया जाये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही यह बिल लाया गया है। मेरा निवेदन यह है कि, जाते-जाते अब आप मेरा भी जवाब सुन लें। आप जा ही रहे हो। हम वापस आयेंगे। क्या पता आप होंगे या नहीं होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे हैं। मुंगेरी लाल को किसी ने मना नहीं किया था कि हसीन सपने मत देखो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप होंगे या नहीं होंगे, इसी बात पर मेरा दिल धड़क रहा है कि आप होंगे या नहीं होंगे, हमारी बात कौन सुनेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो महाराज लगातार सात बार हूं। आप ही बीच-बीच में गैप ठोकते हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो आराम करने के लिए छोड़ता हूं। चार बार पहले भी रिपील के बिल लाये गये हैं। 1954 में 131 अधिनियम रिपील किये गये। 1962 में 221 अधिनियम सम्पूर्ण तौर पर रिपील किये गये। राजस्थान रिपील एक्ट लाकर 1997 में 303 अमेंडिंग एक्ट रिपील किये गये तथा 2015 में 248 कानून रिपील किये गये, जिनमें 187 अमेंडिंग एक्ट थे। कुल मिलाकर बात तो यह थी। मेरा यह निवेदन है कि ये 296 के करीब आइडेंटिफाइड हुए। 296 कानूनों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करना और उनको रिपील करने के निष्कर्ष पर पहुंचना, इनमें बड़ा फर्क है। आइटेंटिफाई हो गये, मतलब कि शोर्टलिस्ट कर दिये गये। शोर्टलिस्ट में से आप रिपील किस-किस को करना चाहते हैं, उसमें तो फर्क आयेगा। कुल 133 कानून रिपील किये गये, शेष कानूनों के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों ने सहमति नहीं दी। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपने वर्षों राज की कुर्सी भोगी है। प्रशासनिक विभाग के द्वारा अगर कोई राय दी जाती है तो उसको किस प्रकार से अवाइड किया जाये या किस प्रकार से न माना जाये। प्रशासनिक अधिकारियों की राय महत्वपूर्ण होती है। अनावश्यक कानून को रिपील करना एक सतत प्रक्रिया रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

आपने कहा कि विधि आयोग की जन-घोषणा की थी। नेता, प्रतिपक्ष जी, आपने इसी फरवरी में मुझसे एक सवाल पूछा था। उस सवाल के जवाब में मैंने तब भी आपसे यह कहा था कि जन-घोषणा-पत्र के बिन्दु संख्या 27,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा हमने जरूर की थी। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा और सरलीकरण के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अभिशंसा के अनुरूप एक समिति का गठन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के द्वारा राज्य में विधि आयोग के गठन की कोई उपयोगिता नहीं रही है। जब एक कमेटी बना दी गयी। पहले तो यह था कि किसी प्रिंसिपल सैक्रेटरी के अंडर में बना दी जाये, लेकिन फिर यह तय कर दिया कि जो मंत्रिमण्डलीय उप समिति कल्ला साहब की अध्यक्षता में बनी थी, इन्होंने फिर यह तय कर लिया कि इसमें विधि विभाग के तीन अधिकारियों की एक कमेटी बना दी जावे। इसमें विधि विभाग के जो लोग होंगे, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों को शामिल किया जाये और उन्हीं की सिफारिश पर हर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी या सैक्रेटरी, बाकी सब विभाग के मोटे-मोटे अधिकारियों को बुलाकर उनसे राय ली गयी। राय लेकर रिपील करने का फैसला लिया गया। विधि आयोग का गठन करने का हमने जो निश्चय किया था, हमने उसको बदला है। इस कारण से बदला है, ताकि जल्दी से जल्दी यह काम हो सके। क्योंकि आयोग, और आयोग की रिपोर्ट कब आयेगी, कब होगा? इसलिए अविलम्ब इस काम को करने के लिए इस प्रकार का काम किया है। आपके सवाल का मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था। शायद आप भूल रहे होंगे।

आपको ध्यान हो तो राज्य सरकार के द्वारा स्टेट लिटिगेशन पालिसी, 2018 बनायी गयी, जिसमें मुकदमों को कम करने के लिए कई प्रावधान किये गये। समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा मेगा लोक अदालत और लोक अदालत के प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाता था। जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को अधिक पहुंच के योग्य बनाने के लिए इसमें सुधार करने की और विधि के शासन के सिद्धान्तों को समाहित करने का राजस्थान सरकार का जो प्रयास रहा है, उसी के साथ-साथ उन विधियों और उन पुनरवलोकन के साथ आरम्भ हुआ, जो अप्रचलित अनावश्यक है, रिडनडेंट है। जिनका पृथक से अधिनियम के रूप में बनाये रखना कोई आवश्यक नहीं है, इसी उद्देश्य को लेकर रिडनडेंट और अनावश्यक विधियों को हटाने का काम हाथ में लिया गया। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि जन-घोषणा-पत्र में हमने जो विधि आयोग का लिखा था, अब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही थी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस मंत्रिमण्डल उप समिति की अनुशंसा के अनुसार ही सब कुछ काम हुआ है और विभिन्न विभागों के साथ बैठकें करके ही यह फैसला किया गया है। अपने मूल अधिनियम का भाग बन जाने के कारण यह अमेंडेड बिलों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है और पृथक रूप से प्रति धारण करना आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप यह निरसन योग्य और इसके निरसन में मूल अधिनियम प्रभावित नहीं होते। अगर हम इनको रिपील कर देते हैं तो किसी भी प्रकार से एक्ट की जो मूल भावना है, वह प्रभावित नहीं होती। इससे लगभग 70 वर्ष में राज्य मंत्रिमण्डल के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों में किये गये राज्य संशोधनों से संबंधित अमेंडमेंट आज भी मौजूद हैं। संशोधन मूल अधिनियम में समायोजित हो चुके हैं, जिनका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। जिस परपज के लिए वह अमेंडमेंट किया गया था या वह एक्ट बनाया गया था, वह परपच ही रिपील हो चुका है तो वह निश्चित तौर पर रिपील होने काबिल था ही। उनको बनाये रखने का कोई औचित्य भी नहीं था। इसमें मूल अधिनियमों को चिह्नित भी किया गया है। यह नहीं कि जितने अमेंडेड हैं, उन्हीं को रिपील किया गया है। कम से कम 10 मूल अधिनियमों को भी इसके द्वारा रिपील किया गया है। इस बिल में 133 में से 10 प्रिंसिपल एक्ट भी रिपील किये गये हैं। अधिनियमों का परीक्षण करने और निरसित किये जाने के लिए विधि विभाग को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप 33 मूल अधिनियमों, 10 मूल एवं 23 विनियोग अधिनियमों सहित 100 अमेंडेड बिलों, 87 तो अमेंडेड और 13 केन्द्रीय अधिनियमों में किये गये राज्य संशोधनों को रिपील किया जा रहा है। तदनुसार ये कुल मिलाकर 133 निरसित किये जाने का बिल मैं लेकर आया हूं।

मैं यह मानकर चलता हूं कि जिस प्रक्रिया से आज तक काम होता रहा है, चाहे वह राज आपका रहा हो, चाहे राज हमारा रहा हो, रिपील करने के लिए हमेशा कोई न कोई प्रयास किये गये हैं और उन्हीं प्रयासों को पूरा करने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय श्री शान्ती धारीवाल जी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: विचारार्थ लिया जाए। माननीय मंत्री महोदय दोबारा बोलिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कोई बात नहीं, संशोधन कर देता हूं। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह। श्री बलजीत यादव। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2021 को और मजबूत कर और संशोधित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया। मैं समझता हूं इस विधेयक के अंदर मुख्य रूप से जो इसमें दिया गया कि सहकार आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए और सहकारी सोसाइटियों के नियंत्रण और विनियमन के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम की धारा 31 में यह उपबंध किया था कि सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, सौंपेगा और जहां ऐसा कोई पदावरोही अधिकारी या सदस्य अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है, वहां रजिस्ट्रार के पास उप-धारा (2) के अधीन सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस धारा में संशोधन करके मैं समझता हूं कि जो रजिस्ट्रार हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि अगर किसी भी प्रकार के रिकार्ड्स में अनियमितता पाई जाती है, शिकायत पाई जाती है या तलाशी, अभिग्रहण के लिए, कब्जे में लेने के लिए

(श्री अविनाश)

किसी प्रकार की अगर परेशानी आती है और अगर रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़ दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है, तो वहां रजिस्ट्रार को स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों और सम्पत्ति का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य रूप से इस विधेयक के अंदर यह बात है कि पहले सोसाइटी के जितने भी दस्तावेज थे, उनको लेने के लिए अगर रजिस्ट्रार को संभावना थी कि उनका कहीं दुरुपयोग होगा, नष्ट कर दिये जाएंगे दस्तावेज, तो वह पहले न्यायालय में जाता, न्यायालय में एप्लीकेशन लगाता, उसके बाद ही न्यायालय फैसला करता कि डाक्यूमेंट्स देने हैं या नहीं देने हैं। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से अब उस बाध्यता को खतम करके सीधे रजिस्ट्रार को यह पावर दे दिया गया कि वह इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर दस्तावेज ले सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग कितना महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए देश के प्रधान मंत्री जी ने, मोदी सरकार ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाकर पूर्व मंत्री और वर्तमान में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को इस महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार सौंपा। मैं समझता हूं कि किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी आय को बढ़ाने और लगातार ऐसे नवाचार के कार्यक्रम भी किये जा रहे हैं, जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे एम एस पी के माध्यम से डेढ़ से दो गुना बढ़ोतरी हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, ऐसे बहुत सारे कदम जो केन्द्र सरकार ने उठाए उसके कारण किसान आज एक अलग वातावरण में अपना कार्य कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो ग्राम सेवा सहकारी के माध्यम से बिना ब्याज के लोन दे रही है, वह एकमात्र दिखावा रह गया है। वह दिखावा इसलिए रह गया है क्योंकि जिस किसान का ग्राम सेवा सहकारी में एक लाख 50 हजार रुपये का लोन होता है, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा के नाम पर 6 हजार रुपये से ज्यादा की वसूली की जा रही है और यह लूट प्राइवेट बीमा कंपनियों के माध्यम से मचा रखी है। यह बीमा प्राइवेट बीमा

(श्री अविनाश)

कंपनियों के माध्यम से करवाया जाता है और इसमें बिना ब्याज का लोन, जब किसान समिति के माध्यम से उसको रिन्युअल कराने के लिए जाता है तो कम से कम 6 महीने में उससे 7 से 8 हजार रुपये बीमा के नाम से लिए जाते हैं, जबकि हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा जी की सरकार में यह जो राशि थी मात्र 500 रुपये थी। आज आपकी सरकार में 7 से 8 हजार रुपये उस किसान से वसूल किये जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा फसल बीमा की राशि अलग से काटी जाती है। इस पर कहीं न कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले हमारी सरकार के समय सहकारी समिति के माध्यम से लोन कितना दिया जाता था? एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपये से ऊपर लोन दिया जाता था। आज आपकी सरकार बनने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सहकारी समितियों में आप एक बार आडिट करवाइए और उन किसानों की लिस्ट लीजिए कि वहां कितना सहकारी समिति से आप लोन दे रहे हैं, मुश्किल से 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपये दे रहे हैं। वह लोन भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो व्यवस्थापक से सैटिंग करते हैं, उनको रिश्वत की राशि का पैसा देते हैं, उसके बाद उसको लोन दिया जाता है। कर्जा माफी के रूप में हमारी वसुन्धरा जी की सरकार ने 50 हजार रुपये के सम्पूर्ण कर्जे माफ कर दिये और आपने जो चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में मालिनी एक छोटा-सा गांव है, जहां रावत समुदाय के लोग रहते हैं, आज की तारीख में एसबीआई बैंक से जिन लोगों ने दो लाख, ढ़ाई लाख, तीन लाख रुपये लोन लिया है, ऐसे 10 से 15 किसानों की ज़मीनें कुर्क करने के लिए तैयार बैठी है। अब आप बताइए वह सरकार, जिसने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एसबीआई से लिया हुआ वह कर्जा कौन माफ करेगा? इसी सदन में हमने जब ये मुद्दा उठाया तो आपकी सरकार ने क्या कहा कि हमने प्रधान मंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है और उसमें कहा कि आप हमें यह राशि दो तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे।

(समय: 16.00 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जब चुनाव घोषणा पत्र बनाया था उसमें क्या प्रधान मंत्री मोदी जी से सलाह ली थी? क्या यह कहा था उसके

(श्री अविनाश)

अंदर कि अगर केन्द्र सरकार माफ करेगी तो हम लोग माफ करेंगे? आपका यह असत्य वादा, नेशनलाइज जितने भी बैंक हैं, जिनसे लोन लिया हुआ है, वे आज भी खून के आंसू रो रहे हैं।

(समय: 16.00 बजे)

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सभी किसानों को एक डायरी के माध्यम से हर एंट्री अगर मिल जाए तो किसानों को हिसाब समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अधिकतर समितियों में किसानों को किसी हिसाब के बारे में नहीं समझाया जाता और राशि वसूल कर दी जाती है।

सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हर किसान को ऑनलाइन डायरी में एंट्री की जाए जिससे उस किसान को उसके खाते की एंट्री समझ आ सके, उसके परिवार के लोगों का समझ आ सके। साथ ही सभी ग्राम सेवा सहकारी समिति को पासबुक प्रिंटर प्रदान कर किसानों को डायरी वितरित की जाए। अब तक अधिकतर किसानों के पास, जिन लोगों ने लोन लिया है उनके पास डायरी नहीं है, प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक पासबुक प्रिंटर प्रदान करें।

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं, 2013 के बाद उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई। 2022 के अन्दर आपने स्क्रीनिंग की। माननीय सहकारी मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मेरा आरोप है कि 2013 के बाद जिन व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, आपने 2022 में करवाने का ऐलान किया। मेरे पाली ज़िले में आपने कुल 156 व्यवस्थापकों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था और केवल 28 लोगों की स्क्रीनिंग की। 28 लोग वे थे जिन्होंने एम डी को तीन-तीन लाख रुपये की रिश्वत दी, उनकी स्क्रीनिंग की थी। मेरा सरकार पर आरोप है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराए। जब आपने 156 व्यक्तियों को बुलाया था तो मात्र 28 लोगों की ही स्क्रीनिंग कैसे की? 2013 के बाद यानी दस साल बाद आपने स्क्रीनिंग की।

सभापति महोदय, इस स्क्रीनिंग कमेटी में कौन लोग थे, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूं। अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर जो इस कमेटी का अध्यक्ष था, उसका सह-अध्यक्ष बैंक का चेयरमैन था, सचिव बैंक का एम डी था, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, पाली का सदस्य, जिस सदस्य को, व्यवस्थापक को बुलाया गया था उस सोसाइटी का अध्यक्ष उसका सदस्य

(श्री अविनाश)

था। माननीय मंत्री महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन 28 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, बिना बैंक के चेयरमैन के सहमति के, जो पांच सदस्यीय कमेटी का मैम्बर था, उससे साइन करवाने के लिए बोला गया, उन्होंने कहा था कि मैं साइन नहीं करूंगा क्योंकि तीन लाख रिश्वत की राशि ली है, मैं नहीं करूंगा, उन्होंने साइन नहीं किये। उसके बावजूद बिना चेयरमैन की सहमति के, बिना साइन के इन 28 लोगों की आपने स्क्रीनिंग कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 156 में से केवल 28 ही क्यों किये, बाकी 128 लोगों की स्क्रीनिंग क्यों नहीं की?

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को कितनी सैलेरी मिलती है, उस सैलेरी के बारे में भी आपको चिंतन करने की आवश्यकता हैं। बहुत कम ऐसी सोसाइटियां हैं जो प्रोफिट में रहती हैं वे घाटे में रहती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत सारी समितियां हैं उनमें जैतारण शहर को अगर छोड़ दें तो बाकी लगभग सहकारी समितियां घाटे के अन्दर हैं। उनके व्यवस्थापक का प्रतिमाह वेतन भी कम है। मेरा आपसे निवेदन है कि व्यवस्थापक को आर जी एच एस की सुविधा चालू कराएं, ताकि उनके अल्प वेतन को देखते हुए हास्पिटल में जो सुविधा राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को मिलने वाली है वह भी मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। अभी थोड़े दिन पहले बिपरजॉय तूफान आया था, उस तूफान के कारण आगामी 2023 की ख़रीफ़ की फसल थी उसकी लोन रिन्यू की तारीख 30 जून, 2023 थी। बिपरजॉय तूफान आने के कारण बिजली की अव्यवस्था उत्पन्न हुई, बिजली की अव्यवस्था के कारण इंटरनेट की कनेक्टिविटी बाधित हुई, इसके कारण लगभग 10-15 दिन बिजली व इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रोब्लम होने के कारण किसानों को ख़रीफ़ फसल 2023 का लोन रिन्यू कराना था, वह नहीं करवा पाए। बिपरजॉय तूफान में बारिश से किसान खेतों की बुवाई में लग गए जिससे अधिकांश किसानों का लोन निश्चित दिनांक तक रिन्यू नहीं हो सका। अब ऐसी स्थिति में किसानों को ब्याज देना पड़ रहा है। ब्याज देने के कारण गरीब किसान दु:खी हैं। अत: इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों की लोन रिन्यू दिनांक थी, मंत्री महोदय उसको बढ़ाकर कम से कम 31 अगस्त तक करें, ताकि बिपरजॉय तूफान, प्राकृतिक आपदा थी, किसानों का लोन रिन्यू नहीं हो पाया था, अगर उनका लोन रिन्यू हो जाएगा तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, बीमा कम्पनी और राज्य सरकार की मिलीभगत के कारण, सांठ-गांठ के कारण, षड्यंत्र के कारण जिन किसानों की फ़सलें खराब हो गई थी उनके बारे में जब मैंने आवाज उठाई तो यहां के मंत्री ने यह कहा कि हां, अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो जैतारण विधान सभा क्षेत्र में हुआ। 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने प्रारम्भिक रिपोर्ट मंगाई...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट में खतम कर रहा हूं। उसके बाद सिरे से यह खारिज कर दिया कि खराबा था यह 30 परसेंट से कम था, क्योंकि नियमों में यह आता है कि 33 परसेंट से कम खराबा अगर कहीं बताएंगे तो बीमा कम्पनियों को किसानों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल खराब हुई थी, जैतारण विधान सभा क्षेत्र के एक भी किसान को उसका मुआवजा नहीं दिया गया। मुझे यह लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की इन बीमा कम्पनियों के साथ सांठ-गांठ है। अपने नीचे वाले अधिकारी को यह कह देते हैं उसके कारण 33 परसेंट कम खराबा बताकर यह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन है। जो लोग जमीन कर्ज के कारण चुका नहीं पाए, यह मेरे पास लिस्ट है। पूरे ज़िले की, पूरे राजस्थान की, जहां लगभग 19 से 20 हजार किसानों की ज़मीनें नीलाम की गई हैं या कुर्क की गई हैं किसानों का कर्जा नहीं चुकाने के कारण, मैं समझता हूं कि सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपसे सहकारी समितियों के बारे में निवेदन किया है, पाली ज़िले में जो घोटाला हुआ है उसकी आप निश्चित रूप से जांच कराएं। इस जांच में जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएं। स्क्रीनिंग के अन्दर जो लोग बचे हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग करवाकर उनको लाभ देवें। आप लोग जो यह विधेयक लेकर आए हैं, निश्चित रूप से कानूनी बाध्यता थी, कानूनी बाध्यता को दूर करने के लिए रजिस्ट्रार को जो पावर दिया गया है उसके ऊपर भी कंट्रोल करें, ताकि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जो फायदा मिलना है वह आने वाले समय में मिलेगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि। श्री मदन दिलावर। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पूर्व आदरणीय अविनाश जी ने बहुत सारे पाइंट रखे हैं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जब हम सहकारी सोसाइटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे काम्प्लेक्स एक्ट यह आता है, इसको समझना, इसके अन्दर की सारी चीज़ें और अलग-अलग नियम और अलग-अलग कानून हर अलग-अलग संस्था के लिए।

सभापति महोदय, यह इकलौता ऐसा एक्ट है जिसके अन्दर पिछले दस वर्षों में आठ बार संशोधन किये गये हैं। आठ बार संशोधन, जब ऐसे संशोधन करते हैं तो सदन का बहुत बड़ा टाइम और एनर्जी जाती है। कहीं न कहीं हम थिंक-थ्रू नहीं कर रहे। कहीं न कहीं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आज भी रह रही हैं, जिनकी वजह से बार-बार अधिनियमों में चेंज किया जा रहा है। चुनाव से तीन महीने पहले पता नहीं ऐसी क्या अर्जेंट सिचुएशन आ गई कि हमें यह विधेयक लाना पड़ा। इस विधेयक के आब्जेक्ट्स में यह क्लियर लिखा हुआ है कि - "the Registrar is being empowered to search and seize such records and property if he is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied." इसमें यह क्लियरली लिखा है कि इकलौते रजिस्ट्रार को हम यह शक्ति दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि वह किसी भी सोसाइटी की, किसी भी सहकारी समिति को कभी भी आडिट पर बुला सकता है, कभी भी उसके अकाउण्ट्स को मंगवा सकता है, उसके हिसाब से अगर उसको गलत लगेगा तो वह उसमें एक्शन ले सकता है। हम आए दिन न्यूजपेपर में पढ़ते हैं, आए दिन आर्टिकल आते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार बढ़ा है और यह न्यूज पेपर की कटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि ओवर आल सभी अधिकारियों को मिलाकर अगर हम भ्रष्टाचार का आंकड़ा देखें और आए दिन जिस तरीके से अधिकारी पकड़े जा रहे हैं इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसके बावजूद भी हम अधिकारियों को इतना पावर दें, इतना साथ दे। जब यह को-आपरेटिव समितियां बनी थीं तो सरकार यह

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जानती थी कि जो पुराने टाइम में साहूकारों का एक कॉकस बना हुआ था, किसानों को उनसे रियायत मिले, उसकी वजह से यह सहकारी समितियों का गठन हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, हालात यह हैं कि हम सब वापस उसी में जा रहे हैं। अविनाशजी ने बोला और इस बात को मैं सदन के पटल पर वापस रिपीट करना चाहूंगी कि वसुन्धराजी राजे सरकार के दौरान 2 लाख रुपये तक किसानों को लोन मिलता था और आज परिस्थिति यह है कि छोटे किसानों को जिनकी लैंड के अकोर्डिंग लोन मिलता है उनको 25 हजार रुपये, 15 हजार रुपये, 10 हजार रुपये से ज्यादा लोन नहीं मिल रहा है और उनको मजबूरी में क्योंकि कभी बिपरजॉय तूफान आ रहा है, कभी कौनसा तूफान आ रहा है और आये दिन फसलों का खराबा हो रहा है तो मजबूरी में उनको प्राइवेट बैंक्स के पास जाना पड़ता है और बढ़ी हुई दरों में, हाई रेट पर उनको लोन लेना पड़ता है और अन्त में इन सब चीजों में मरता सिर्फ किसान है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा यह दायित्व होना चाहिए कि इन सहकारी समितियों के द्वारा हम उन किसानों को कम दरों पर लोन दे सकें, ताकि वे आराम से अपनी रोजी-रोटी कर सकें। जो एक बात थी कि बिना ब्याज के हम लोन देंगे वह दस हजार से ज्यादा बिना ब्याज के लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे यह लगता है कि सबसे पहले तो उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, न कि इस विषय पर कि हम रजिस्ट्रार को और कितने पावर्स दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले ही चुनाव हुए थे इन सहकारी समितियों के और मुझे बाकी विधान सभा क्षेत्रों का तो नहीं पता, लेकिन राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार हुआ था कि जिस तरीके से फार्म तक भरने नहीं दिये थे समिति के मैम्बर्स को। यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है इसलिए इसको फार्म मत भरने दो, इसका खारिज करो और लास्ट मिनट में अजीब-अजीब से नियम निकालकर उन्होंने फार्म रद्द किये थे और जब हमने कम्प्लेंट की रजिस्ट्रार को जो कि उदयपुर में बैठते हैं तो उन्होंने यह कहा कि मैडम, मैं तो आपका फोन नहीं उठा पाया और उन्होंने वेट किया कि पांच बजे तक उन्होंने फोन नहीं उठाया और उसके बाद उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने बोला कि आप पहले बताते, यह तो नियम गलत है तो पहले कैसे बताते? फोन उठाते तो बताते। इस तरीके के रजिस्ट्रार को हम अगर और शक्ति प्रदान करेंगे तो हमें इस सदन के पटल पर यह सोचना

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

चाहिए कि जिस जनता ने हमें यहां पर जिताकर भेजा है, उस जनता को हम क्या फायदा दे सकते हैं। तो यह बहुत सोचने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, ऑनलाइन पंजीयन की बात हुई थी। 2019 में यह कहा गया था कि बहुत ईजीली अब लोन एप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करेंगे। इस ऑनलाइन पंजीयन के मैं विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इसके अन्दर नियम कड़क करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन जिनको मैम्बर्स आफ सोसाइटी चूज करते हैं, वे लोग सलेक्ट करते हैं कि यह हमारा अध्यक्ष बनेगा। उसके पावर्स को हमने कम कर दिया। अब यह हो रहा है, राजसमन्द का ही मैं आपको वापस से कोट करूंगी कि ऑनलाइन एप्लाई किया एक व्यक्ति ने और उसको लोन भी मिल गया था और जब उसके बारे में डिटेल्स निकाली तो उसके पास जमीन तक नहीं थी राजसमन्द के अन्दर। फिर भी उसने लोन एप्लाई करके किसी न किसी तरीके से लोन ले लिया तो माननीय सभापति महोदय, यह रेगुलेट करना बहुत जरूरी है कि हम ऑनलाइन लोन को किस तरीके से रेगुलेट कर सकें, ताकि जो व्यक्ति, जो किसान वाकई में जरूरतमंद है, वाकई में उसको उस लोन की जरूरत है, हम उस तक वह लोन पहुंचा सकें वरना माननीय सभापति महोदय, यह को-आपरेटिव समिति बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, जो मुख्य मुद्दा था, कहीं न कहीं हम उससे भ्रमित हो रहे हैं।

आडिट टाइम पर नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी जगह पर एनुअल आडिट टाइम पर नहीं होती है जिसकी वजह से इन सहकारी समितियों को भुगतान भरना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, इन सहकारी समितियों में अलग-अलग सेक्शंस, अलग-अलग समितियों के अलग-अलग उसमें, कम्पनीज एक्ट है, माननीय सभापति महोदय, कम्पनी चाहे कोई भी काम करे, वह एक एक्ट के अन्दर आती है। भले ही पान की दुकान की कम्पनी हो, आपकी चाय की दुकान की हो, चाहे आपकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो लेकिन वह सारी कम्पनीज एक्ट में एक ही कम्पनी, उस कम्पनीज एक्ट की अम्ब्रेला में आते हैं तो क्यों नहीं, माननीय सभापति महोदय, हम को-आपरेटिव समिति को, इस सहकारी समिति को हम ऐसे एक बायलाज क्रिएट करें जिसके अन्दर वह एक ही अम्ब्रेला में आये, ताकि समझने वाले को, आवेदन करने वाले को and even for registrars to understand all that is easier. माननीय

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)
सभापति महोदय, मुझे नहीं पता कि यह कितना ईजीली हो सकता है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि अगर हम उसको थोड़ा सा ईजी बनायें तो हम सबको उसको समझने के लिए बहुत ईजी होगा।

सहकारी समितियों को लाइसेंस मिलना चाहिए खाद-बीज, दवाइयों का, ताकि वह दे सके। आज भी बहुत सारी सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनको लाइसेंस नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से वह खाद-बीज और दवाइयां नहीं पहुंचा पा रही हैं तो, माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं आपको यह जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग इस लॉ को लाकर थोपना चाह रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह को-आपरेटिव समितियां गांव के उन लोगों के लिए बनी थीं जो शहरों में नहीं रहते हैं, जो ईजीली बैंक के पास नहीं पहुंच सकते और यह आपस में उस गांव को, उस पंचायत को बढ़ाने के लिए बनी थी और कहीं न कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार को इतना हक दे रहे हैं तो हम उनके जो अधिकार हैं, उनको कम कर रहे हैं और वहां पर उस पंचायत में, जिस पंचायत के लिए वह समिति बनी है, उसका वह सही ढंग से न्याय नहीं कर पायेगी, आपको मैं यही कहना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम इन संस्थाओं के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, न कि इस तरीके के लॉ लाकर हम इन रजिस्ट्रारों को, इन अधिकारियों को और पावरफुल बनायें। इसलिए मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसको छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी नाम पुकारा था, मैं बाहर गया हुआ था।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 सरकार लेकर आयी है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी बिल हम लेकर आयें तो उसमें जन हित का भी ध्यान रखा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि

(श्रीमती संतोष)

जल्दबाजी में इस प्रकार बिल पर बिल लेकर आना और वह भी इस सरकार के अन्तिम समय में, उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम, 1958 के तहत राज्य में सहकारी विभाग में लगभग 2 लाख 59 हजार सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से बहुत सी संस्थाएं आडिट भी नहीं करवाती हैं। अपने खातों की जांच अनिवार्य, ऑनलाइन करवाने के लिए यह जो संशोधन लेकर आये हैं, क्या राज्य सरकार पाबंद करवा देगी कि सभी संस्थाएं नियमित समय पर लेखा-परीक्षण करवायेंगी? इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जांच तो तब ही हो पायेगी, जब रिकार्ड होगा और रिकार्ड उपलब्ध हुए बिना जांच कैसे हो पाएगी? जो यह नियम लेकर आये हैं, 2019 से सरकारी प्रयास करने के उपरांत भी 1 लाख 35 हजार संस्थाओं ने अभी तक अपने खाते एवं सूचनाएं ऑनलाइन नहीं की हैं। इन संस्थाओं के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी है तो इस प्रकार से खाली मात्र बिल लाने से कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आम जनता को, किसानों को कोई फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, गृह निर्माण सहकारी सोसाइटीज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि ये संस्थाएं न तो सहकारी विभाग को अपना रिकार्ड दे रही हैं और न ही ये संस्थाएं अपना आडिट करवा रही हैं। आडिटर जब जाते हैं तो उनको भी किसी न किसी बहाने से टालने का प्रयास इसमें किया जाता है और एक न्यूज कटिंग के आधार पर मैं बताऊं तो पंजीयन रद्द होने के बाद भी अवैध कालोनियां बसाकर पट्टे जारी करने जैसी घटनाएं भी हमारे प्रदेश के अन्दर की जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समितियों की स्थिति तो और भी विकट है। लम्बे समय तक इन समितियों में चुनाव नहीं हुए हैं और जहां पर चुनाव हुए हैं, वहां पर भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के बाद जैसे जो नामांकन है, वह भी रद्द कर दिये गये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि विधेयक पर बोलना है, कोई डिमांड्स पर थोड़े ही बोल रहे हो आप? हर आदमी अपनी डिमांड लिखकर ला रहा है और डिमांड पर ही बोल रहा है। विधेयक पर बात करिये। आप बोलिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, बिल लेकर आये हैं, उसके अन्दर जो कुछ सुधार की आवश्यकता है वह होना चाहिए। वास्तव में जो स्थिति है, उसी को अवगत करवा रहे हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो हमारी बनी हुई हैं, उनके अन्दर भी कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिससे ग्रामीण स्तर पर किसानों को लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उनको नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हैं तो उनमें भी सुधार होना चाहिए। जैसे- खाद-बीज वितरण की बात आती है तो समय पर वितरण नहीं किया जाता है और किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है तो इस प्रकार की सोसाइटीज से क्या फायदा हुआ?

इसी के साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रिसीवर नियुक्त कर देने के बाद भी बैक डेट में जो जमीनों के पट्टे बांटे जाते हैं उन्हें भी किसी प्रकार से रोका जाये, इस प्रकार का संशोधन भी होना चाहिए। इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि जो सोसाइटीज में ठगी और फर्जीवाड़े के जो केस दर्ज हुए हैं उनमें भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, ऐसा भी कोई इसके अन्दर डाला जाये। वर्षों से सक्रिय फर्जी सोसाइटीज के खिलाफ सरकार कोर्ट के आदेश के बाद ध्यान देती है तो ऐसे कुछ जो फर्जीवाड़े के मामले हैं, वे नहीं होते। उन पर भी ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करें कि उन सोसाइटीज के माध्यम से किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है। सोसाइटीज के आज भवन भी नहीं हैं। जहां अव्यवस्थाएं हैं, उनमें भी सुधार होना चाहिए। मैं इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का निवेदन करूंगी।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित), श्री रफीक खान (अनुपस्थित), श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। यह मूल अधिनियम, राजस्थान अधिनियम, 2002 के संख्या 16 की धारा 31 का संशोधन है। अधिनियम की धारा 31(2) कहती है कि रजिस्ट्रार या अधिकृत व्यक्ति के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में सोसाइटी कार्य कर रही है।

धारा 31(3) कहती है कि उप धारा 2 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी जो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का न हो, ऐसे किसी सम्भव स्थान की तलाशी लेने

(श्री बिहारीलाल)

या रिकार्ड प्राप्ति हेतु अभिग्रहण कर सकेगा तथा ऐसा रिकार्ड अथवा सम्पत्ति मुख्य कार्यपालक, सचिव या अध्यक्ष या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप सकेगा। यह पूर्व का प्रावधान है।

इस अधिनियम में नया यह आया है कि धारा 31(2) में रजिस्ट्रार को स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को तलाशी लेने, अभिलेखों और सम्पत्ति को अभिग्रहण करने की शक्तियां दी गयी हैं।

धारा 31(3) में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, इस धारा के अधीन की गयी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण के लिए, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

इसमें माननीय मंत्रीजी को मेरा सुझाव है कि तलाशी के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्मिक का पदनाम उल्लिखित नहीं है। जैसा कि पूर्व के अधिनियम की धारा 31(2) में तलाशी हेतु पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर के नीचे के पद का अधिकारी नहीं हो, यह उल्लेखित था। कार्मिक तलाशी लेने हेतु अधिकृत नहीं था। इससे गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिक व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति को जिलों में उप रजिस्ट्रार द्वारा तलाशी लेने, रिकार्ड तथा संबंधित सम्पत्तियों को जब्त करने का अधिकार दिये जाने की स्थिति में गांवों में विवाद बढ़ जाएंगे। इस प्रकार इस प्रस्तावित संशोधन में जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाना है, उसका कोई स्पष्ट उल्लेख विधेयक में नहीं है जिससे जिले के उप रजिस्ट्रार को असीमित अधिकार प्राप्त होगा कि वह स्वयं अथवा अपने जिले में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को रिकार्ड करने हेतु भेज सकता है। यह संशोधन जो आप कर रहे हैं, इस बात को स्पष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा गांवों में ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण वितरित किये जाते हैं, उनके पीछे चुनाव की स्थितियां किस तरह की रहीं, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, लेकिन समय की मर्यादा है। बिल पर मैंने जो संशोधन दिया है, उस पर ही बात करूंगा। जैसा कि अभी राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, ग्राम सहकारी समितियों का ऋण वितरण के अलावा खाद, बीज वितरण करने का भी काम है, लेकिन वे सोसाइटीज काम नहीं करतीं इसलिए उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी खरीद का सिस्टम खराब है। एक

(श्री बिहारीलाल)

तो देरी से शुरू की जाती है, किसान का उसमें नुकसान होता है। फिर जो हर्डल्स आते हैं, कहीं बारदाने की कमी की वजह से और कभी अन्य कारणों की वजह से। राजफैड या जो भी हमारी एजेंसी हैं, वे त्वरित गति से काम करें। उसमें सहायता मिलनी चाहिए। सरकारी खरीद समय पर होनी चाहिए। 90 दिन का समय जो मिलता है, उसमें हो सके। बहुत सी बातें हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से टेबल करना चाहूंगा। आप इजाजत दें तो सदन का समय बचेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, सहकारिता आन्दोलन जब पूरे देश और राजस्थान में शुरू किया गया था और उसको लेकर जो कानून बनाये गये थे, उसी सन्दर्भ में एक और संशोधन विधेयक आज हमारे सामने विचाराधीन है, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023।

जैसा कि अभी राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि पिछले दस साल में आठ संशोधन सहकारिता कानून में हो चुके हैं। जब से सहकारिता कानून लागू हुआ होगा, उसके बाद तो पचासों संशोधन हो गये होंगे। इतने संशोधन और प्रयासों के बाद भी सहकारिता आन्दोलन की जो आत्मा थी, जो मूल लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पाये हैं। बहुत दुर्भाग्य और चिन्ता का विषय है।

सहकारिता आन्दोलन कोई राजनैतिक आन्दोलन नहीं है, सहकारिता अभियान कोई सामाजिक अभियान भी नहीं है, सहकारिता का मूल उद्देश्य है आम आदमी को साथ जोड़ कर उन सबका आर्थिक उन्नयन करना। सब एक के लिए है और एक सबके लिए है, यह मूल मंत्र रखा गया था।

माननीय सभापति महोदय, अब तक का अनुभव बताता हूं कि सब एक के लिए तो है, सब मिल कर एक को महाबलि बनाते हैं और महाबलि बनने के बाद वह एक सबके काम नहीं आता, वह खुद के ही काम आता है और वह ऐसी जड़ें जमा लेता है फिर दूसरे किसी के घुसने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। यह हमारे राजस्थान के सहकारिता कानून का सबसे बड़ा लेकुना है, कमी है। आप वंशवाद कह सकते हैं, मतलब एक ग्रुप बन जाता है। परिवारवाद भी हो जाता है, ग्रुपवाद भी हो जाता है और हमेशा छाये रहते हैं और दूसरों को घुसने नहीं देते हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

माननीय सभापति महोदय, आज जो संशोधन लाया गया है, वह तो बहुत ही हास्यास्पद है। सहकारी समिति का रिकार्ड या तो सचिव के पास होता है या अध्यक्ष के पास होता है या व्यवस्थापक के पास होता है। वह रिकार्ड हमको चाहिए आडिट के लिए, जांच के लिए, और किसी काम के लिए तो वह रिकार्ड हमको नहीं मिलता। हमारा कर्मचारी, हमारे द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति हमारा रिकार्ड अपने पास ऐसे रखता है जैसे कि उसके बाप का माल है, प्राइवेट प्रोपर्टी है और वह मांगने पर भी उपलब्ध नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, इसका एक क्लासिक उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। बालवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति की जांच चल रही है। भारी घोटाला वहां हुआ है। लगभग 7 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है ऋण माफी और ऋण वितरण में। उसकी जांच चल रही है। वहां के व्यवस्थापक को आपने सस्पैण्ड कर दिया। रिकार्ड आज तक नहीं आया और आया है तो आधा अधूरा आया है, पूरा नहीं आया। यह हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी चीज हमको जब चाहिए, तब हम नहीं ले सकते। उस कमी को दूर करने के लिए आप विधेयक लाये हैं। इसके बाद भी यह कमी दूर होगी या नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता। इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम बार-बार महाराष्ट्र और गुजरात के सहकारिता सिस्टम की बात करते हैं। बार-बार चर्चा होती है। डेढ़-दो साल पहले आप संशोधन लाये थे, तब मैंने भी निवेदन किया था और सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारिता आन्दोलन बहुत सफल है, राजस्थान में वैसा क्यों नहीं है, हमको सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से उस पर रामलालजी साहब बहुत अच्छा बोले थे और उन्होंने गुजरात का उदाहरण भी दिया था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हर बार बात करते हैं। बात तो करते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के अच्छे उदाहरण देते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो नोट किया है, मैंने जो बात पकड़ी है, गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन में सरकारी हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। वहां प्रशासक नहीं लगते। वहां के बोर्ड भंग नहीं होते। वहां का एम डी सरकार नहीं लगाती। वहां का सेक्रेट्री सरकार नहीं लगाती। वहां का चेयरमैन सदस्यों में से निकलकर आता है, सरकार उसको नहीं बनाती। चुने हुए बोर्ड को प्रशासक लगाना सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

होता। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने के कारण वहां का सहकारिता आन्दोलन काफी हद तक सफल है, एकदम पूर्ण सफल है। हम भले ही नहीं कहें, लेकिन काफी हद तक सफल है।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी हस्तक्षेप का खराब से खराब उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। जालौर की धरती पर एक आयल मिल लगी थी। बहुत एंबीशियस प्लान था। राजस्थान में पांच आयल मिल लगी थीं। एक कोटा में थी, एक उदयपुर के पास फतहनगर में थी, एक गंगानगर में थी। पांच लगी थीं। पांचों की पांचों बन्द हो गयी। जालौर की सबसे पहले बन्द हुई और सिर्फ इसलिये बन्द हुई कि सरकारी अधिकारी उसमें एम.डी. लगते थे। एम.डी. और कुछ दूसरे अधिकारी सरकारी लगते थे और उन लोगों ने उसमें जो भ्रष्टाचार किया, जो प्लांट खरीदा गया, वह प्लांट इतना डिफेक्टिव था कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपनी कैपेसिटी का 60 प्रतिशत से ज्यादा प्रोडक्शन दे ही नहीं सकता था। जब तक वह प्लांट चला, जालौर जिले के किसानों को अपना सरसों बेचने के लिये कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव में समितियां बनी हुई थीं। वे अपने गांव में खेत से लाकर खरीदते थे और उस आयल मिल तक पहुंचाते थे। उनको अच्छा पैसा मिल रहा था। जालौर का सरसों उत्पादक किसान बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में जा रहा था। उनके सपनों पर कुठाराघात हो गया। वह आयल मिल बन्द हो गयी, क्योंकि वह अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर ही नहीं सकती थी और फिर उसमें भ्रष्टाचार और हो गया। जो-जो भी अधिकारी उसमें लगा, चाहे आई.ए.एस. लगा, चाहे आर.ए.एस. लगा, चाहे और कोई लगा, जो भी उसमें लगा सिवाय भ्रष्टाचार के उसने कुछ नहीं किया। वह आयल मिल बर्बाद हो गयी और उस अफसर का घर आबाद हो गया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह सहकारिता विभाग समाप्त तो हो ही रहा है। सहकारिता आन्दोलन ही समाप्त हो रहा है। मैं दो मिनट और लूंगा। इन सब बातों पर हमको ध्यान देना चाहिये और इस पूरे कानून को नये सिरे से ड्राफ्ट करना चाहिये और पूरा अध्ययन करने के बाद करना चाहिये। अभी यह जो ऋण माफी हुई थी, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है और ऋण माफी का काम सिर्फ सोसाइटियों तक ही हुआ है। बैंकों में तो हुआ ही नहीं लेकिन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सोसाइटियों में भी जिनको नहीं होना था, उनका हो गया। जो आदमी मर गया, उसका हो गया, जिन्दा है उसका नहीं हुआ। यह सारा खेल हुआ है। यह सारा प्रमाण के साथ रिकार्ड पर हम ला चुके हैं। बालवाड़ा में क्या हुआ है जालौर जिले की छह-सात सोसाइटियों में ऐसा हुआ है और तथ्य सामने आने के बाद भी हम इस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तथा अपराधियों को सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के इस सहकारिता सिस्टम का सबसे बड़ा खराब पहलू यह है कि यहां घोटाला करना बहुत आसान है और घोटाला करने वाले को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सज़ा देना तो और भी मुश्किल है। इस कमी को कैसे दूर करें, उस पर हम सबको चिंतन करना चाहिये और विचार करना चाहिये। जालौर जिले में दो हजार किसान आज भी ऐसे हैं, जिनका ऋण माफ होना चाहिये था 2019 में और सोसाइटी से ब्रांच लेवल पर चला गया, पर ब्रांच आफिस से हैड आफिस के लेवल पर नहीं गया और वह अधरझूल में लटक रहे हैं। न तो उनका ऋण माफ हुआ है, न उनको ऋण भरना है, यह कहा जा रहा है और उसके कारण से उनको नया ऋण मिलना बन्द हो गया है। यह सारी परिस्थिति जो निर्माण हुई है, वह इस कानून के लचर स्थिति के कारण, कमजोर कानून के कारण यह हुआ है, कमजोर प्रक्रिया के कारण यह हुआ है। इस कानून को और भी सख्त करने की आवश्यकता है। इन छोटे-मोटे संशोधनों से काम नहीं चलेगा, मंत्री महोदय। सरकार इसमें ध्यान देकर और विस्तार से अध्ययन करने के बाद बड़ा संशोधन लाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं इस कानून को, इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये और वापस लेना चाहिये।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य से यह तो माना गया है कि सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, मगर सरकार वाकई में गंभीर है तो सबसे पहले इन सहकारी समितियों की चुनावी पद्धतियों को बदलना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, देखने में यह आया है कि जो लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी सोसाइटी के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति में स्थापित रहते हैं,

(श्री गिरधारीलाल)

क्योंकि नियम यही है कि ऋणी सदस्य ही 10 या 11 सदस्यों के लिये मतदान कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, अऋणी सदस्य केवल एक ही सदस्य के लिये मतदान कर सकता है। इस प्रकार 10 या 11 निर्वाचक मण्डल के सदस्य उन्हीं लोगों के निर्वाचित होते हैं जो पहले से काबिज हैं और फिर से सोसाइटी के पदाधिकारी बनना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जरूरत इस बात की है कि इन संशोधनों के साथ-साथ यह संशोधन भी किया जाये कि उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम सहकारी समितियों के सदस्यों के वोटों का मूल्य बराबर हो और जो भी इस क्षेत्र का व्यक्ति सहकारी समिति से जुड़ा हो, सदस्य ऋण प्राप्त करने की उसकी पात्रता हो। माननीय सभापति महोदय, सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक की नियमितीकरण एवं आयु सीमा में 18 से 40 वर्ष तक कुछ शिथिलता का नियम बनाना चाहिये। लम्बे समय से ऐसे व्यवस्थापक कार्य कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहले ग्राम पंचायतों में शिक्षा की अनिवार्यता बी जे पी के राज में रखी गयी थी, उसके बाद में अभी अनिवार्यता खतम की निर्वाचन में, उसी प्रकार शिक्षा का नियम भी इसमें समाप्त किया जाये। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाये। यह कहते हुए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को आज सदन में विचारार्थ लिया गया। यह संशोधन विधेयक इसलिये लाया गया कि कोई भी सोसाइटी के खाते की जांच हो सके। सोसाइटी की सम्पत्ति है, नकद है, उसकी जांच हो सके और यह जांच करने के लिये पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था, उसमें बहुत सारा समय लगता था। विभाग को संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस संशोधन विधेयक से विभाग को संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार मिल जायेगा। साथ में, रजिस्ट्रार को भरपूर शक्तियां मिल जायेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप रजिस्ट्रार को इतने पावर्स दे देंगे, यह कहां तक उचित है? रजिस्ट्रार सरकारी अधिकारी होता है और वह हमेशा सरकार के दबाव में काम करेगा। सोसाइटी में आजकल जैसे अध्यक्ष हैं, मैम्बर्स हैं, कई

(श्री नारायण सिंह देवल)

राजनीतिक लोग उसमें होते हैं और अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक राजनीतिक व्यक्ति आजकल बनने लग गये हैं। इस संशोधन विधेयक के बाद किसी भी सोसाइटी को परेशान या प्रताड़ित करने के लिये सहकारी रजिस्ट्रार को हथियार के रूप में इस्तेमाल सरकार करना चाह रही है और इससे भारी भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। हालांकि सच तो यह है कि बहुत सारी सहकारी समिति न तो समय पर आडिट करवाती हैं और न ही समय पर डिपार्टमेंट अगर कोई सूचना मांगता है तो वह देती हैं और समितियों में कई बार भारी गड़बड़ियां भी मिलती हैं।

अभी हमारे जालौर से आने वाले सदस्य बालवाड़ा का जिक्र कर रहे थे। आज छह-सात साल हो गये, उसका रिकार्ड गुम हो गया। सात करोड़ रुपये का गबन है और जो सहकारी समिति की सोसाइटी है, ऑनलाइन की मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, परंतु वह भी कछुआ चाल चल रही है। ऑनलाइन नहीं होने से शहरों के अन्दर जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, वे बैकडेट में एक ही भूखण्ड के चार-चार पट्टे काट देते हैं और कई फर्जी सोसाइटी भी भूखण्ड के पट्टे चार-पांच लोगों के बीच में काट देते हैं। ऐसी फर्जी सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये विभाग को पर्याप्त शक्तियां भी देनी चाहिये। सहकारिता की मूल भावना है कि समाज के लोग मिलकर स्वेच्छा से कार्य करें। सहकारिता में साधन, शक्ति और निर्देशनों का सेंट्रलाइजेशन आज भी नहीं है, लेकिन इस संशोधन विधेयक से सरकार रजिस्ट्रार को असीमित शक्तियां देना चाहती है।

सरकार 2022 में एक संशोधन विधेयक लेकर आयी जिसमें धारा 28 की उप धारा 7 (क) को हटाया और इस संशोधन विधेयक में आपने सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं, 10 साल से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते, पांच साल का गैप का प्रावधान किया और इस प्रावधान से सहकारी समिति के प्रति किसानों और आमजन का आकर्षण भी कम हुआ है। रजिस्ट्रार को अब असीमित पावर देकर सहकारिता की मूल भावना की सरकार हत्या करना चाहती है। इससे भारी भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। आप यह संशोधन विधेयक लाकर रजिस्ट्रार को असीमित पावर देना चाहते हैं। इससे राजस्थान के अन्दर इंस्पेक्टर राज कायम होगा और अब सत्ताधारी दल के लोग जो विरोधी सोसाइटी हैं, उन सोसाइटियों का दमन भी करेंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम सेवा समिति करवाड़ा के दो गांवों के 654 किसानों के फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा नहीं होने के

(श्री नारायण सिंह देवल)

कारण दोनों गांवों के 654 किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं ले सका और इस प्रकरण में माननीय मंत्रीजी ने अध्यक्ष और व्यवस्थापक को दोषी भी मान लिया। व्यवस्थापक की सेवाएं भी समाप्त कर दीं, परंतु माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे सदन में आश्वस्त करने के बावजूद आज भी अध्यक्ष नहीं हटा है तो कृपया इन अधिकारियों के भरोसे नहीं रहें। यह अधिकारी आपको डुबोना चाहते हैं। इनके ऊपर भी आप ध्यान दें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपका तो फायदा ही कर रहे हैं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): धन्यवाद हमारा फायदा कर रहे हो तो।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 30.09.2022 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने एक रोक लगा दी तो फिर 11 जनवरी, 2023 को किसके आदेश से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई?

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मेरे पास यह हाई कोर्ट का जजमेंट भी है।

श्री सभापति: समाप्त करिये इसको अब।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मेरे पास हाई कोर्ट का यह जजमेंट भी है। उसके बावजूद इनके अधिकारी 8 महीने सोते रहे। 16 जून, 2023 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने 8 महीने बाद में स्क्रीनिंग कमेटी नहीं होने के लिए लैटर लिखा। उससे पहले स्क्रीनिंग हो चुकी थी। उस स्क्रीनिंग कमेटी में कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिन्होंने लोन कम बांटा है या जिनके ओवर ड्यू बहुत ज्यादा थे, ऐसे सह-व्यवस्थापक को भी इस स्क्रीनिंग कमेटी ने परमानेंट कर दिया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? एक मिनट मुझे दीजिये। क्या स्क्रीनिंग करने में भ्रष्टाचार हुआ है? ऐसे कई जांच के विषय भी मैं आपसे आग्रह करूंगा।

(श्री नारायण सिंह देवल)

इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार को अपना शिष्टचार बना दिया है। हर जगह खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है। आर पी एस सी दलालों का अड्डा बन गया है। प्रदेश के युवाओं को सरकारी संरक्षण में लूट रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: यह डिमांड्स पर चर्चा हो रही है क्या?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): डिमांड पर बोला हूं।

श्री सभापति: बिल पर बोलो न, डिमांड पर थोड़े ही बोलना है। हर आदमी अपना 2-2 पेज, 5-5 पेज लिखकर ला रहा है। मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिल पर अपनी बात कहें तो फिर भी समझ में आये।

श्री नारायण बेनीवाल (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 लेकर के आये।

सभापति महोदय, मैंने 2018 और 2019 की ऋण माफी का जिक्र राजस्थान की विधान सभा में पहले भी कई बार किया है। 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 6 हजार करोड़ ऋण माफी की घोषणा की थी। 2 हजार करोड़ रुपये माफ किये गये। उसके बाद 2019 में 14 हजार करोड़ रुपये माफ हुए, लेकिन उसमें से बहुत बड़ी राशि जिसका बूम किसान में आना चाहिए था, वह खुर्द-बुर्द हुई है।

सभापति महोदय, मैंने यहां शिकायत की, शिकायत के बाद जांच हुई। जांच में ग्राम सेवा सहकारी समिति, छानी बड़ी; ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामगढ़; ग्राम सेवा सहकारी समिति, डावड़ी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 3 ऐसी सहकारी समितियां थीं जिनमें लोगों ने भारी शिकायत की। छानी बड़ी के व्यवस्थापक जेल होकर के आये, लेकिन अध्यक्ष का अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यक्ष बार-बार नियमों का हवाला देकर बच जाता, लेकिन यह जो विधेयक आया है, इस विधेयक से मैं समझता हूं कि उन सब लोगों का ताबीज हो जायेगा जो लोग चोरी को प्रश्रय देते हैं, जिन लोगों ने किसान का हक लूटा

(श्री बलवान पूनियां)

है या जिन्होंने किसान का माल खाया है और जो आकर के रजिस्ट्रार को भी आंख दिखा जाते थे। अब मैं समझता हूं कि उनकी गर्दन हाथ में आयेगी और जो सरकार सहकारिता के माध्यम से किसान का भला करना चाहती है, वह सरकार किसान तक वह चीज पहुंचा पायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऋण माफी में खेल हुआ था, जिसमें किसानों को असत्य ऋण बांटकर के और असत्य ऋण माफी दिखाकर के हजारों करोड़ रुपये लूटे गये थे और वह रिकार्ड आज तक नहीं मिला। सहकारिता विभाग में शिकायत करने के बावजूद वह रिकार्ड अधिकारियों को नहीं मिला, वह रिकार्ड गायब कर दिया गया। उसका ताबीज हो जायेगा इस विधेयक से। जिस मंशा से विधेयक लेकर के आये हैं, माननीय मंत्री महोदय, जिन समितियों की शिकायत सदन में आज लोगों ने की है, उनका रिकार्ड भी आप उठवा लोगे तो मैं समझता हूं कि सहकारिता चार कदम आगे बढ़ेगी।

आप गुजरात की सहकारी समितियों का जिक्र कर रहे थे। आज जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र का। मैं कहता हूं हिन्दुस्तान में सबसे मजबूत सहकारिता विभाग है जिसको सरकार देखती है, वह है केरल का। जिसको सरकार देखती है। कोई अतिशयोक्ति नहीं, गुजरात में तो आप जिक्र कर रहे थे कि रजिस्ट्रार सरकार नहीं लगाती। वहां तो पता है अमित शाह लगाते हैं रजिस्ट्रार और अमित शाह ही तय करते हैं। सहकारिता हो सकता है कि अमित शाह के हिसाब से चलती हो, लेकिन राजस्थान में यह सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय देखेगा। 'सब एक के लिए, एक सब के लिए' नारे को चरितार्थ करने का काम करेगा। इस नारे को मजबूत करने के लिए बहुत छोटे-छोटे सुझाव भी मैं देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस कानून के साथ-साथ यह जरूरी है कि व्यवस्थापकों को मजबूत किया जाये। 2017 के बाद कोई व्यवस्थापक नहीं लगाये गये। आज मैं शिकायत करने की सोचूं कि मुझे व्यवस्थापक की शिकायत करनी है, एक्स व्यवस्थापक भ्रष्ट है, उसके पास 3-4, 4-4 समितियों का चार्ज है। किसान की ऋण माफी और किसान के ऋण टर्न ओवर की सारी बातें लटक जाती हैं। इसलिए मुझे भी कहीं न कहीं यह दिक्कत होती है कि मैं शिकायत करूंगा तो यह सस्पैंड हो जायेगा। इन 4 समितियों के किसानों के ब्याज लग जायेगा। 2017 के बाद जो व्यवस्थापक आपने लगाने बंद किये,

(श्री बलवान पूनियां)

वह व्यवस्थापक आप लगाइये। स्क्रीनिंग समय पर करिये, व्यवस्थापकों के लिये मानदेय तय करिये।

सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि व्यवस्थापकों के लिए मानदेय नहीं है। मानदेय नहीं है 5 हजार रुपये, मानदेय नहीं है 7 हजार रुपये, लेकिन बहुत सारे व्यवस्थापक राजस्थान में ऐसे हैं जो ऋण माफी के बाद आप मंत्रियों का इतना बड़ा वेतनमान नहीं होगा, मानदेय नहीं होगा जैसी फीलिंग व्यवस्थापक ले रहे हैं, क्योंकि पैसा जनता का है और किसान के पास जाना चाहिए था। इसलिए मानदेय बिलकुल तय होना चाहिए, नहीं तो सहकारिता विभाग मजबूत नहीं होगा। अब जांच कैसे करें? आप जाओगे कि आपने इस समिति में, समिति घाटे में है, लेकिन व्यवस्थापक क्या तनख्वाह ले, यह किसी को पता ही नहीं है। इसलिए जो व्यवस्थापक ईमानदार है, उसका भी वैसे ही नुकसान कर देते हैं जो व्यवस्थापक चोर है।

सभापति महोदय, यह सहकारिता विभाग तो ऐसा है जहां शिकायत करते हैं तो विभाग के अधिकारी भी सहकारिता निभा देते हैं। वह फिर परिवार उसको मानते हैं जो सहकारी विभाग में कर्मचारी हैं। किसान को परिवार नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि यह सारी की सारी जो जांचें चल रही हैं, इन जांचों पर कार्यवाही करें।

आपने सहकारिता विभाग को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाया है, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं धन्यवाद करने के लिए। शब्द ही नहीं हैं। इसमें आप यह कह रहे हो कि अधिकारियों में दादागीरी आयेगी। नहीं साहब, आपके पास मंत्री हैं, आपके पास मंत्री हैं, आप तो सपने ले रहे हो। एक तो आप इतने कन्फ्यूज हो इस दल वाले, नारायण जी कार्यवाही करवाना चाहते हैं समितियों पर और साथ ही कह रहे हो कि अधिकारियों को दादागीरी दे रहे हो। कार्यवाही कौन करेगा? कार्यवाही नुक्कड़ पर बैठा आदमी करेगा क्या? कार्यवाही अधिकारी करेगा। धारा 31 स्पष्ट यह कह रही है कि आप रिकार्ड ही नहीं ले सकते। न्यायिक मजिस्ट्रेट के बिना रिकार्ड ही नहीं ले सकते। धारा 31 यह कह रही है। उसका जाब्ता करने के लिए कानून आया है।

आप इतने कन्फ्यूज हो। आप वास्तव में इनकी हां मत भरो। यह रामलाल जी को तो पता ही नहीं है, ये तो किसान हैं ही नहीं, यूं ही बात कर रहे हैं। नारायण जी समझदार आदमी हैं।

श्री सभापति: इधर, इधर।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, नारायण जी मेरे पास बैठते हैं लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज हैं। इतने सीनियर आदमी हैं।

मैं इसलिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जो बिल लेकर आये हो इसमें जो मैंने संशोधन दिया है, मैं इस बात के साथ वापस लेना चाहता हूं कि राजस्थान में जो बड़ी ऋण माफी की थी, वह किसान तक पहुंचे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन लोगों ने पैसा खाया है, उनसे पैसा वसूल करो। जिस किसान के हिस्से का पैसा है, उस तक पहुंचाओ। 14 हजार करोड़ रुपये थोड़े नहीं होते हैं। आपको तो गिनाने नहीं आते। यह यूं ही कर रहे हैं। मोदी ने दुग्गी माफ नहीं की और यह सारे दिन आपको आंख दिखाते हैं। मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपये दूंगा, एक रुपया नहीं दिया, फिर भी आपको यह आंख दिखाते हैं।

ऋण माफी 14 हजार करोड़ की तो आपने की है, लेकिन इस ऋण माफी का बूम लाने की आपको जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपको कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अलाउ नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये। विराजिये। श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान अधिनियम 16 की धारा 31 के तहत आपने जो संशोधन किया और रजिस्ट्रार को इसमें आपने पावर दी। जिस प्रकार से रजिस्ट्रार को स्वयं, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को तलाशी लेने या ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सोसाइटी को अपनी भूमि बेचने या नीलामी करने की स्वयं को अधिकार होता है, वह खुद अपनी जमीन दे सकता है। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र के चौमहला में सहकारी समिति, चौमहला में जो जमीन थी, सहकारी के अध्यक्ष ने उसके पट्टे काट दिये और उस जमीन को बेच दिया। उसका अधिकार

(श्री कालूराम)

रजिस्ट्रार को होना चाहिए। इसकी शिकायत मैंने रजिस्ट्रार को भी की है, एम डी को भी की है। इसके बावजूद भी वह जमीन किसी भू-माफिया के अधीन चली गयी, तो इस पर सरकार को भी दखल देना चाहिए। कलेक्टर इसका सचिव होता है। मैंने कलेक्टर को भी कहा। इस प्रकार से अगर सहकारी की भूमि खुर्द-बुर्द कर देते हैं तो उस सहकारी समिति का पूरा अधिकार कलेक्टर को भी होता है और एम डी को भी होता है। यह अधिनियम आपने बनाया और रजिस्ट्रार को मजबूत किया, ठीक है। बाकी वहां के जो अध्यक्ष हैं, उस अध्यक्ष को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। वहां के मेम्बर्स को आपको अधिकार देना पड़ेगा।

जिस प्रकार से सहकारी क्षेत्र में लोन दिया जाता है, पहले हमारी सरकार जो महारानी साहिबा, वसुन्धरा राजेजी के समय में थी, तब डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का ऋण देते थे, उसको घटाकर आप अभी 9 हजार से 25 हजार रुपये का ऋण दे रहे हैं। जब ऋण माफी हुई वसुन्धरा राजेजी के टाइम पर तो प्रत्येक किसान की 51 हजार रुपये की ऋण माफी की गई। जब आपकी सरकार आई और आपने दो महीने के अंदर जो किसान दिसम्बर तक यदि अवधि पार होगा तो उसकी ऋण माफी नहीं होगी। इससे कुछ किसान इस दायरे में आये और उनकी ऋण माफी हुई। ऋण माफी के बाद में जो ऋण दिया गया वह आपने 9 हजार रुपये स्टार्ट करके उसको मात्र 25 हजार रुपये तक का ऋण दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ब्याज मुक्त ऋण किसानों का बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, किसानों का जो जीवन ज्योति बीमा होता है वह सरकार और बीमा कम्पनी के बीच में करार नहीं होने के कारण करीब 2 साल से नहीं हो पाया, उस कारण से कई मृत किसानों को उस बीमा का लाभ नहीं मिल सका। मैं सरकार से पूछता हूं कि उन किसानों का क्या दोष है? जिन किसानों को बीमे का फायदा नहीं मिला, उन किसानों को पुन: या बीमा नहीं हुआ है तो सरकार जो किसान छूटे हुए हैं उनको बीमा राशि दे।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो हम बीमा करवाते हैं, मान लो चालीस बीघा जमीन है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में चालीस बीघा का ही बीमा होता है और सहकारी विभाग में मात्र दो बीघा या तीन बीघा का बीमा करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप इस प्रकार से बीमा क्यों करते हैं? तब कहा कि जिस प्रकार से हम ऋण देते हैं, उस प्रकार से

(श्री कालूराम)

बीमा किया जाता है तो जितनी जमीन उस किसान के खाते में है, चाहे चालीस बीघा है या पचास बीघा है, तो उस सारी जमीन का ही बीमा होना चाहिए। उस किसान को बीमा का पूरा पैसा मिलना चाहिए, उस किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलता है। अभी बीमा क्लेम की राशि दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों में और बाकी बैंकों में डल गई और सहकारी विभाग में बहुत कम राशि डली है। कितने रुपये? पांच-पांच सौ रुपये, एक-एक हजार रुपये डलते हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि जितनी जमीन किसान ने आपके यहां रहन रख रखी है, उस पूरी जमीन पर आपको बीमा देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब किसान ऋण लेता है तो साल में दो बार उसको आपको चुकाना होता है। उसको एक ही बार चुकारा करना चाहिए। अगर मार्च में वह किसान चुकाएगा तो किसान अवधि पार नहीं होगा। अगर किसान अवधि पार हो जाता है तो उसका 14 परसेंट से ब्याज लगता है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बिल में इस नियम में संशोधन लेकर आएं कि किसान का साल में एक बार ही चुकता करना चाहिए। किसान दो बार पलटी नहीं कर सकता, किसान के पास पैसा नहीं रहता है। 31 मार्च को अगर किसान पैसा नहीं दे पाया तो उसका ऋण अवधि पार हो जाएगा। जब किसान अवधि पार होता है तो उसको ऋण वापस नहीं दिया जाता है और ऋण नहीं दिया जाता है तो उसका ओवरड्यू हो जाता है। आप यह बिल लेकर आए, ठीक है, आपने रजिस्ट्रार महोदय को अधिकार दिया, यह अच्छी बात है, बाकी इसमें और सुधार करने की जरूरत है। किसानों के हित को देखते हुए इस बिल में सुधार किया जाए, किसानों की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करें।

ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को खाद, बीज की बड़ी परेशानी रहती है, इसकी प्रत्येक सहकारी समिति पर एक लिमिट बनवाएं 25-25, 30-30 लाख की, ताकि उन सहकारी समितियों में लिमिट के माध्यम से उन किसानों को खाद मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को आज सदन में विचारार्थ लिया गया है। निश्चित तौर पर इस विधेयक को लाने के पीछे जो मंशा कहीं न कहीं आपकी रही होगी, मुझे लगता है कि हमारी मंशा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

यह होनी चाहिए कि किस तरह से आज गांवों की जनता, गांवों के किसान, सहकारी समितियों के माध्यम से लुटते हुए हम उनको देख रहे हैं। कई बार गबन हो चुके हैं, हम भी कई बार विधान सभा में मामला उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मुझे लगता है कि कोई कानून हम लोग बनाएं, लेकिन उस कानून को लाने से पहले हमें बहुत सारी बातों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। यह संशोधन विधेयक हम लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी के खातों को, उसकी सम्पत्ति, नकदी आदि की जांच करने की बात आती है तो उसे अपने कब्जे में लेने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता था। उसमें काफी समय लगता था और विभाग को संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जो मंशा हमारी है वह मैं यह मान सकती हूं कि कहीं न कहीं किसानों से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें इसमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है, यह मेरा इस विधेयक के मार्फत मैं कहना चाहूंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस विधेयक को लाने के लिए हमने देखा है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 31 की उप धारा 2 है उसके अधीन जो प्रचलित प्रक्रिया को विलम्बकारी बताते हुए उप धारा 2 और 3 को प्रतिस्थापित किया जाना जो प्रस्तावित किया गया है, जिस पर मैं कहूंगी और मैं इस बात का पुरजोर शब्दों के साथ विरोध करना चाहूंगी। धारा 31 की उप धारा 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करने का विकल्प है, जहां तक मैं मानती हूं, सही है। यदि उस धारा 2 को प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसा कि हम मान रहे हैं तो इसमें विभाग की मनमानी इसके बाद चालू हो जाएगी, यह मेरा मानना है। विभाग द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग करने की संभावना भी बनी हुई रहेगी और इसलिए वर्तमान में इस अधिनियम में धारा 31 की उप धारा 2 में प्रतिस्थापित किये जाने की मैं मानती हूं कि कोई आवश्यकता नहीं थी। हम इस विधेयक को क्यों लेकर आए हैं, इस बात पर हमें पुन: विचार करना चाहिए।

इसी विधेयक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 63 की उप धारा 3 में जो विधिक बाधक रूप में कार्य करना बताते हुए इस उप धारा को जो हटाने का विधेयक में उल्लेख किया गया है, वह निश्चित तौर पर गलत है, यह उचित नहीं है क्योंकि धारा 61 के अधीन किये गये परिसमापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं हो जाएगा जब तक कि अपील में ऐसे

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आदेश की पुष्टि नहीं हो जाती। परिणामस्वरूप हम लोग देखते हैं कि समापक जो अस्तविहीन हो जाता है वह उचित है, अत: अधिनियम की धारा 63 की उप धारा 3 को विधि सम्मत होने से इसको हटाया जाना सही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी ने देखा है, इस विधान सभा में कई बार मुद्दे भी उठे हैं, धारा 57 के जो गबन के प्रकरण हैं, वे काफी समय से लम्बित चल रहे हैं, उनका निस्तारण समय पर नहीं हो पाता और खुले में ऐसे गबनकर्ता घूम रहे हैं, यह हम सब देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगाने के लिए इस विधेयक को लाते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मैंने पिछली बार विधान सभा में भी यह प्रकरण उठाया, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। हमारे उप सचेतक महोदय बोल रहे थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सहकारी शुगर मिल है, आप देखिए, उस शुगर मिल का जो हमारा राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1965 है उसके तहत गठन किया गया था। 1965 से 1966 तक उस मिल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा उसको प्रारम्भ किया गया, वह लगातार चलती आ रही थी, कभी लाभ में चली, कभी हानि में चली। कई स्थितियां, परिस्थितियां बनीं और आप देखिए, सीधा-सीधा बात करें तो उसमें राजस्थान सरकार का जो हिस्सा उसमें बनता है उस राशि में वह 84 प्रतिशत बनता है और किसानों का हिस्सा उसमें 16 प्रतिशत का था, लेकिन किसी कारणवश 2000 से 2001 तक जो समय चला, वह हम सबको मालूम है, उसको बंद कर दिया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

समाप्त करें, माननीय सदस्य।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, उस शुगर मिल को बंद कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान की धरती पर हम अनेकों उद्योग लगाने की परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन एक उद्योग जो हमारा वर्षों से संचालित था, उसको बंद कर देना, हमारे युवा लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक वह चालू नहीं हो पाया और यह भी मुझे लगता है माननीय मंत्रीजी, धारीवालजी यहां पर विराजमान हैं, उनको पूरी तरह से उसका मालूम भी है कि किस तरह से 17 करोड़ रुपये की राशि आज भी सरकारी बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है तो यह भी आप करने का काम करें। निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगी कि छह माह के लिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

(समय: 17.00 बजे)

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यह जो संशोधन लाए हैं, वाकई में ठीक है, आपका संशोधन लाना जरूरी भी था। सरकार का मूल सिद्धान्त है सदस्यों का मानवीय रूप में जुड़ना, न कि पूंजीपतियों के रूप में। सोसाइटी संगठन का एक ऐसा रूप है, जहां व्यक्ति इसके सदस्यों के आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए समानता के आधार पर मानवीय रूप में संयुक्त होते हैं। ये आन्दोलन नैतिक आधार पर कारोबार या अन्य क्रियाकलाप करने की एक पद्धति है, परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, ठीक है आप संशोधन ला रहे हैं, लेकिन वह लाने से पहले आज जो सहकारी समितियां हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। कई सहकारी समितियां कंगाली पर जा रही हैं।

मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिये। संशोधन लाने से पहले आपको सहकारी समितियों के बारे में सोचना चाहिये कि सहकारी समिति की क्या व्यवस्था है, सहकारी समिति की स्थिति क्या है। ठीक है, आप संशोधन ला रहे हैं, मैं स्वागत करता

(श्री गोविन्द प्रसाद)

हूं, पर उससे पहले मैं कुछ बिन्दुओं पर आपको विचार-विमर्श के लिए कहता हूं:-

(1) सहकारी समिति व्यवस्थापकों का कामन काडर बनाया जाये।

(2) सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की भर्ती की जाये, क्योंकि एक व्यवस्थापक के पास तीन से छह समितियों का चार्ज है, जिससे समितियों का काम समय पर नहीं हो पाता है।

(3) सहकारी समितियों को फसल बीमा करने पर कमीशन दिया जाये।

(4) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के पद व्यवस्थापकों की पदोन्नति कर भरे जाएं।

(5) सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण वितरित किया जाता है, वह रबी और खरीफ में किया जाता है। रबी और खरीफ की साख सीमा को जोड़कर रबी और खरीफ में ऋण वितरित किया जाये।

(6) किसानों का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा जो किया जाता है, उसका प्रीमियम बहुत अधिक है। 60 वर्ष से अधिक के किसानों का बीमा प्रीमियम कम किया जाये। एक तरफ तो बिना ब्याज के ऋण वितरित किया जा रहा है और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा के नाम से किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा स्वैच्छिक किया जाये।

(7) राज्य की अधिकांश सहकारी समितियों में भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत हेतु सरकारी फंड की व्यवस्था की जाये।

(8) सहायक व्यवस्थापकों की पदोन्नति की जाये।

(9) सहकारी समितियों के द्वारा ऋण वितरित करने पर 2 प्रतिशत कमीशन दिया जाये। वह राजस्थान के हर जिले में अलग-अलग है। समिति द्वारा जितनी वसूली की जाती है, उतना समितियों के बचत खाते में डाला जाये।

(10) सहकारी समितियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार से अनुदान दिलाया जाये।

(11) राजस्थान में हर जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति अलग-अलग होती है, इसलिए ऋण उसी के आधार पर वितरित किया जाये।

ये जो मेरे सुझाव हैं, अगर इनको सही करके आप संशोधन लाते तो

(श्री गोविन्द प्रसाद)

वाकई में कामयाब होते, परन्तु मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, रजिस्ट्रार को जो शक्तियां दे रहे हैं आप, वे इन सहकारी समितियों पर आधारित होती हैं। रजिस्ट्रार को आप बड़ा बनाने जा रहे हैं, वाकई में सही है। अभी हमारे जैतारण से आने वाले विधायक महोदय ने बताया था, वाकई में सही है कि तीन-तीन लाख रुपये लिये हैं। यह सही है। तीन-तीन लाख रुपये लेकर व्यवस्थापकों को परमानेंट किया है।

राजसमन्द से आने वाली दीप्ति किरण जी ने भी सही बताया है कि चुनाव में एक रात में आपने नियम चैंज किये। बी जे पी का वोट कांग्रेस में बदल दिया, एक रात में। हमारे लोग जब पर्चा भरने गये तो दरवाजे पर उनके पर्चे फाड़ दिये गये। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, यह स्थिति हुई। आपसे निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें। फिर इसमें संशोधन करिये।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

शासकीय वक्तव्य

ओसियां के रामनगर ग्राम में परिवार का जघन्य हत्याकांड

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जिला जोधपुर ग्रामीण में मासूम सहित परिवार के चार सदस्यों को जिन्दा जलाया गया, जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

दिनांक 19.07.2023 को समय सुबह 05:32 बजे चौकी प्रभारी चेराई को सूचना मिली कि पूनाराम जाट निवासी रामनगर चेराई के घर पर एक झोंपड़े में आग लगने से पूनाराम व उसकी पत्नी एवं पुत्रवधू और एक छोटी पोती की मौत हो गयी। कुल-मिलाकर चार की। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पर पूनाराम उम्र 55 वर्ष, भंवरी उम्र 50 वर्ष, धापू उम्र 22 वर्ष और मनीष उम्र 6 माह की अधजली लाशें मौके पर पड़ी थीं। मौके पर चारपाई पर खून लगा हुआ था। मृतकों के मुंह पर व गले पर धारदार हथियारों की चोटों के निशान भी थे।

प्रथमदृष्टया मामला हत्या करने तथा हत्या के पश्चात् चारों को जलाने के अलामात स्पष्ट नजर आ रहे थे। मौके पर हरजीराम ने एक रिपोर्ट पेश की कि सुबह लगभग 6 बजे पड़ोसी गोरखराम ने उसे फोन करके बताया कि तुम्हारे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

घर में आग लग गयी। इन चारों की किसी ने धारदार हथियारों से हत्या कर शव को जलाने हेतु झोंपड़े में डाला। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 196/23 दिनांक 19.07.2023 धारा 458, 459, 302, 201/436 आईपीसी पुलिस थाना ओसियां में दर्ज कर मदन रायल वृत्त अधिकारी, वृत्त ओसियां द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है। मौके पर सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर; महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज; जिला कलेक्टर, जोधपुर; पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण; अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फलौदी; अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण एवं जिला जोधपुर ग्रामीण का जाब्ता मौके पर उपस्थित है।

इसमें तथ्य इस प्रकार के आये हैं कि घटना की गम्भीरता को देखते हुए अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (अपराध) भी घटना स्थल पर रवाना हो गये हैं। मौके पर एफ एस एल की टीम तथा अनुसन्धान अधिकारी, वृत्त अधिकारी द्वारा साइंटिफिक तरीके से गहनता से अनुसन्धान कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं। मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जाकर अभियुक्त पप्पूराम पुत्र भैरवाराम उम्र 19 साल निवासी रामनगर चेरई, जो मृतक के सगे भाई भैरवाराम का पुत्र है, को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब तक मुलजिम से अनुसन्धान व पूछताछ से जमीनी विवाद व आरोपी पप्पूराम के एक भाई जो पिछले वर्ष सूरत, गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की रंजिश की वजह से उक्त घटना कारित करना सामने आया है।

अभी तक का, साहब, यह है। रिपोर्ट मैंने प्रस्तुत की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया। निश्चित तौर पर यह प्रदेश में...

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष का निर्देश यह है कि मंत्री इस पर रिप्लाई देंगे। इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। आपने फैक्ट्स मांगे, मंत्री महोदय ने अपना जवाब दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह तो सदन की सम्पत्ति हो गयी है। यह पहला मामला होगा। हम तो कुछ सवाल ही नहीं कर पाएंगे? हम सवाल तो करेंगे न।

श्री सभापति: इस पर चर्चा का तो सुबह कोई निर्देश ही नहीं हुआ था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं। आपसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र में कौन जानता है?

श्री सभापति: इस पर किसी तरह की चर्चा का निर्देश नहीं हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय का यही निर्देश था कि माननीय मंत्री इस पर रिप्लाई देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सवाल तो खड़ा करेंगे।

श्री सभापति: बिल को रोककर के बीच में बुलाने का। प्लीज, क्या हो रहा है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय का इस पर स्पष्ट निर्देश था। आप विराजिये। जब आपके नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अगर इसी मंच पर मैं प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल नहीं कर पाऊंगा तो आप ही न्याय करेंगे। फिर कहां सवाल करूंगा, किस जगह मैं जाऊंगा? क्या मेरा यह भी अधिकार नहीं है? यह तो लोकतंत्र को छोटा करना हो गया, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष जी की व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी अपना रिप्लाई देंगे। माननीय मंत्री जी ने अपना रिप्लाई दे दिया। आपने पाइंट आफ इंफोर्मेशन के हिसाब से रिपोर्ट चाही थी, मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट दे दी इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): यह कभी नहीं हुआ इस विधान सभा में।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): नेता, प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मैं कहां जाऊंगा, यह कोई सदन तय करेगा या आसन तय करेगा? यह तो आपकी पार्टी तय करेगी आप कहां जाओगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब राठौड़ साहब ने इशारा कर दिया, चालू हो जाओ।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अगर सरकार हमारे सवाल का ही जवाब नहीं देना चाहती। यह घटना पहली घटना नहीं है। यह घटना पहली घटना है क्या? राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के अन्दर आम आदमी दहशतगर्दी की जिन्दगी जी रहा है। अब हमारे सवालों का जवाब दें आप।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह तो आपने खुद ने बोलने का अधिकार त्यागा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): राजस्थान अब सहना नहीं चाहता कांग्रेस की दरिंदगी को।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: सब सुरक्षित हैं, यह अध्यक्ष की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी, मंत्री ने रिप्लाई दे दिया। प्लीज, अपनी सीटों पर जाएं। प्लीज, बिल को पूरा करने दें। आप अपनी सीटों पर जाएं। आप लोग अपनी सीटों पर जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं सिर्फ यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह पहली घटना होती तो शायद कोई सवाल खड़ा नहीं होता। ये लोमहर्षक घटना, ये घटनाएं रोज आकार ले रही हैं राजस्थान में। मंत्री महोदय, आपने कहा कि यह घटना है चिराई गांव की, ओसियां के रामनगर की और पहले कहा गया कि चार लोगों की झोपड़ी में आग लग गयी।

मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके पास यह सूचना गई। इन चारों लोगों का कत्ल हुआ है, बिलकुल मर्डर हुआ सुबह चास्साढ़े चार बजे। आपकी पुलिस कितने घंटे के बाद पहुंची? आज की तारीख में एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार करके आप समझते हो सारे मुलजिम गिरफ्तार हो गये? इसलिए, सभापति महोदय, ये राजस्थान अपराध और अपराधियों की ऐशगाह बने। मंत्री महोदय, आपके इस पूरे उत्तर से असंतुष्ट होकर, मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। श्री हमीर सिंह भायल। श्री जोराराम कुमावत।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जवाब भी सुन जाओ। जवाब भी सुन जाओ। भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? जवाब सुन जाओ।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह। श्री वासुदेव देवनानी। श्री बाबुलाल झाडोल। श्री रामप्रताप कासनियां। धर्मेन्द्र कुमार। अभी वे आकर करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, सहकारिता विभाग में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिए विचारार्थ लाया गया था, जिसमें 9 आदमियों ने अपनी-अपनी बात अपने हिसाब से कही। विभाग में कार्य करते समय विभाग में जो-जो शिकायतें आती हैं, जो मुद्दे उठते हैं, जिनसे जनता परेशान...

श्री सभापति: प्लीज, आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। आसन सक्षम है डायरेक्शन देने के लिए। मंत्री महोदय, आप एक बार विराजिए। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज सदन राजस्थान सहकारी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है। मंत्री महोदय, आपके उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने जो बात लिखी है, सरकार ने कहा है कि सहकार का मूल सिद्धान्त सहकारी समितियों का जुड़ाव मानवीय रूप से होता है, न कि पूंजीपतियों के रूप में। सहकारी सोसाइटी का गठन उनके सदस्यों के आर्थिक हित के लिए समानता के आधार पर होता है। सरकार सहकार के आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, सहकारी सोसाइटी के नियंत्रण के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 लेकर आई है।

आपने बिलकुल ठीक कहा और मुझसे पहले जितने भी लोगों ने इस राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा करते हुए अपनी बात कही, आपके विभाग की बात कही, सहकार के आंदोलन में सहकार का जिस प्रकार का भ्रष्टाचार घुसा है, उसकी बात कही, चुनाव में अनियमितता की बात कही।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को प्रारम्भ करूं, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सहकार के क्षेत्र में,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को-आपरेटिव मूवमेंट में राजस्थान जिन ऊंचाइयों पर जाना चाहिए था, राजस्थान उन ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाया। यह अकेले आपकी बात नहीं है। सत्ता में हम भी रहे, आप भी रहे पर हमें स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज जब गुजरात की बात चलती है, गुजरात की जी डी पी के अन्दर सहकार और सहकारिता का 7.8 प्रतिशत योगदान आता है। गुजरात का अमूल गुजरात से निकलकर दुनिया के कोने-कोने में पहुंच जाता है। हमें आत्मविलोचन करना पड़ेगा कि हमारा सहकार का क्षेत्र इस हालात में क्यों है।

मैं सेक्शन के आधार पर बात करूं, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आप सहकारी आंदोलन और सहकारिता को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, 2001 के उस एक्ट की बात कह रहे हैं, जिसमें सहकार के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ एक नया कानून आया था, क्या आपका कानून यह कहता है कि इस कानून के अन्तर्गत चुनाव कराने वाले अधिकारी की अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी? अब एक-एक साल तक चुनाव करवायेंगे। मंत्री जी, जी एस एस से लेकर, को-आपरेटिव से लेकर, सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक तक, ये सफर कितना होगा और क्यों हो रहा है? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम इस पर विचार करें। आप मूल रूप से इस राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 31 की उपधारा 1 में, जो विद्यमान परन्तुक है, उसके पश्चात् एक नये परन्तुक को जोड़ने के लिए संशोधन लेकर आये हैं। आप एक दूसरा संशोधन इसी राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 31 की उपधारा 2 को नये सिरे से रिप्लेस कर रहे हैं, नये सिरे से लिख रहे हैं। इसी धारा 31 की उपधारा 3 को भी आप नये सिरे से रिप्लेस करने का प्रस्ताव लेकर आये हैं।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की मूल धारा 63 में उप धारा 3 को हटाने का प्रस्ताव संशोधन के माध्यम से लेकर आये हैं और धारा 122ए में खण्ड 'ई' के बाद जो खण्ड 'एफ' था, उसमें पुराना खण्ड, क्योंकि इसको नोमेनक्लेचर बदल जाये, 'जी' आप या उसे लेकर आये, अब जो आप संशोधन लेकर आये हैं मंत्री महोदय, आप पहला संशोधन लेकर आये हैं इस राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 31 में। उस संशोधन के पीछे आपका हेतुक क्या है? जो सहकारी संस्थाओं में आडिट होती है, सहकारी संस्थाओं में जांच का अधिकारी है, सहकारी संस्थाओं में निरीक्षण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का अधिकार है, आप इस अधिकार को इस परन्तुक के माध्यम से को-आपरेटिव के रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अथोराइज्ड व्यक्ति को देना चाहते हैं।

मैं सदन के माध्यम से, मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, I may be wrong; I wanted to be wrong. मुझे आप करेक्ट भी करना। यह जो सहकारी अधिनियम, 2001 है, इसकी धारा 55, आप चाहे तो लिख लेना, उसमें रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटी को किसी भी सोसाइटी के लेखों की आडिट करने का अधिकार नियत है। धारा 55, उसमें रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटी या उसके अथोराइज्ड व्यक्ति को किसी भी सोसाइटी की जांच करने का अधिकार है और धारा 55ए, उसमें आपको निरीक्षण का अधिकार है। यह अधिकार पहले से है, आपके इस मूल एक्ट में है तो आप यह नया परन्तुक जोड़ कर क्या कहना चाहते हो, यह मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री जी, आप उत्तर दें तो मेरे ज्ञान का वर्द्धन कर देना, ताकि मैं वापस जाकर पढ़ूं तो सही कि मैं कुछ गलत पढ़ कर तो नहीं आ गया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब यह दूसरा संशोधन जो आप लेकर आये हैं धारा 31 की उप धारा 2 में, उसमें मूल रूप से क्या था? मूल रूप से प्रावधान पहले से था, कोई भी सहकारी सोसाइटी में कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य वह सोसाइटी से त्याग पत्र देता है, छोड़ कर जाता है, निकाल दिया जाता है तो उसके पास जितना भी रिकार्ड है सोसाइटी का, चाहे वह रिकार्ड सोसाइटी के अकाउंट्स से सम्बन्धित है, सोसाइटी की दूसरी कार्यवाही से सम्बन्धित है, वह सारा रिकार्ड वह नये नियुक्त सी ई ओ को या सोसाइटी के जो सचिव हैं उनको या अध्यक्ष को और अगर सोसाइटी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर को देगा। अब अगर वह नहीं देता है तो आपको लगे, रजिस्ट्रार महोदय को लगे कि अब यह रिकार्ड खुर्द-बुर्द हो सकता है, अब यह सम्पत्ति जो सोसाइटी की है इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो मूल रूप से जो अधिनियम की धारा 31 (2) में है, उसमें है कि रजिस्ट्रार एक आवेदन करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने करेगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस आवेदन के आधार पर एक आदेश जारी करेगा, न्यायिक आदेश जारी करेगा और सोसाइटी के दस्तावेज, रिकार्ड, अकाउंट्स, सम्पत्ति उसको कब्जे में लेने के लिए रजिस्ट्रार या उसकी एप्रोप्रियेट आथोरिटी जो भी होगी उसको उस आदेश के अनुसार अधिकार मिलेगा। अब आप यह रिप्लेस करके और जो कोर्ट को अधिकार है वह अधिकार आप देना किसको चाहते हैं? मैं पढ़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर सुनाना चाहता हूं, जो आप रिप्लेस कर रहे हैं, 'किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य उस सोसाइटी को छोड़कर जा रहा है, वह नये मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव को, अध्यक्ष को या लिक्विडेटर को सोसाइटी के पुस्तक, दस्तावेज, प्रतिभूतियां, लेखे, अभिलेखे व अन्य सम्पत्तियों का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है और रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी संतुष्ट हो जाता है कि सोसाइटी के पुस्तक, अभिलेख, रिकार्ड्स को दबा दिया जायेगा, बिगाड़ दिया जायेगा, सोसाइटी के फंड और सम्पत्तियों का दुरुपयोग करेगा, उस स्थिति में रजिस्ट्रार स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख, पुस्तकों, तलाशी, सम्पत्ति आदि को अधिग्रहित करेगा।' मतलब, अब आप चाहोगे उसी सोसाइटी में, अब आपको कोर्ट में तो जाना नहीं है, न्यायिक रूप से जो अधिकार था न्यायालय को, आप न्यायालय के अधिकार को इम्पार्शल मानते नहीं। विक्रमादित्य के अवतार के रूप में रजिस्ट्रार साहब विराजे हैं आपके। रजिस्ट्रार साहब आज मजिस्ट्रेट से भी ऊपर हो गये। रजिस्ट्रार साहब को आप पावर देंगे और, सभापति महोदय, यह जो मैं कह रहा हूं, यह जो पूरा एक्ट आया है, यह सदन को मैं बताना चाहता हूं कि छोटी-मोटी बात नहीं है।

आज राजस्थान में इस राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत 35 हजार सहकारी संस्थाएं हैं सरकारी और गैर सरकारी, इसमें गृह निर्माण सहकारी समितियां भी हैं, जो आज तक आप और हम सरकार में आते हैं और जाते रहे, आज भी बैकडेट में पट्टा देने के लिए जो प्रसिद्धि पाये हुए हैं। इसमें वो मल्टीक्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी भी हैं जिन्होंने निवेशकों को लोक लुभावनी बात करके और उनको बड़े-बड़े दावे करके उनकी राशि को ब्याज के आधार पर दुगुना-तिगुना ब्याज का प्रलोभन देकर कि उनकी एक निश्चित समयावधि के बाद में राशि दुगुनी हो जायेगी। मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मैं सोचता हूं कि मैंने पांच लाख रुपये लगा दिये, मेरे को चार साल बाद दस लाख रुपये मिलेंगे, यह इस तरह की लोक-लुभावनी बातें करके, सभापति महोदय, जिन्होंने करोड़ों रुपये हड़प लिये, उस सोसाइटी को अब आप जुडिशियल पावर की बजाय, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संजीवनी भी है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): उसमें विलम्ब काफी हो रहा

(श्री अंजना उदयलाल)

था इसलिये संशोधन लाना पड़ा, माननीय सदस्य, यह आप भी समझते हैं और सदन भी समझता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत सही बात कही। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं पहली बार देख रहा हूं, मंत्री महोदय, इसी तरफ चले आओ मेरे मित्र, बहुत आगे जाओगे। आप इसको पढ़ कर आये हो अब। यह निश्चित तौर पर इन्होंने इसमें उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बात कही है। अगर जुडिशियल प्रोसेस में विलम्ब होता है तो आप एक क्लॉज डाल सकते थे कि जुडिशियल प्रोसेस को इतने दिन में पूरा करें। न्यायिक अधिकार को लेने का, आप न्यायालय के अधिकार को लेकर और आप जो बातें कर रहे हो न कौनसी सोसाइटी, कौनसी सोसाइटी नहीं, किसने हाथ बांधे हैं आपके? मैं आगे-आगे बताऊंगा। यह बैनिंग वाला एक्ट कब आ गया, आपने क्या तीर चलाये? इसलिये यह कुछ बातें ऐसी हैं कि बैठ-बैठ कर बोल कर और आप सोचोगे कि हम हतोत्साहित होकर बैठ जायेंगे। हम तूफान से भी आंख मिलाने की हिम्मत रखते हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो बात कही, यह एक तरह से न्यायालय के अधिकारों का अतिक्रमण है, इस पर सरकार को देखना चाहिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी हिम्मत का क्या मुकाबला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप मुझसे प्रभावित हैं न?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बहुत ज्यादा।

श्री सभापति: पूरा सदन ही प्रभावित है आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अब, सभापति महोदय, ये जब मुझसे प्रभावित होते हैं तो फिर चलो बात खतम।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था धारा 31(2) के अन्दर जो यह प्रस्ताव लेकर आये हैं, इसके बारे में जो इन्होंने तर्क दिया है न्यायिक प्रक्रिया में देरी लगती है, इसमें एक क्लॉज डाला जा सकता है कि प्रक्रिया इतने दिन में पूरी हो और मैं समझता हूं कि यह इस सारे काम को आपको बड़ी तसल्ली से देखना चाहिये और आज मैंने जो कहा न कि यह छोटा-मोटा एक्ट नहीं है, संशोधन नहीं है, यह माननीय सदस्यों को समझ लेना चाहिये। आज जिस प्रकार की मल्टी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटीज आयी हैं और मैं अभी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहकारिता विभाग में प्रमुख सचिव महोदय का बयान पढ़ रहा था। विजिलेंस कमेटी की एक बैठक ले रही थी महोदया और इन्होंने कहा कि सहकार पोर्टल पर मल्टी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी, मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसलिये जरूरी है इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन, उस पर एक लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं एक लाख और एक लाख करोड़ से ज्यादा की गाढ़ी कमाई गंवा चुके बीस हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी कम्प्लेंट दर्ज करायी है और, सभापति महोदय, यह जो बैनिंग आफ अनरेगुलेटिव डिपोजिट स्कीम्स एक्ट आया 2019 में, सभापति महोदय, पूरे देश में इस प्रकार का मामला चला। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जी ने इस हिन्दुस्तान में जिसको हिन्दुस्तान का चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस को बेड़ियों से मुक्त कर दिया उनको इसका मंत्री इसीलिये बनाया सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब को और इसीलिये यह एक्ट लेकर आये बैनिंग आफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट, 2019.

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, ये इर्रेलेवेंट बातें क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या लेना-देना नरेन्द्र मोदी का? बेड़ियों से क्या मतलब है? सहकारिता पर बात करो न आप।

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, अभी इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी नहीं सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा। ये उसका उपाय ढूंढ रहे हैं। मोदी जी सुन लेंगे तो ये कहां जायेंगे, वो तय कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैंने कहा था न जब बचपन में ऐसे दोस्त पाले हों न तो इस उम्र के पड़ाव पर दुश्मन की कतई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी पुरानी मुहब्बत बोल रही है।

श्री सभापति: मैं तो यह कह रहा था कि आपने अभी यह पूछा था न कि मेरे से कौन प्रभावित है, आपके मित्रों के अलावा सभी प्रभावित हैं आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): तो, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि पुरानी बात को भी छोड़ दें, मैं एक्ट की धारा 31(3) की बात करूं उससे पहले, मंत्री महोदय, यह जो नैक्सा एवरग्रीन है, बड़ी बातें अपन करते हैं, लक्ष्मणगढ़ की है आपके सामने बैठने वाले महानुभाव की। इसके अन्दर सारे एक्स आर्मी पर्सन मेरे इलाके के लोग, सीकर के लोग, झुंझुनूं के लोग और जयपुर के लोग आ गये। इनको गुजरात में धोलेरा सिटी की सम्पत्ति दिखा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर, सभापति महोदय, आपसे भी मिले थे। कुछ तो न्याय करो और यह जो दूसरा संशोधन आप लेकर आये हैं, यह जो धारा 31 (3) में जो पहले प्रावधान था वह मैं पढ़ कर सुना रहा हूं, 'किसी सोसाइटी के द्वारा हेराफेरी किये जाने पर रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी या उसका प्राधिकृत अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने पर न्यायालय की संतुष्टि के उपरान्त वह पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, न्यायालय उसको आदेश देगा तो वारंट जारी करके सोसाइटी के रिकार्ड, सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए अथोराइज कर देगा। न्यायालय के आदेश पर कब्जे में ली गई सम्पत्ति, वह अभिलेख, सम्पत्ति रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा।' यानी इस 2003 के अन्दर पहले यह प्रावधान था और अब आप प्रस्ताव लेकर आये हैं कि अब को-आपरेटिव सोसाइटी की पुस्तकों के सम्बन्ध में कब्जा लेने के लिए सीआर पी सी 1973 के प्रावधान लागू होंगे।

सभापति महोदय, मैंने वे प्रावधान पढ़े हैं और प्रावधान सीआर पी सी में जो सेक्शन 91 और सेक्शन 105 तक तलाशी, जब्ती की प्रक्रिया सम्बन्धी वारंट जारी करने का है। इसमें भी न्यायालय में जाना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि आप एक तरफ कह रहे हो पुराना है, सीआर पी सी के जिस प्रोविजन को आपने इस अमेंडमेंट में लिखा है, सीआर पी सी 1973 के प्रोविजन के अनुसार आगे की कार्यवाही होगी। उसमें आप सीआर पी सी में जाओगे कहां? सीआर पी सी में आप सेक्शन 91 से 105 में जायेंगे, उसको जरा पढ़ लो। मतलब आप किस उद्देश्य से क्या करने जा रहे हो, मेरी समझ के परे की बात है।

सभापति महोदय, यह धारा 63 के सेक्शन 3 को डिलीट कर रहे हैं। सभापति महोदय, धारा 63 का सेक्शन 3 क्या है? सोसाइटी अधिनियम के सेक्शन 61 में सहकारी सोसाइटी के समापन का प्रावधान है, एक पूरी प्रक्रिया है। समापन के आदेश की अपील का प्रावधान है 104 में। 104 में यह प्रोविजन है कि जब तक अपील लम्बित रहेगी, जब तक फैसला नहीं होगा, तब तक अपील लम्बित रहेगी। अब यह सेक्शन 63 (3) को डिलीट कर देंगे तो फिर आप 104 को साथ में डिलीट करते। सेक्शन 63 (3) के निकलते ही वह सोसाइटी, जिसका समापन आप करना चाहते हो, आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हो, जिसको असीमित अधिकार देना चाहते हो, अपील का अधिकार तो स्वत: ही खतम हो जायेगा। मैं समझता हूं कि कुछ बुनियादी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बातें हैं, जिनको आप देखते तो ठीक था। धारा 104 में अपील के लम्बित रहते हुए 63 में कोई समापक जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, सभापति महोदय, उसमें होगा क्या? दोनों को डिलीट करने का प्रस्ताव लाते। यह तो सारे के सारे जो न्यायिक अधिकार हैं, उनको किसी न किसी तरह छोटा करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिये।

मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको वास्तव में इन सोसाइटी के बारे में कुछ भला करना है, सभापति महोदय, जो अपने कंपनी एक्ट हैं, इसमें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज को कह दिया कि 31 जुलाई तक आडिट नहीं हुई तो कम्पनी उस लिस्ट से स्वतः ही डिलीट हो जाती है। इसी तरह सोसाइटी एक्ट में जो 122 (ए) है, जिसमें आपको दस्तावेज और रिपोर्ट जमा कराने की अनिवार्यता है, इसमें सेल्फ शब्द जोड़ दो, अपने आप सारी बात की सुविधा हो जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो लेकर आये हैं, सहकारिता आंदोलन को कमजोर करने का चस्पा तो आप पर लोगों ने लगा ही दिया, मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, सारे प्रोविजन पहले से विद्यमान थे। शायद आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, इन्होंने सोचा कि देखें को-आपरेटिव मिनिस्टर को। मैं तो आपके सहकार से खुद परिचित हूं, आप जैसा सहकार व्यक्ति कौन हो सकता है, सब लोगों को साथ लेकर आप चले हो।

सभापति महोदय, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के कानून से कोई सहकारी आंदोलन में फर्क पड़ने वाला होगा। यह एक तरह से नखहीन, दन्तहीन कानून लेकर आ रहे हैं और अगर कानून लेकर आते तो यह बैनिंग एक्ट आया था, बैनिंग आफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019, इसमें डेजिग्नेटेड कोर्ट तो आप बना देते। आप लंबी-लंबी बात कर रहे थे, आपने बड़ी मुश्किल से तो इसके रूल्स बनाये। डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात कल भी मैं मंत्री महोदय को कह रहा था। क्यों नहीं बनाया, क्या हेतु है आपका, आप क्या करना चाहते हो? राजस्थान में क्या लगातार मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह राजस्थान के निवेशकों को लूटती रहे? आपने एक की भी सम्पत्ति सेक्शन 14 में जब्त की हो तो मुझे बतायें। आपको अधिकार दिया है, केन्द्र का कानून है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): भारत सरकार को है मल्टी स्टेट बनने के बाद, उन्होंने क्या किया अभी तक? आप उस मामले में नहीं बोलते हैं। उन्होंने क्या किया अभी तक?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं इसीलिए मंत्री महोदय को कह रहा हूं कि यह आपके पीछे बैठे हुए लोग आपकी परफोर्मेंस से जलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तरकीब से इन दोनों महानुभावों को मैं इधर देखा करता था मटक-मटक कर, अब इनको चटका कर उधर बैठा दिया तो ये आपसे जलते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि यह जो बैनिंग आफ इर्रेगुलेट डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 है, इसको आपने अंगीकार कर लिया है।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): यह बेसिकली टीस निकाल रहे हैं। यह को-आपरेटिव की बात नहीं है, यह शेखावत वर्सेज राठौड़ है। अब करें क्या उसका? बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैंने कहा ना, रघु जी, यह कहीं पर निगाहें, कही पर निशाना, पुरानी आदत छोड़ दो मित्र। मित्र, जरा अपने पुराने मित्रों पर रहम करो।

सभापति महोदय, यह बैनिंग एक्ट के रूल्स यहां राजस्थान ने स्वीकार किये हैं, उसके तहत मैं मांग करता हूं कि डेजिग्नेटेड कोर्ट बनायें और जिन लोगों ने राजस्थान को लूटा, उनकी सम्पत्ति जब्त करें और यह जो खोटा संशोधन कानून लेकर आये हैं, इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 के संदर्भ में अभी चर्चा हो रही थी और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बहुत ही जोरदार तरीके से इसका विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन अंत में ऐसा लगा कि ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, इसलिए बैनिंग एक्ट पर जाकर रुक गये। मैं चाहता था कि इसी पर अगर आप बोलते रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इससे हटकर आपने बोलने का प्रयास किया। वह मामले अलग हैं, जिसका जवाब तो रघु शर्मा जी ने आपको अभी दे ही दिया है।

जिस नीयत से यह संशोधन लाया गया है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा बिलकुल साफ है और इसलिए उन्होंने बजट में ही घोषणा कर दी थी कि शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अनधिकृत पट्टे

(श्री अंजना उदयलाल)

दिये जाने की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे जहां एक ओर शहर में सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आमजन के धोखाधड़ी के शिकार होने की भी आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2001 में संशोधन करते हुए प्रभावशाली कार्य किये जाने प्रस्तावित थे। उसके तहत लाया गया है, तो उसी समय से जानकारी थी कि इसमें संशोधन होगा। आपके पास इतने सुझाव थे, उस समय ही आप लिखकर भेज देते कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, उसमें हमारे यह भी जोड़ दिये जायें, तो उस समय भी जोड़ देते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किये गये हैं। समय बहुत ज्यादा लग रहा था और जिन मुद्दों को आपने उठाया है उन मुद्दों से लड़ने के लिये ही इस एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी जनता को इससे राहत मिल सके और उसका लाभ जनता को मिले और उसके साथ ठगी नहीं हो। कोर्ट में बहुत ज्यादा विलम्ब होने के कारण इस प्रकार का संशोधन लाया गया, ताकि जल्दी न्याय मिल सके और कानून अपना काम कर सके। सोसाइटी में धोखाधड़ी की रोज बातें आती हैं। सहकार को मजबूत करने की अपन बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केवल विरोध करने के नाम पर अपन विरोध करें, यह उचित बात नहीं है।

राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा सोसाइटी के रिकार्ड प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान वर्णित हैं। 63 में भी सहकारी सोसाइटी के समापक नियुक्त किये जाने एवं समापक द्वारा सोसाइटियों के रिकार्ड आदि प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अवसायाधीन सोसाइटियों के परिसमापन कार्य को निर्बाध रूप से सम्पन्न करते हुए राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 4 में सक्षम अपीलीय अधिकारी द्वारा अवसायन आदेश को स्थगित किये जाने तक अवसायन कार्य जारी रखने हेतु राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 63(3) को विलोपित किया जाना उचित समझा गया था। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 122 (क) में सहकारी सोसाइटियों द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का सदस्यता रजिस्टर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में भी प्रावधान वर्णित है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जन मानस के साथ डबल पट्टे जारी करना, पैसे लेकर आबंटन नहीं करना तथा की जा रही धोखाधड़ी के

(श्री अंजना उदयलाल)

कारनामों की रोकथाम और माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट की घोषणा की पालना में राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 31, 63 (3) तथा 122 (क) में संशोधन किये जा रहे हैं। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 31 में वर्तमान में प्रावधान इस प्रकार हैं। किसी सहकारी समिति के संचालन मंडल को धारा 30 के तहत राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा हटाया जाता है अथवा 61 के तहत सहकारी सोसाइटियों की अवसायन में लाया जाता है तो उस समिति के समस्त रिकार्ड, प्रोपर्टी समिति के प्रशासक अवसायक को सुपुर्द की जायेगी। प्राय: सहकारी समितियों द्वारा रिकार्ड, प्रोपर्टी सुपुर्द नहीं किये जाने पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होता था।

धारा 31 में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। धारा 30 व 61 के अतिरिक्त 54 के तहत आडिट के लिए, धारा 55 की जांच के लिए तथा धारा 55(ए) के निरीक्षण के लिए भी सहकारी सोसाइटियों के रिकार्ड की सुपुर्दगी अनिवार्य की गयी है। रिकार्ड सुपुर्द नहीं करने की स्थिति में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर सम्बन्धित रजिस्ट्रार को रिकार्ड को सर्च एवं सीज करने की शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए धारा 63(3) को विलोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, ताकि धारा 61 के तहत अवसायन की कार्यवाही में रिकार्ड एवं सम्पत्तियों की सुपुर्दगी निर्बाध रूप से संभव हो सके। धारा 122-(ए)/(एफ) में अनिवार्य किया गया है कि समिति सदस्यों का रजिस्टर चाहे जाने पर अनिवार्यत: रजिस्ट्रार को सुपुर्द किया जायेगा। इन संशोधनों से सोसाइटी के रिकार्ड प्राप्त करने, सोसाइटियों के रिकार्ड को सर्च एवं सीज की कार्यवाही करने के लिए रजिस्ट्रार को सशक्त किया जायेगा। सदस्यता रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने एवं अवसायन कार्यवाही को सुगम बनाये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार को प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा तथा जनमानस को राहत मिलेगी।

साथ ही, आपस में चर्चा हुई। बहुत से मुद्दे ऐसे भी आये हैं जो इस एक्ट से हटकर थे। उनके मामले में माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो-जो वे बोल रहे थे, उनके सबके जवाब थे। अगर वे मिलकर बात करना चाहें तो उनका निराकरण कर दिया जायेगा। तीन लाख के आरोप भी लगे कि तीन लाख का भुगतान लिया गया है। अगर इस प्रकार की बात थी तो केवल

(श्री अंजना उदयलाल)

सदन में आकर बताना और व्यक्तिगत तौर पर न तो कोई पत्र लिखना और न कभी सम्पर्क करना, ये क्या बताना चाहते हैं? केवल सस्ती वाहवाही के लिए इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई और आप समय पर बताते तो उसका निराकरण भी किया जा सकता था, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती थी, लेकिन केवल विधान सभा सत्र में मुद्दे तो एक्ट को बदलने के हैं और वे मुद्दे उठा रहे हैं कि सोसाइटियों में गबन हो गया, ये हो गया। उनका कोई औचित्य नहीं था। नि:संदेह माननीय मुख्य मंत्री जी का सहकारिता को मजबूत करने का मानस है। इस कारण से यह बिल लाया गया है और इससे सहकारिता को मजबूती मिलेगी और सहकारिता और मजबूती के साथ अन्य प्रदेशों के मुकाबले काम कर सकेगी। पक्ष और विपक्ष तो हम हो सकते हैं, लेकिन भादरा से आने वाले हमारे सदस्य श्री बलवान जी पूनियां ने नि:संदेह जजमेंट कर दिया है कि सहकारिता में राजस्थान बढ़िया काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। जनता इसका फैसला करेगी कि राजस्थान की इस सरकार ने बढ़िया काम किया या पूर्ववर्ती सरकार ने अच्छा काम किया था? धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री अंजना उदयलाल।

विधेयक का पारण

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि यह अमेंडमेंट एक्ट आज से तीन साल पहले आना चाहिए। अमेंडमेंड बहुत लेट आया है। मैं समझता हूं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके के को-आपरेटिव सोसाइटियों के जो हालात हैं, इस डिपार्टमेंट की स्थिति में इस एक्ट का संशोधन करना बहुत आवश्यक था। सेक्शन 31 में क्लॉज 1, 2 और 3 आपने जो अमेंडमेंट किये हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? राजस्थान में जिस तरह से चार-पांच सोसाइटीज ने जो बड़े-बड़े घोटाले किये हैं, जिन पर अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको संजीवनी सोसाइटी का उदाहरण दे रहा हूं। आज तक 1 लाख 12 हजार एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। लोगों के 2,245 करोड़ रुपये ठगे गये, लेकिन आज तक मामले में कुछ नहीं हो पाया। आपने अमेंडमेंट इसलिए किया है कि मैटर सब-जुडिस कोर्ट में जाता है और छह-आठ महीने तक कार्यवाही नहीं होती, इसलिए रजिस्ट्रार को पावर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जिस तरीके से मैटर सब जुडिस होने के बाद में हम प्रभावी तरीके से कार्यवाही नहीं कर पाते, मैं इस एक्ट का समर्थन करता हूं और अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

विपक्ष के नेता चले गये, जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। सेक्शन 54, 55, 55(ए) के क्लॉज में जो बात कर रहे हैं, वह आलरेडी एग्जिस्ट हैं,

(श्री जगदीश चन्द्र)

उसमें किसी प्रकार का कोई चैंज नहीं किया है। उसका प्रिंसिपल एक्ट के हिसाब से वह अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन करना और सदन को गुमराह करना, यह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भारत के गृह मंत्री, जो कि को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, आप यह जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, उन्होंने अपने भाषण में सजेस्ट किया कि इस तरह के अमेंडमेंट की आवश्यकता है, मैं आपका और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आपने उनकी भावना का भी ख्याल रखा और राजस्थान की को-आपरेटिव मूवमेंट को भी आपने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथी विरोध कर रहे हैं। विरोध किस बात का कर रहे हैं? तकलीफ इस बात की हो रही है कि अमेंडमेंट क्यों कर दिये गये। जिस तरह से आपके लोग सोसाइटीज के घोटालों में उलझे हुए हैं, आपको चिन्ता इस बात की हो रही है वे घोटाले कम से कम सामने नहीं आ पायें। इसलिए आपने एक्ट के जो संशोधन किये हैं, मैं समझता हूं कि अच्छे किये हैं क्योंकि जो को-आपरेटिव मूवमेंट है, यह कांग्रेस पार्टी का और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शुरुआत किया हुआ मूवमेंट है। यह गुजरात में मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान के अन्दर, सब जगह पर मूवमेंट चल रहा है और जिस तरीके का काम सोसाइटी कर रही है, गांव के लोगों को फायदा हो रहा है। अलग-अलग सोसाइटी, सरकारी सोसाइटी है, किसानों की सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी हैं, जिनके माध्यम से आप जनता का फायदा करना चाह रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर फायदा होगा।

मंत्री जी, मेरा आपको एक सुझाव है। सुझाव यह है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, आपने उसमें अमेंडमेंट तो कर दिया है लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है, नये लोग सदस्य नहीं बन सकते, उसमें आप जरूर कोई न कोई सुधार करें, ताकि आम आदमी उसमें वोटर बन सके। यह जो अध्यक्षों की दादागीरी है, वह दादागीरी इसमें खतम हो। इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं और इस एक्ट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

(श्री सभापति)

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2023-24)

(प्रथम संकलन) का पारण

मांग संख्या 02 - राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 02 - राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,18,77,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,00,00,000/- (आठ करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,86,54,000/- (तिरेसठ करोड़ छियासी लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 08 - सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 08 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,01,000/- (तीन करोड़ एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 09 - निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 09 - निर्वाचन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,84,68,000/- (ग्यारह करोड़ चौरासी लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,000/- (तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 15 - पेंशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 - पेंशन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16 - राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 - राजस्व विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,11,07,000/- (पैंतीस करोड़ ग्यारह लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,42,78,000/- (पच्चीस करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18 - गृह

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 - गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 92,05,24,000/- (बानवे करोड़ पांच लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 19 - कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - कारागार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,00,000/- (पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20 - प्रारंभिक शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 97,50,00,000/- (सतानवे करोड़ पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,03,000/- (तीन करोड़ तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,40,90,02,000/- (दो अरब चालीस करोड़ नब्बे लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,35,00,000/- (आठ करोड़ पैंतीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,09,00,000/- (अठारह करोड़ नौ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,36,00,000/- (छिहत्तर करोड़ छत्तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,01,00,00,000/- (चार अरब एक करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,00,00,000/- (सोलह करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,91,74,50,000/-(दस अरब इक्यानवे करोड़ चौहत्तर लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,09,00,10,000/- (ग्यारह अरब नौ करोड़ दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,37,00,000/- (तीस करोड़ सैंतीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: कार्यसूची पूर्ण होने तक समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2023-24)

(प्रथम संकलन) का पारण

मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,31,10,000/- (तेईस करोड़ इकतीस लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 - अल्पसंख्यक मामलात विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,89,78,000/-(छिहत्तर करोड़ नवासी लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37 - देवस्थान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - देवस्थान विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,60,10,00,000/-(एक अरब साठ करोड़ दस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,14,47,50,000/- (तीन अरब चौदह करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,48,83,000/- (इकसठ करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,50,00,000/- (तीन अरब तैंतालीस करोड़ पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,92,77,17,000/- (दो अरब बानवे करोड़ सतहत्तर लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 - सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,45,39,00,000/-(सोलह अरब पैंतालीस करोड़ उनतालीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

यह रुपयों का मामला है, नीचे नहीं रख सकते। वह भी खरबों का मामला है।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,02,28,14,000/- (तेरह अरब दो करोड़ अट्ठाईस लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,16,16,01,000/- (चार अरब सोलह करोड़ सोलह लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 56 - उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 56 - उद्योग विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,70,01,000/- (उनचास करोड़ सत्तर लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 59 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 59 - पर्यटन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,70,000/- (इकतालीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 60 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 62 - परिवहन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 62 - परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,28,00,00,000/- (एक अरब अट्ठाईस करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,91,50,000/- (नब्बे करोड़ इक्यानवे लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,18,12,000/- (छह करोड़ अठारह लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(संख्या-3) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गए।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.07 बजे गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डग में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लाभार्थी

437. श्री कालूराम (डग): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के कितने परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जोड़ा गया व कितने परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिला? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजनान्तर्गत विधान सभावार सूचना संकलित नहीं की जाती।

योजनान्तर्गत परिवारों के जन आधार कार्ड का स्वयं के एस.एस.ओ. आई.डी. से या ई-मित्र के माध्यम से नि:शुल्क पंजीकरण करवाया जा रहा है। झालावाड़ जिले में दिनांक 11.07.2023 तक 3,42,746 परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

दिनांक 11.07.2023 को पोर्टल पर उपलब्ध सूचनानुसार योजना के प्रारम्भ दिनांक 01 मई, 2021 से दिनांक 11.07.2023 तक झालावाड़ जिले के डग ब्लाक के 10,826 मरीजों को योजनान्तर्गत सम्बद्ध विभिन्न चिकित्सालयों में उपचारित किया गया है।

(2) योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड हेतु प्रथम चरण में सभी जिलों में ई.के.वाई.सी. का कार्य किया जा रहा है। राज्य में आयुष्मान कार्ड का प्रिन्ट एवं वितरण का कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एम्पैनल्ड एजेन्सी द्वारा किया जाना है, जिनको कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा उक्त कार्य तत्काल रूप से शुरू करने के निर्देश भी दिये जा चुके हैं।

किशनगंज के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

438. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में संचालित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 23 पद रिक्त हैं।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी जी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से यू टी बी पर चिकित्सक लगाने के आदेश दिनांक 13.07.2023 को जारी कर दिये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

निदेशालय के पत्र क्रमांक 331 व 332 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 172 पदों की अर्थना रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बेड़ा, घाणेराव, देसूरी व नाडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद

439. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा, घाणेराव, देसूरी व नाडोल में वर्तमान में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद भरे हुए हैं? सरकार उक्त केन्द्रों में रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसूरी का भवन पूर्ण रूप से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का शहर से बाहर जमीन आबंटित कर नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार देसूरी में आये दिन हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त में ट्रोमा सेंटर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा, घाणेराव, देसूरी व नाडोल में विषेषज्ञ/चिकित्सक के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी जी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथा सम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। रिक्त पदों पर पूर्व से यू.टी.बी. पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी/कार्मिकों की अवधि दिसम्बर, 2023 तक बढ़ाई जा चुकी हैं। साथ ही जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से यू टी बी पर 500 चिकित्सक लगाने के आदेश दिनांक 13.07.2023 को जारी कर दिये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

निदेशालय के पत्र क्रमांक 331 व 332 दिनांक 16.05.2023 द्वारा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 पदों की अर्थना रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग आफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, ई सी जी टेक्निशियन, डेन्टल टेक्निशियन एवं नेत्र सहायक के पदों पर सीफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैब सहायक के 1,583 पदों के विरुद्ध 1,083 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग में वित्त विभाग द्वारा 5,000 पदों हेतु यू टी बी के माध्यम से कार्मिक लगाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस हेतु समस्त जिला कलेक्टर को अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसूरी का भवन आंशिक रूप से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है।

वर्तमान में संचालित भवन एवं भूमि पर्याप्त नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर को उपर्युक्त भूमि आबंटन कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जिसकी प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) कस्बा देसूरी जिला पाली में वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। ट्रोमा सेन्टर खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के गोदामों की क्षमता

440. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के पास स्वयं के व निजी फर्मों के कितने-कितने गोदाम हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में निगम व निजी फर्मों के गोदामवार क्षमता के विरुद्ध भराव की स्थिति का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के पास स्वयं के 93 भण्डारगृह केन्द्रों पर 640 गोदाम उपलब्ध हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा पंजीकृत निजी गोदाम 38 है। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के द्वारा विगत 5 वर्षों में निगम व प्राइवेट फर्मों के गोदाम उपयोग में लिये गये हैं। गोदामवार क्षमता के विरुद्ध भराव की स्थिति की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूचना पुस्तकालय में रखे गये।)

लाडनूं में फार्म पौण्डों का निर्माण

441. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ने वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में बारह हजार पांच सौ फार्म पौण्डों के निर्माण करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कितने फार्म पौण्डों का निर्माण करवाया गया है व उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई तथा अब तक कितने पौण्ड बनाये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 तक वर्षवार निर्माण कराये गये फार्म पौण्डों का विवरण एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	निर्मित फार्म पौण्ड (संख्या)	व्यय राशि रुपये
1	2020-21	-	-
2	2021-22	38	34,15,444
3	2022-23	78	72,84,000

नसीराबाद में जल जीवन मिशन योजना से वंचित ग्राम

442. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में जल जीवन मिशन योजना के तहत किन-किन गांवों के लिए योजना बनाई गई तथा उक्त गांवों में कितना कार्य हुआ तथा कितना कार्य शेष रहा? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पेयजल से वंचित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 154 ग्राम अवस्थित हैं। इन 154 ग्रामों में से 01 ग्राम रामसर जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित है। शेष सभी 153 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु वृहद परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है।

उक्त 153 ग्रामों में से 56 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु वृहद् पेयजल परियोजना अजमेर-पीसांगन का कार्य प्रगति पर है, 41 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु वृहद् पेयजल परियोजना श्रीनगर-नसीराबाद के प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं, 55 ग्रामों की अन्य पेयजल योजनाओं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा एक ग्राम सनोद की पेयजल योजना पर संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यादेश निरस्तीकरण हेतु प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन

443. श्री रूपा राम (मकराना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में नगरपालिका क्षेत्र वार्ड संख्या तीन प्रतापजी की, आवलां की व आसपास की ढाणियों को जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत नल कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र की ढाणियों के उक्त वार्डों को जल जीवन मिशन योजना में पेयजल आपूर्ति हेतु नल कनेक्शनों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में प्रतापजी की व आवलां की ढाणियां ग्राम बोरावड़ से संबंधित हैं। ग्राम पंचायत बोरावड़ के सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.11.2021 के द्वारा नगरपालिका, बोरावड़ घोषित किया गया है।

अधिसूचना जारी होने से पूर्व ग्राम पंचायत, बोरावड़ के मुख्य ग्राम बोरावड़ को जायका वित्त पोषित नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना सीडीएस-02 के अन्तर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किया जा चुका था तथा ग्राम बोरावड़ की प्रतापजी की, आवलां की व 13 अन्य चिन्हित ढाणियों में सार्वजनिक नलों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही थी।

ग्राम बोरावड़ की इन 15 ढाणियों को सम्मिलित करते हुए विधान सभा क्षेत्र मकराना के 17 नये राजस्व ग्रामों व 542 चिन्हित ढाणियों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर जल संबंधों से लाभान्वित करने हेतु नागौर लिफ्ट आधारित वृहद पेयजल परियोजना सीडीएस-02 मकराना की स्वीकृति

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 27वीं बैठक दिनांक 03.09.2021 के द्वारा राशि रु. 113.38 करोड़ जारी की गई। योजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 23.02.2022 को संवेदक मैसर्स जुबेरी इन्जीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेशानुसार योजना के कार्यों को दिनांक 04.06.2023 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

माह जून, 2023 तक योजना पर राशि रु. 42.96 करोड़ का व्यय किया जाकर 53 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। संवेदक के स्तर पर कार्य में देरी करने के फलस्वरूप राशि रु. 1.70 करोड़ शास्ति के रूप में रोकी गई है। योजना के शेष कार्यों को माह अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

उक्त 15 ढाणियों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत एवं दिनांक 12.07.2023 तक जारी घर-घर जल संबंधों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

आसीन्द में अवैध खनन पर रोक

444. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसींद के आमेसर, जेतपुरा, शंभूगढ़ तथा ऐसे कई गांवों में अवैध खनन हो रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त अवैध खनन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसींद के आमेसर, जेतपुरा, शंभूगढ़ तथा अन्य गांवों में वर्ष 2021-22, 2023-23 व 2023-24 (दिनांक 13.07.2023 तक) में अवैध खनन के 16 प्रकरण सामने आये हैं।

(2) जी हां। उक्त अवैध खनन को रोकने हेतु:-

(अ) खान विभाग द्वारा:-

(1) एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 21 तथा राजस्थान अप्रधान

(खान मंत्री)

खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की हुई है जिसमें वन, राजस्व, परिवहन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाती है।

(3) अवैध खनन की रोकथाम हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति का भी गठन किया हुआ है।

(4) खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु दिनांक 10.05.2018 से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एस.आई.टी. का गठन किया गया है।

(ब) वन विभाग द्वारा:-

(1) क्षेत्र में निरन्तर गश्त/औचक निरीक्षण कर प्रचलित वन नियमों/ अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) वन क्षेत्र में अवैध खनन के लिए बनाये गये रास्तों को समय-समय पर खाई खोदकर बंद किया जाता है।

(3) अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर पक्की दीवार निर्माण एवं वृक्षारोपण के कार्य किये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र आसींद के आमेसर, जेतपुरा, शंभूगढ़ तथा अन्य गांवों में वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 (दिनांक 13.07.2023 तक) में खान विभाग द्वारा अवैध खनन के 15 प्रकरण बनाये गये, जिनमें से 05 प्रकरणों में शास्ति राशि रुपये 9.94 लाख वसूल किये गये हैं, 02 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 08 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

उक्त अवधि में वन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र आसींद के वन खण्ड मोगर में अवैध खनन का एक प्रकरण दर्ज किया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में स्टोन क्रेशरों का संचालन

445. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में खानों से निकलने वाले पत्थरों से वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(2) उक्त जिले की सीमा में कितने स्टोन क्रेशर कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त जिले में डी एम एफ टी फण्ड के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने अपूर्ण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में खनिज मार्बल, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिकासेण्ड, मेसनरी स्टोन, स्लेट स्टोन, पट्टी कातला, लाइमस्टोन के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिजों से वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में प्राप्त राजस्व का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राजस्व (लाखों में)
1	2019	5123.95
2	2020	6628.96
3	2021	7655.02
4	2022 (दिसम्बर, 2022 तक)	5067.72
	योग	**24475.65**

(2) अलवर जिले की सीमा में कुल 65 स्टोन क्रेशर संचालित हैं, जिनके प्रारम्भ होने की तिथि/वर्ष सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विगत तीन वर्षों (वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 (जून, 2023 तक)) में अलवर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से 45 कार्य (वित्तीय स्वीकृति) स्वीकृत किये गये। सभी कार्य प्रगतिरत हैं, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सोलर सिस्टम

446. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कितनी ग्राम पंचायतों व ब्लाक मुख्यालयों पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं? उक्त सोलर सिस्टम कब लगाये गये थे तथा वर्तमान में उक्त की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोराराम कुमावत)

(2) सरकार ने उक्त सोलर सिस्टम की मानिटरिंग हेतु किस विभाग को उत्तरदायी बनाया है? क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर लगे सोलर सिस्टम को शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने संबंधित विभाग को उक्त सोलर सिस्टम के दुरुस्तीकरण के लिए बजट आबंटित कर रखा है? यदि हां, तो कितना व किस मद में तथा नहीं, तो क्यों? सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में सोलर को ठीक करवाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ब्लाक मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायतों पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर वर्ष 2011-12 में लगाये गये सोलर सिस्टम एवं इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है-

पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों पर लगे	पंचायत समिति मुख्यालय पर लगे	कार्यरत	बंद
रानी	09	-	05	04
सुमेरपुर	27	01	15	13
पाली	23	01	00	24

विस्तृत सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त सोलर सिस्टमों को पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4(466)/पंरावि/पीसी/अ.से. केन्द्र प्रकाश व्यवस्था/2483 दिनांक 12.07.2018 (परिशिष्ट-ब) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को सौंपा गया है। सोलर पैनलों के उपयोग/संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तत्पश्चात् निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अनुरोध पर सौर संयंत्रों के रख-रखाव हेतु विभिन्न योजनाओं यथा एसएफसी/एफएफसी में उपलब्ध फण्ड का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सोलर संयंत्रों की वास्तविक स्थिति जानकारी उपलब्ध करने के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे भवन, बिजली, आईटी इन्फ्रा, सोलर आदि की स्थिति को कैप्चर करने के लिए

(पंचायती राज मंत्री)
एक ऑनलाइन मॉडयूल ई-पंचायत साफ्टवेयर में विकसित किया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत के कार्मिक के माध्यम से डाटा दर्ज किया जा रहा है। सोलर संयंत्र की वास्तविक स्थिति उपलब्ध होने के उपरांत आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रामगंज मण्डी में राज्य वित्त आयोग के योजना मद से विकास कार्य

447. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य वित्त आयोग के योजना मद से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक किस-किस गांव में किन-किन विकास कार्यों के लिए उक्त मद से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने प्रगति पर हैं तथा कितने कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2022 तक स्वीकृत कार्यों की ग्रामवार, राशिवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में राज्य वित्त आयोग योजना मद से स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति निम्नानुसार है:-

कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	**पूर्ण कार्यों की संख्या**	**प्रगतिरत कार्यों की संख्या**	**अप्रारम्भ कार्यों की संख्या**
1,887	1,284	227	376

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

शाहपुरा एवं बनेड़ा (भीलवाड़ा) में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी मस्टररोल

448. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजना में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा की पंचायत समिति शाहपुरा एवं बनेड़ा में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक जारी किये गये मस्टररोलों की संख्या व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मस्टररोल किन-किन विकास कार्यों हेतु किसके प्रस्तावों पर कब जारी किये गये? क्या उक्त का भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के तहत आने वाली पंचायत समिति शाहपुरा एवं बनेड़ा में दिनांक 01.01.2022 से दिसम्बर, 2022 तक जारी किये गये मस्टररोलों का विवरण निम्नानुसार है :-

पंचायत समिति का नाम	**जारी किये गये मस्टररोल की संख्या**	**राशि लाखों में**
शाहपुरा	33280	3876.82
बनेड़ा	35867	3879.09
कुल	**69147**	**7745.91**

(2) उक्त मस्टररोल संलग्न सूची अनुसार विकास कार्यों पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार पखवाड़े प्रारम्भ होने के 2 दिवस पूर्व जारी किये तथा इन मस्टररोलों का भुगतान किया जा चुका है। पंचायत समिति शाहपुरा का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं पंचायत समिति बनेड़ा का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवीन राशन दुकानें

449. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बजट 2022-23 में प्रदेश में पांच हजार नई राशन की दुकानें खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी दुकानें खोली गईं व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में जिला जालौर के किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी नई राशन दुकानें खोली गईं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने बजट 2022-23 में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकल महिला को राशन सामग्री घर तक पहुंचाने के लिए डोस्स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रारम्भ करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा प्रारम्भ हो गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले में व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार खोली गई उचित मूल्य दुकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत एक वर्ष के दौरान जालौर जिले में खोली गई नई राशन दुकानों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र**	**उचित मूल्य दुकानों की संख्या**
1	जालौर	3
2	आहोर	3
3	भीनमाल	3
4	रानीवाड़ा	0
5	सांचोर	14
	कुल	**23**

(3) बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में ''प्रदेश के ऐसे एनएफएसए परिवार, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा नि:शक्त हैं तथा इस कारण से स्वयं राशन लेकर आने में असमर्थ है उनको बिना किसी बाधा के राशन की नि:शुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना लागू की जायेगी'' के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में कोरोना से मृतक राशन डीलर के परिजन को सहायता राशि

450. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला सिरोही में आबू रोड तहसील के उपलागढ़ पंचायत के राशन डीलर की राशन वितरण करते हुए मई 2021 में कोरोना से मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा घोषित पचास लाख की सहायता राशि उक्त परिवार को अब तक नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिवार को सहायता राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा घोषित 50 लाख की सहायता राशि का भुगतान श्रीमती डिम्पल कुमारी पत्नी की राशन डीलर श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री टेहलाराम को किया जा चुका है।

खानपुर में उजाड नदी पर पुलिया का पुनर्निर्माण

451. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के गांव बराना व रतनपुरा में जाने वाली सड़क पर उजाड नदी की पुलिया वर्तमान में जीर्णशीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण व मरम्मत कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2022 में अतिवृष्टि के कारण उक्त पुलिया पुनः क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी अस्थाई मरम्मत करवाकर आवागमन सुचारु करवा दिया गया है। उक्त पुलिया का निर्माण व मरम्मत करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

जालौर में विशेष योग्यजनों के लम्बित आवेदन

452. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री छगनसिंह)

(1) जिला जालौर में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने विशेष योग्यजनों ने किस-किस योजना में आवेदन किया? उक्त में से कितने आवेदनकर्ताओं को ट्राई मोटर साइकिल स्कूटी, ट्राई साइकिल ऋण दिया गया व कितनों के आवेदन अब तक लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में विशेष योग्यजनों को राहत देने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2022 तक विशेष योग्यजनों द्वारा योजनाओं में किये गये आवेदन तथा उनमें से आवेदनकर्ता को ट्राई मोटर साइकिल स्कूटी, ट्राई साइकिल लोन में लाभान्वित की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार के द्वारा वर्तमान में विशेष योग्यजनों के लिए किये जा रहे प्रयास का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नये उद्योगों की स्थापना

453. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में नये उद्योगों की स्थापना एवं इनमें आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिये सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में बी.आई.पी. में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई एवं विभिन्न विभागों में कितने मामले लम्बित हैं तथा उक्त पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उद्योगों हेतु भूमि के रूपान्तरण हेतु नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस)

(उद्योग मंत्री)

को मजबूत करने, बड़े निवेश प्रस्तावों की स्थापना को अधिक सुगम बनाने और समयबद्ध तरीके से अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृतियों/अनुमतियों को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम, 2020 सितम्बर, 2020 को लागू किया गया था। इसके तहत वन स्टाप शाप प्रणाली स्थापित की गई जिसमें 14 विभागों के अधिकारी पार्ट टाइम बेसिस पर बी.आई.पी. में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2020 को ऑनलाइन पोर्टल 'राजनिवेश' लान्च किया गया था।

राजनिवेश पोर्टल पर दिसम्बर, 2020 से 12 जुलाई, 2023 तक 506 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 191 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृत आवेदनों की सूची अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में राजनिवेश पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की सूची अनुसंलग्नक-2 पर संलग्न है। स्वीकृत आवेदनों की सूची अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है। लम्बित आवेदनों की सूची अनुसंलग्नक-3 पर संलग्न है।

राजनिवेश पोर्टल पर लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही अधिनियम व नियम में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार की जाती है।

(3) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत संपरिवर्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाकर समयबद्ध कर दिया गया है, जिसके तहत 90 दिवस की समयावधि में संपरिवर्तन किये जाने का प्रावधान है। औद्योगिक प्रयोजन हेतु रिप्स के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने पर अधिसूचना दिनांक 20.03.2023 के द्वारा संपरिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान की गई है एवं अधिसूचना 10.03.2023 के द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाकर 50,000 वर्ग मीटर भूमि के स्थान पर 2,00,000 वर्ग मीटर भूमि के संपरिवर्तन हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाकर संपरिवर्तन की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रतापगढ़ के जनजाति आवासीय विद्यालय को दो पारियों में संचालित करने की कार्ययोजना

454. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल मीणा)

क्या यह सही है कि प्रतिभावान आश्रम छात्रावास, राजकीय आश्रम छात्रावास, प्रतापगढ़, खेल छात्रावास बालक, खेल छात्रावास बालिका के छात्र-छात्राएं छात्रावास से दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ में पढ़ने जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दूरी के मध्यनजर जनजाति आवासीय विद्यालय, प्रतापगढ़ को दो पारियों में संचालित कर उक्त छात्रावासों के छात्रों को जनजाति आवासीय विद्यालय में पढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बालक प्रतिभावान आश्रम छात्रावास, प्रतापगढ़, बालक आश्रम छात्रावास, प्रतापगढ़ व बालक खेल अकादमी, प्रतापगढ़ के छात्रावास के छात्र निकट के अन्य राजकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु जाते हैं एवं 75 की क्षमता के बालिका खेल अकादमी, प्रतापगढ़ की 72 छात्राएं विभाग द्वारा संचालित राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में एवं 3 छात्राएं राबाउमावि, प्रतापगढ़ में अध्ययन हेतु जाती हैं। राजकीय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलगन है।

आवासीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में कला (भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास) एवं विज्ञान (गणित) वर्ग का संचालन किया जा रहा है। उपरोक्त संकाय के अलावा अन्य संकाय के पद आवासीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में स्वीकृत नहीं हैं। स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अत: आवासीय विद्यालय, प्रतापगढ़ को संसाधनों, बजट उपलब्धता तथा स्वीकृत पद आदि को ध्यान में रखते हुए दो शिफ्टों में चलाया जाना संभव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में फर्नीचर क्रय में अनियमितता की जांच

455. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में फर्नीचर क्रय करने में हुई अनियमितता की जांच के लिए क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई जांच समिति गठित की गयी थी? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(2) उदयपुर के जनजाति आयुक्त कार्यालय भवन का स्वामित्व किसका है? क्या उक्त भवन में अन्य कार्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग की गठित कमेटी द्वारा करवाई गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उदयपुर के जनजाति आयुक्त कार्यालय भूमि एवं भवन का स्वामित्व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का हैं। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इस भवन में वर्तमान में संभागीय आयुक्त एवं आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्यालय संचालित हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)